Friday, 25 August, 1961

लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५७, १९६१/१८८३ (शक)

[२१ अगस्त से १ सितम्बर १९६१/२० श्रावण से १० भाद्र १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated On 3.12.83
Parliament Library

चौदहवां खण्ड, १९६१/१८८३ (शक)

(खण्ड ५७ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अंक ११—सोमवार, २१ अगस्त, १९६१/३० श्रावण १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३० से ७४२, ७४४ से ७४६, ७४९ और ७५१ . १७९९—१८२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२७, ७२९, ७४३, ७४७, ७४८, ७५० और ७५२ से ७८२ . . . . . १८२३—३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७२५ से १७३२, १७३४ से १७३७ १८३९—१९२९

स्थगन प्रस्ताव—

(१) स्वामी रामेश्वरानन्द जी पर बम फकने की कथित घटना १९२९–३०

(२) भारतीय गांव पर पाकिस्तानियों द्वारा कथित धावा . १९३०–३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १९३१–३२

राज्य सभा से सन्देश १९३२–३३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पूर्व सूचना के बारे में १९३३

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् १९३३–३४

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . १९३४—५६

ब्लिट्स के सम्पादक के नाम समन जारी करने के बारे में . १९५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . १९५७—६८

अंक १२—मंगलवार, २२ अगस्त १९६१/३१ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८३ से ७८६, ७९८, ७८७, ७९०, ७९२ से ७९४, ७९६, ७९७, ७९९ और ८०० १९६९—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९१, ७९५, ८०१ से ८५५ . १९९४—२०१६

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३८ से २०८८ २०१६—७८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

यमुना के बांध का टूटना . . . २०७८–७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

खम्भात और अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों में तेल का उत्पादन २०७९–८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०८०–८१

प्राक्कलन समिति—

एक सौ उन्तालीसवां प्रतिवेदन . . २०८१

विषय	पृष्ठ
मार्टिन एस० लाइट रेलवे यात्री संघ की शिकायतों के बारे में याचिका .	२०८१
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . . .	२०८१—२११३
दैनिक संक्षेपिका	२११४—२३
अंक १३—बुधवार, २३ अगस्त, १९६१/१ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८५८, ८६० से ८६५, ८६७, ८६८, ८७३, ८७५ और ८७६	२१२५—४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५९, ८६६, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७४ और ८७७ से ८९३ . . .	२१४८—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या २०८९ से २२०० .	२१५९—२२०८
स्थगन प्रस्ताव—	
१. यमुना के बांध का टूटना . . .	२२०८–०९
२. नागालैंड में दुर्घटना	२२०९–१०
३. जम्मू में नन्दपुर पर पाकिस्तानियों का कथित आक्रमण . .	२२१०–११
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२२११–१२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पुनर्वास मंत्रालय को जारी रखना . . .	२२१२—१५
प्राक्कलन समिति के कार्यवाही सारांश . . .	२२१५
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ चालीसवां प्रतिवेदन . .	२२१५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्तास्सीवां प्रतिवेदन . . .	२२१६
तारांकित प्रश्न संख्या ५२६ के उत्तर में शुद्धि . . .	२२१६–१७
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२२१७
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . . .	२२१७—५०
दैनिक संक्षेपिका	२२५१—५८
अंक १४—गुरुवार, २४ अगस्त, १९६१/२ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९७, ८९८, ८९९, ९०१, ९०४, ९०५, ९०७, ९१०, ९१२, ९१४, ९१६, ९१८, ९२१, ९२३ और ९०० .	२२५९—८१

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९६, ९०१, ९०३, ९०६, ९०८, ९०९, ९११, ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२० और ९२२	२२८१—८६
अतारांकित प्रश्न संख्या २२०१ से २३१४, २३१६ से २३५६	२२८७—२३४९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
भारी वर्षा के कारण दिल्ली की कुछ बस्तियों में पानी भर जाना	२३५०–५१
सभा का कार्य	२३५१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२३५१–५२
इन्डियन एयर लाइन्स कोरपोरेशन द्वारा वायुयान में राष्ट्रपति के डाक्टरों को स्थान न देने के बारे में वक्तव्य	२३५२–५३
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव	२३५३—६३
आय कर विधेयक--	
प्रवर समिति द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	२३६३—८०
श्री करांजिया द्वारा भेजा गया तार	२३८०–८१
कार्य मंत्रणा समिति--	
छियासठवां प्रतिवेदन	२३८१
कच्चे पटसन की कमी के बारे में चर्चा	२३८१—८६
दैनिक संक्षेपिका	२३८७—९५
अंक १५—शुक्रवार, २५ अगस्त, १९६१/३ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२४ से ९३५	२३९७—२४२०
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ९३६ से ९७९	२४२०—३९
अतारांकित प्रश्न संख्या २३५७ से २५०२, और २५०४ से २५१२	२४३९—२५०२
निधन संबंधी उल्लेख	२५०३–०४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	२५०४–०५
उत्तर प्रदेश में बाढ़	२५०५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२५०५
सभा का कार्य	२५०६
श्री करांजिया को जारी किये गये समन के बारे में	२५०६,४०—४३
कार्य मंत्रणा समिति--	
छियासठवां प्रतिवेदन	२५०६–०७

विषय	पृष्ठ
आय कर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	२५०७—१५
खंड २ से १२ .	२५१५—२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्तासीवां प्रतिवेदन	२५२१
सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पुनः सेवा में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध के बारे में संकल्प . .	२५२१—२५
पटसन का मूल्य निर्धारण करने के बारे में संकल्प तथा कच्चे पटसन की कमी के बारे में चर्चा .	२५२५—४०
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के बारे में संकल्प .	२५४०
दैनिक संक्षेपिका	२५४४—५३
अंक १६—सोमवार, २८ अगस्त, १९६१/६ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८२, ९८४, ९८६, ९८७, ९८९, ९९१, ९९३, ९९५ से ९९९ और १००४ से १००८ .	२५५५—८३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८३, ९८५, ९८८, ९९०, ९९२, ९९४, १००० से १००३ और १००९ से १०१६ .	२५८४—९१
अतारांकित प्रश्न संख्या २५१३ से २६२३ .	२५९१—२६४०
संत फतह सिंह के साथ बातचीत के बारे में वक्तव्य .	२६४०—४३
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . .	२६४३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	२६४४
दिल्ली में मकानों के गिरने से कथित मृत्यु	२६४४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२६४४
राज्य सभा से संदेश .	२६४४
विशेषाधिकार	२६४५, ७२–७३
धार्मिक न्यास विधेयक .	२६४५
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना .	२६४५
विधेयक पुरस्थापित—	
१. समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक	२६४५
२. उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक . .	२६४६

आय कर विधेयक . . . २६४६--६९

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में

खंड १३ से २९८ और अनुसूची १ से ५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२ . . २६६९--७२

बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . २६७३--८४

दैनिक संक्षेपिका . . . २६८५--९१

अंक १७--मंगलवार, २९ अगस्त, १९६१/७ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०१६क, १०१७ से १०२४, १०२६, १०२७, १०२९, १०३१ और १०३५ से १०३७ . . २६९३--२७१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०२५, १०२८, १०३०, १०३२ से १०३४ और १०३८ से १०४४ . . . . २७१४--२१

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२४ से २६५० और २६५२ से २७५१ . २७२१--७५

स्थगन प्रस्ताव--

प्रसाद नगर के निवासियों की झोंपड़ियों के गिराने के बारे में नोटिसों का दियाजाना २७७६--७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २७७७

तेल परियोजनाओं के बारे में ई० एन० आई० से बातचीत के बारे में वक्तव्य २७७७--७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पूर्व सूचना के बारे में २७७८

श्री करांजिया की भर्त्सना २७७८--७९

धार्मिक न्यास विधेयक . . . २७७९

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, १९६१--

पुरःस्थापित . . . २७७९

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२ . २७८०--९४

पंजाबी सूबे के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में चर्चा २७९४--२७२९

दैनिक संक्षेपिका . २८३०--३६

अंक १८--बुधवार, ३० अगस्त, १९६१/८ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०४६, १०४८ से १०५२, १०५५, १०५६, १०६२, १०६३ और १०६८ २८३७--६१

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०४७, १०५३, १०५४, १०५७ से १०६०, १०६४ से १०६७ और १०६९ से १०९७ . .	२८६१--७८
अतारांकित प्रश्न संख्या २७५२ से २७६५ और २७६७ से २९११ .	२८७८--२९४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
मास्टर तारासिंह और योगिराज सूर्य देव की गिरफ्तारी के वारंटों का जारी किया जाना	२९४१-४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२९४२-४३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
अठास्सीवां प्रतिवेदन	२९४३
सदस्य द्वारा त्यागपत्र . . .	२९४३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२ .	२९४३--४८
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव .	२९४८--७३
बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	२९७३--९३
दैनिक संक्षेपिका	२९९४--३००३
अंक १९--गुरुवार, ३१ अगस्त, १९६१/९ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०९८, ११०१, ११०६, ११०८, ११०९, १११२ और १११५ से १११७	३००५--२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०९९, ११००, ११०२ से ११०५, ११०७, १११०, १११९, १११३, १११४ और १११८ से ११२७	३०२६--३६
अतारांकित प्रश्न संख्या २९१२ से ३००० और ३००३ से ३००८ .	३०३६--७६
अविश्वास का प्रस्ताव	३०७६--७८
पटल पर रखे गये पत्र . .	३०७८-७९
कुछ अंशों का निकाल दिया जाना	३०७९
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--	
पच्चीसवां प्रतिवेदन	३०८०
विधेयक पुरस्थापित--	
(१) जमा धन बीमा निगम विधेयक .	३०८०
(२) विनियोग (संख्या ४) विधेयक	३०८०

विषय	पृष्ठ
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३०८०—९३
खंड २ से ४ और १	३०९८
पारित करने का प्रस्ताव	३०९८—३१०६
समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक—	
विचार करने के प्रस्ताव . . .	३०९४—९७
खंड १ और २	३०९७
पारित करने का प्रस्ताव	३०९८
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . . .	३१०६–०७
प्रवर समिति द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	३१०६–०७
भारत के खेतिहर मजदूरों के बारेमें दूसरी जांच के प्रतिवेदन संबंधी प्रस्ताव	३१०७—१९
मदुरै में बस और रेलगाड़ी की टक्कर के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३११९—२२
दैनिक संक्षेपिका	३१२३—२९
अंक २०—शुक्रवार, १ सितम्बर, १९६१/१० भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ से ११३०, ११३४ से ११३८, ११४१ से ११४४, ११४६, ११४८, ११४७	३१३१—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३१ से ११३३, ११३९, ११४०, ११४५ और ११४९ से ११५७	३१५४—६०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३००९ से ३१३४, ३१३६ से ३१४४ और ३१४६ से ३१४९	३१६०—३२१७
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	३२१७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
आसाम से कुछ मुसलमानों का कथित निकाला जाना . .	३२१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३२१८
सभा का कार्य	३२१९–२०
गन्ना उपकर (वैधकरण) विधेयक—पुरस्थापित . . .	३२२०
विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६१—पारित . . .	३२२१
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३२२१—३४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अठ्ठासीवा प्रतिवेदन	३२३४

विषय	पृष्ठ
सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) संशोधन विधेयक (धारा ५ का संशोधन)--(श्री ले० अचौ० सिंह का)--पुरःस्थापित	३२३४
खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारण विधेयक (श्री झूलन सिंह का)--वापस लिया गया--	
विचार करने का प्रस्ताव	३२३४--३९
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री नरसिंहन् का)-- परिचालित करने का प्रस्ताव	३२३९--४१
धार्मिक पूजा स्थानों का प्रत्यावर्तन विधेयक (श्री प्रकाशवीर शास्त्री का)-- विचार करने का प्रस्ताव . .	३२४१--६२
दैनिक संक्षेपिका	३२६३--७०

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न मे किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

GMGIPND--LS III--1210 (Ai) LS--10-10-61--125.

लोक-सभा

शुक्रवार, २५ अगस्त १९९१

३ भाद्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सूरत में तेल की प्राप्ति

\+

†*९२४. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत के पास दिगास गांव में एक कुएं में कोई तेल मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है और कितना है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) हां, श्रीमान् । अंकलेश्वर के तेल क्षेत्र में कुआ संख्या १० में तेल पाया गया है । यह कुआं दिगास गांव से दक्षिण से लगभग १½ मील दूर है ।

(ख) इस कुएं में पाया गया तेल अंकलेश्वर क्षेत्र के अन्य कुओं के समान ही है । अभी क्षेत्र का विस्तार नहीं बताया जा सकता ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या तेल के शोषण के लिये कोई तत्काल कार्यवाही की जायेगी और, यदि हां तो, इस का क्या प्रोग्राम है ?

†मूल अंग्रेजी में

1193(Ai) LS—1.

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** शोषण और आगे जांच पड़ताल दोनों ही कार्य हो रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार कुछ कुओं का जांच-उत्पादन हो रहा है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या ऐसा कोई संकेत उपलब्ध है कि वहां कितना तेल मिलेगा ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** अभी यह नहीं बताया जा सकता कि समूचे क्षेत्र में तेल की ठीक मात्रा कितनी निर्धारित होगी, क्योंकि अभी जांच पड़ताल जारी है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा:** यह कहा गया है कि तेल कुआं संख्या १० में पाया गया है। वहां कितने कुएं हैं और उन में से प्रत्येक का क्या फल है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** अभी मेरे पास यह जानकारी नहीं है कि कितने कुएं पूरे हो गये हैं और कितनों पर काम हो रहा है प्रश्न कुआं संख्या १० के बारे में है जिस का परिणाम बहुत अच्छा है और अवसादजनक नहीं है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** बारह कुओं में से कितने उत्पादक और कितने अनोत्पादक पाये गये हैं ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** अधिक ब्यौरा के लिये मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या सूरत के क्षेत्र में तेल ढूंढने के लिये कोई प्रोग्राम बनाया गया है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** यह प्रश्न विशेष कर अलंकेश्वर के तेल क्षेत्र के बारे में है ।

†**श्री गोरे** : तेल कितनी गहराई पर मिला है और सरकार को उस गहराई तक पहुंचने में कितने दिन लगे हैं ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** इस कुएं में १३०० मीटर तक खुदाई हुई है ।

†**श्री गोरे :** इस में कितने दिन लगे ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा:** साधारणतया २० से ३० दिन तक लगते हैं। मुझे यह विदित नहीं है कि इस कुएं को पूरा करने में कितने दिन लगे थे ।

†**श्री गोरे :** मैं यह बताना चाहता हूं कि असम में दिगबोई तेल कम्पनी इस की अपेक्षा पांच गुनी गति से कुआं खोद रही है। क्या वे विशेषज्ञ का परामर्श लेंगे या कुछ कार्यवाही करेंगे ताकि बरमा तेजी से खुदाई करे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** हमें असम में तेल कुओं की प्रगति मालूम है किन्तु तेल-क्षेत्रों की स्थितियां सदैव समान नहीं होतीं और अन्य बातों के साथ छेद करने की गति मिट्टी की स्थिति आदि पर निर्भर करती है। हमें असम और अन्य स्थानों से जानकारी प्राप्त हो रही है और यह सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है कि हम भी छेदन-कार्य कुशलता से पूरा करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी उपक्रमों के लिए लोक सेवा आयोग

†*९२५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के लिये एक अलग लोक सेवा आयोग बनाने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का परिणाम क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) हाल में इस पर विचार नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** नियुक्तियां करने की क्या प्रक्रिया है ? क्या नियुक्तियां संचालक-बोर्ड करता है अथवा संबंधित मंत्रालय ?

†**श्री दातार :** विभिन्न प्रकार के उपक्रम हैं ; कुछ स्वायत्त प्रशासी हैं ; कुछ सरकार द्वारा चलाये जाते हैं ; और कुछ समवाय अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं । अतः इस बारे में कोई सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता । अतः, हमने नमूने के नियम बनाये हैं और लागू किये जाने के लिये, जितने भी किये जा सकें, विभिन्न उपक्रमों को भेज दिये हैं ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या नमूने के नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**श्री दातार :** वे विभिन्न उपक्रमों के लिये हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** नियम विभिन्न निकायों को कब भेजे गये थे ? क्या सरकार ने इसका पता लगाने की दृष्टि से कोई प्रयास किया है कि क्या विभिन्न उपक्रम उन नियमों को लागू कर रहे हैं ?

†**श्री दातार :** प्राक्कलन समिति ने इस बारे में लगभग १९५७ में एक सिफारिश की थी । उस के बाद, हम ने नमूने के नियम बनाये और उन्हें विभिन्न उपक्रमों को भेज दिया हमारी जानकारी के अनुसार, उन्हें लागू किया जा रहा है ।

†**श्री अन्सार हरवानी :** क्या यह सच नहीं है कि समवाय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध सरकारी उपक्रमों में नियुक्तियां सर्वथा प्रबन्ध संचालकों के विवेकानुसार होती हैं और अनेक मामलों में माननीय मंत्री को भाई भतीजावाद का पता लगा है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** यदि मैं कह सकूं, तो माननीय सदस्य का निष्कर्ष मिथ्या है वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से मेरा बहुत समय तक संबंध रहा है जिस के अन्तर्गत अनेक सरकारी उपक्रम चलते हैं । श्रेणी १ और २, अर्थात् अधिकारी वर्ग की नियुक्तियां प्रबन्ध संचालक कदापि नहीं करता । एक नियमित बोर्ड नियुक्त होता है और वह उम्मीदवार चुनता है । फिर, वेतन निश्चित हैं जिन के लिये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय या भारत सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, और ली जाती है ।

†**श्री अन्सार हरवानी :** क्या यह सच नहीं है कि प्रबन्ध संचालकों ने अनेक नियुक्तियां की थीं और बाद में बोर्ड ने उन्हें नियमित कर दिया और फिर उन्हें अनुमति के लिये मंत्रालय भेज दिया ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** लगता है कि इस बात में भी उन्हें गलतफहमी है। सभी यह आवश्यक हो जाता है कि उपक्रम शीघ्र नियुक्तियां करें और उस के लिये एक सामान्य नियम हैं। अब हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इन नियुक्तियों के बारे में सरकारी उपक्रमों को कितनी स्वतंत्रता दी जाये। मेरा ख्याल है कि इस सभा का भी सामान्य दृष्किोण यह रहा है कि इन सरकारी उपक्रमों को पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाये। मुझे ठीक से याद नहीं है कि माननीय सदस्य किस मामले का उल्लेख कर रहे हैं परन्तु यदि किसी मामले में ऐसा किया गया है, तो निश्चय यह सद्भाव से और उपक्रम की कार्यकुशलता के लिये किया गया होगा ।

†**श्री त्यागी :** संसद् ने जिस स्वतंत्रता पर जोर दिया था वह उन लोगों को पक्षपात करने की स्वतंत्रता देने के लिए नहीं थी। सभा यह जानना चाहती है कि यह देखने के लिए कि सरकारी क्षेत्र में कोई पक्षपात न हो और सब के साथ न्याय हो, क्या नियम निश्चित किये गये हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री:** मैं नहीं समझता कि हमें कोई ऐसी विशेष शिकायत के बारे में बताया गया है जिसमें पक्षपात या भाई, भतीजावाद अपनाया गया हो। फिर भी, जैसा कि अभी मेरे साथी ने कहा है कि तत्कालिक गृह कार्य मंत्री ने इस मामले पर मेरे और मेरे साथी सरदार स्वर्ण सिंह के साथ विचार विमर्श किया था क्योंकि हमारा सम्बन्ध वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय से था। ये दोनों मंत्रालय छोटे बड़े सरकारी उपक्रमों से घनिष्ठरूप में सम्बन्धित थे । हमारे परामर्श से यह निश्चय किया गया था कि नमूने के रूप बनाने होंगे और नियमों के अनुसार चुनाव करना होगा ।. इस पर भी विचार किया गया था कि क्या चुनाव करते समय संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को बोर्ड में सम्मिलित करना उचित होगा अथवा नहीं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** देश में सरकारी क्षेत्र का अधिक विकास ध्यान में रख कर अब क्या यह बात भारत सरकार के विचाराधीन है कि इस प्रश्न में दिये गये सुझाव के अनुसार एक आयोग बनाया जाये । यदि नमूने के नियम रहस्य नहीं हैं तो नियमों को सभा पटल पर रखने में क्या आपत्ति है ताकि संसद् सदस्य उन्हें देख सकें और यदि आवश्यकता हो तो संशोधनों का सुझाव दे सकें ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें उचित समय पर सभा पटल पर रखा जायेगा । अब सारा मामले विचार तथा उसकी जांच की जा रही है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** यदि एक अलग लोक सेवा आयोग बनाया जाये, तो उस पर प्रति वर्ष कितना व्यय होगा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** कोई अलग लोक सेवा आयोग नियुक्त करने का कोई विचार नहीं है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** पिछली बार हमें बताया गया था कि सरकारी उपक्रमों के संचालन का समूचा प्रश्न, विशेषकर मूल्य नीति और कर्मचारियों की नियुक्तियों का प्रश्न मंत्रिमंडल के विचाराधीन है । क्या मंत्रिमंडल ने इस मामले पर और स्थायी समिति की नियुक्ति आदि पर इस बीच विचार कर लिया है ? मंत्रिमंडल के विचाराधीन क्या क्या मामले हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह केवल भर्ती, आदि तक ही सीमित नहीं है । इसका सम्बन्ध सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दी जाने वाली शक्तियों तथा स्वतंत्रता के और वे इसके प्रति तथा सरकार के प्रति किस सीमा तक उत्तरदायी हों, के समूचे प्रश्न से है । मंत्रिमंडल ने इस पर एक से अधिक बार विचार किया है ।

†**श्री तंगामणि**: क्या प्राक्कलन समिति द्वारा बनाये गये नियम नेवेली में लागू किये जा रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा । यह इस प्रश्न से, उत्पन्न नहीं होता । यह एक साधारण प्रश्न है कि क्या इन सब उपक्रमों के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग बनाने का कोई प्रस्ताव है ? माननीय मंत्री ने बताया कि नियम तथा विनियम और समूचा मामला विचाराधीन है ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह हकिकत है कि इन पब्लिक अन्डरटेकिंग्स में जितनी अहम पोस्ट्स हैं वह अक्सर रिटायर्ड आदमियों के हाथों में हैं ? इस सिलसिले में मैं गवर्नमेंट की पालिसी जानना चाहता हूं कि अभी कितने वक्त तक उन को बहाल रक्खा जायेगा जब कि वह काफी अर्से से यह काम कर रहे हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : पहली बात तो यह है कि यह सही नहीं कि तमाम जगहें . . .

†**श्री अ० मु० तारिक** : मैं ने अक्सर कहा है, तमाम नहीं ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : "अक्सर" लफ्ज भी कहां तक सही है यह नहीं कहा जा सकता मगर कुछ जरूरी जगहें रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को दी गई हैं, और मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था । हम किसी दूसरे को वह काम दे नहीं सकते थे क्योंकि हमें अच्छे आदमी हासिल नहीं थे । इस लिये हमें उन्हें देना पड़ा । मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमें अच्छे इंजीनियर्स और टेकनिकल आदमियों को काफी मौका देना पड़ा है। वह बहुत क्वालिफाइड हैं और अपने काम को काफी अच्छी तरह से अंजाम देते हैं

प्रादेशिक सेना पदाधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन

+

†*९२६. { **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २१ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १९७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रादेशिक सेना के उन पदाधिकारियों को, जो प्रादेशिक सेना के नियमित पदाधिकारियों की तौर पर काम कर रहे हैं, स्थायी कमीशन देने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हा, तो उसका परिणाम क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). प्रादेशिक सेना के अधिकारियों को भारतीय सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए प्रवेश पाने की अनुमति देने और बाद में

---

†मूल अंग्रेज़ी में

स्थायी नियमित कमीशन देने का प्रस्ताव सरकार ने सिद्धांत स्वरूप स्वीकार कर लिया है। भारतीय सेना अकादमी में प्रवेश के लिए प्रार्थना करने वाले प्रादेशिक सेना के अधिकारियों के लिए निश्चित शर्तें विचाराधीन हैं और सरकार को आशा है कि वह उस पर निकट भविष्य में निर्णय कर लेगी।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** आजकल क्या प्रणाली है? क्या उन्हें आजकल भी अनुमति दी जाती है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** यह बड़ा जटिल मामला है। अकादमी में रिक्त स्थानों की संख्या बढ़ी दी गई है, परन्तु वे प्रादेशिक सेना के व्यक्तियों से नहीं भरे जाते हैं। अतः इन पदों को अधिकारियों के लिए भी कर दिया गया है जिससे नई स्थिति उत्पन्न हो गई थी । शर्तों पर विचार विमर्श किया जा चुका है।

†**श्री अन्सार हरवानी:** क्या स्थायी कमीशन देने में माननीय मंत्री बाहर के व्यक्तियों की अपेक्षा प्रादेशिक सेना के व्यक्तियों को प्राथमिकता देंगे ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** यह उन अधिकारियों के सम्बन्ध में है ।

†**श्री भक्त दर्शन :** शीघ्र निश्चय करने में क्या बाधा है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** उनकी शर्तों पर सेवा (सर्विस) मुख्यालय, वित्त तथा अन्य ऐसे ही लोगों के साथ कुछ विचार विमर्श की आवश्यकता है ।

आयुध कारखानों में "किसानों की मोटरगाड़ी" का तैयार किया जाना

+

†*९२७. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री पांगरकर :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह २३ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुध कारखानों में जापानी "किसानों की मोटरगाड़ी" (फार्मर्स कार) तैयार करने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** कुछ समय से प्रतिरक्षा संस्थापनों में "किसानों की मोटरगाड़ी" नामक एक छोटे ट्रैक्टर की जांच की जा रही है। उस के उपयोग एवं अन्य ब्यौरे का अध्ययन किया जा रहा है परन्तु कोई निर्माण योजना सरकार के सामने नहीं है।

†**श्री राकृष्ण गुप्त :** क्या इस कार के मूल्य का निर्धारण किया गया है?

†**श्री कृष्ण मेनन :** अभी वह अवस्था नहीं आई है। मैंने कहा था कि उसकी जांच की जा रही है ।

†**श्री रंगा :** वह साधारण कार से किस प्रकार भिन्न है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० गोन्विद दास :** क्या यह सच है कि जबलपुर की गन कैरिज फैक्टरी में "शक्तिमान" ट्रैक्टरों का सफलतापूर्वक निर्माण किया जा रहा है ? क्या इस बात की जांच कराई गई है कि ऐसी कारें उस कारखाने में निर्मित की जा सकती हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** ये चीजें एक कारखाने में नहीं बनाई जाती हैं । जबलपुर में तो उनको एसे-म्बिल किया जाता है परन्तु विभिन्न भाग विभिन्न यद्ध सामग्री कारखानों में बनाए जाते हैं । जहां तक संभव होगा उस से प्रतिरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत ही बनाया जाएगा । इस समय इसका निर्धारण किया जा रहा है । अनेक उपकरणों का किसी न किसी प्रयोजन के लिए निर्धारण किया जा रहा है । वह कार नहीं, ट्रैक्टर है । परन्तु पहले हमें यह पता लगाना है कि उस के उपयोग क्या हैं और उस के निर्माण की लागत कितनी है ? इन सब बातों का अध्ययन किया जा रहा है ।

†**श्री रंगा :** यदि वह ट्रैक्टर है, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे ट्रैक्टरों का निर्माण युद्ध सामग्री कारखानों के अतिरिक्त अन्य व्यापार संस्थाओं द्वारा भी किया जा रहा है, और, यदि नहीं, तो क्या अन्य कारखानों को उन के निर्माण की स्वतंत्रता होगी ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** इसका विचार उन लोगों द्वारा किया जाना चाहिए जो उनका निर्माण करना चाहते हैं । मैं सरकार की ओर से प्रतिरक्षा उत्पादन संस्थापनों का कार्य देखता हूं ।

†**श्री रंगा :** प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है क्या उसका निर्माण किसी अन्य कारखाने द्वारा किया जा रहा है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** जहां तक मेरी जानकारी है नहीं ।

केन्द्रीय आयुध डिपो (सी० ओ० डी०), छेवकी

+

†*९२८. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय आयुध डिपो, छेवकी में माल की बरामद के बारे में जनरल आफिसर-कमांडिंग-इन-चीफ़, पूर्वी कमान, की सिफारिशों और जांच अदालत के नियमों निर्णयों पर इस बीच विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) और (ख). जांच न्यायालय की उपपत्तियों और उन पर पूर्वी कमांड के जनरल आफिसर कमांडिंग की सिफारिशों की सेना मुख्यालय द्वारा जांच की गई है और सेनाध्यक्ष (चीफ़ आफ आर्मी स्टाफ) द्वारा निम्नलिखित निर्णय किए गए हैं ;

(१) डिपो के डिप्टी कमान्डेन्ट को सेनाध्यक्ष की "गंभीर नाराजी" सूचित की जाए । पूर्वी कमान्ड के जनरल आफिसर कमांडिंग की "नाराजी" दो कनिष्ठ अधिकारियों को सूचित की जाए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेनाध्यक्ष की गंभीर नाराजी की सूचना डिपो के कमान्डेन्ट को दी जा चुकी है। सेनाध्यक्ष की नाराजी एक कनिष्ठ अधिकारी को और पूर्वी कमान्ड के जनरल आफिसर कमांडिंग की नाराजी चार कनिष्ठ अधिकारियों को सूचित की गई थी।

(२) संबंधित असैनिक अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या पूर्वी कमान्ड के जनरल आफिसर कमांडिंग की उपपत्तियों की दृष्टि से भी अभी तक किसी अधिकारी को मुअत्तिल किया गया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : नहीं, श्रीमान् ।

†**श्री हेम बरुआ** : एक पिछले अवसर पर माननीय मंत्री ने यह कहा था कि सी० ओ० डी० के कुछ कर्मचारियों को उचित लेखा और नियंत्रण की प्रक्रियाओं का पालन न करने का अपराधी पाया गया था। यदि ऐसा है तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : "गंभीर नाराजी" आदि बातें आत्मनिष्ठ मत की अभिव्यक्ति मात्र नहीं हैं वरन् दण्ड हैं। ये बातें उन के रिकार्ड में आती हैं और उनकी पदोन्नत्ति पर असर पड़ता है। जहां तक नियमों का संबंध है नियम तो हैं, प्रश्न उनके पालन किए जाने का है। जब कभी किसी संशोधन की आवश्यकता होती है तो वैसा किया जाता है। जांच न्यायालय ने यह बताया था कि वे कमियां निम्न कारणों से थी अर्थात् स्टोरमैन और स्टोरकीपर द्वारा स्टोर का उचित खाता न रखा जाना; स्टोरमैन द्वारा स्टाकटेकिंग कर्मचारियों को उस सामान के बारे में न बताया जाना जिसका हिसाब नहीं था, डिपो के स्टाकटेकिंग कर्मचारियों द्वारा सामान की लापरवाही से जांच, सब-डिपो कमान्डरों का अपने अन्तर्गत सामान के उचित लेखांकन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रति उदासीन रवैया; स्टोर होल्डरों और ग्रुप आफिसरों का जल्दी जल्दी बदला जाना; बड़े पैमाने के सामान की प्राप्ति और प्रेषणों की सूचना रखने की प्रणाली का अभाव । नियम तो मौजूद हैं परन्तु कभी कभी उन के पालन में चूक हो जाती है।

†**श्री जमाल ख्वाजा** : स्टोर का अनुमानित मूल्य कितना होगा ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : ६,००० रुपए ।

†**श्री हेम बरुआ** : जहां तक मैं जानता हूं सी० ओ० डी० के इन कर्मचारियों को, जिन्हें उचित नियंत्रण और लेखांकन प्रक्रिया की जानकारी की कमी के लिए ज़िम्मेदार पाया गया था, कोई निर्दिष्ट दंड नहीं दिया गया था। क्या सरकार का उन्हें नियंत्रण और लेखांकन की सही प्रक्रिया की पुनः शिक्षा देने का विचार है ?

†**श्री रंगा** : प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं बता चका हूं कि किस प्रकार के दंड दिए गए थे। पुनः शिक्षा देने का तात्पर्य है उन्हें फिर वैसा न करने की चेतावनी देना।

---

†भूल अंग्रेज़ी में

दो सदस्यों वाले निर्वाचन-क्षेत्रों का दो हिस्सों में विभाजन

+

†*९२९. **श्री प्र० गं० देव**
श्री रामकृष्ण गुप्त
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया ।
श्री बालकृष्णन्

क्या **विधि** मंत्री २३ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या दो सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटने का काम पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी प्रति सभा पटल पर रखी जायगी ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) निर्वाचन आयोग ने समस्त दो सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन के निर्णय किये हैं । इन निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए परिसीमन आदेश में संशोधन करने के आशय की अंतिम अधिसूचनायें भी आसाम, गुजरात, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में प्रकाशित की जा चुकी हैं शेष राज्यों के संबंध में समान अधिसूचनाओं के शीघ्र प्रकाशित किए जाने की संभावना है ।

(ख) समस्त अधिसूचनाओं के प्रकाशित हो जाने के पश्चात् निर्वाचन आयोग परिसीमन आदेश में संशोधन करेगा और पुनरीक्षित परिसीमन आदेश, प्राप्त हो जाने पर, द्विसदस्य निर्वाचन क्षेत्र (समाप्ति) अधिनियम, १९६१ की धारा ७(२) के अनुसार, सभा-पटल पर रखा जाएगा ।

†**श्री प्र० गं० देव** : मैं विधि मंत्री से यह पूछना चाहता था, उड़ीसा की जनगणना के १९५१ के प्रतिवेदन के पृष्ठ ४१८ में यह कहा गया है कि उड़ीसा सरकार द्वारा धन की कमी के कारण अनुसूचित जातियों और अनसूचित आदिम जातियों के क्षेत्र-वार और थानावार आंकड़े तैयार नहीं किए गए हैं यद्यपि निर्वाचन आयुक्त ने वैसा करने का सुझाव दिया था । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि उड़ीसा में निर्वाचन-क्षेत्रों का विभाजन किस सिद्धान्त पर किया जाएगा ?

†**श्री अ० कु० सेन** : माननीय सदस्य को याद होगा कि स्वयं अधिनियम में दो सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्रों के अंतिम परिसीमन के लिए कुछ बातों का विचार किए जाने का उपबन्ध है । चूंकि मैं इन मामलों का निर्णय नहीं कर सकता हूं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त संविहित अधिकारी हैं मुझे विश्वास है कि उन्होंने समस्त संविहित बातों पर विचार किया होगा ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि कि जब अनसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिशत के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं थी तो यह कार्य कैसे किया गया ? क्या माननीय मंत्री सूचना प्राप्त कर के हमें बतायेंगे ?

†**श्री अ० कु० सेन** : इस समय मेरे पास कोई सूचना नहीं है क्योंकि प्रश्न यह नहीं था । यदि किन्हीं क्षेत्रों की जनगणना के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए होंगे तो अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत जानने के लिए अन्य तरीके अपनाए गए होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य यह जानने के अधिकारी नहीं हैं कि अन्य आधार क्या हैं। यह मामला निर्वाचन क्षेत्र के विधान मंडल में प्रतिनिधित्व से संबंधित है।

†**श्री अ० कु० सेन** : संसद में नहीं। मैं यह नहीं बता सकता कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने किन बातों का विचार किया है। यदि वह यह जानना चाहते थे तो उन्हें पहले नोटिस देना चाहिये था। निर्वाचन क्षेत्रों के दो भागों में बांटने के संबंध में प्रारम्भिक अधिसूचनायें जारी की गई थीं। प्रारम्भिक अधिसूचना के पश्चात् कोई भी व्यक्ति आपत्ति पेश कर सकता था और उस समय सार्वजनिक सुनवाई की गई थी। मुझे विश्वास है जो आपत्तियां की गई होंगी उनके संबंध में चर्चा अवश्य हुई होगी। परन्तु मैं यह नहीं बता सकता हूं कि किन्हीं विशेष निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा किन बातों का विचार किया गया था ।

कई माननीय सदस्य उठे––

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। यह निर्वाचन-क्षेत्रों के विभाजन के संबंध में सामान्य प्रश्न है कि वह पूरा हो गया है या नहीं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसके संबंध में अत्यन्त उत्सुक हैं और यह एक गम्भीर मामला भी है। जहां तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं सभा को उसके जानने का अधिकार है। यदि माननीय सदस्य पृथक प्रश्न पूछें तो मैं माननीय मंत्री से सूचना एकत्रित करके सभा को प्रदान करने के लिये कहूंगा।

†**श्री अ० कु० सेन** : यहां आने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि माननीय सदस्य मुझे पत्र लिख दें तो मैं उन्हें वह सूचना भेज दूंगा।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : जब उनके पास प्रतिशत के संबंध में निश्चित सूचना नहीं थी तो उड़ीसा में दो सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन कैसे किया गया था और मध्यकालीन चुनाव कैसे हुये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब किसी निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं तो उस निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में अन्य बातों का विचार किया जाता है। इसलिये एक निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में जो बात लागू होती है वह हो सकता है कि दूसरे पर न लागू हों। जो माननीय सदस्य किसी निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित तथ्य जानना चाहते हों वे माननीय मंत्री को लिखें और माननीय मंत्री सूचना देंगे। यदि उनके संबंध में कोई मार्गदर्शक सिद्धांत होगा तो माननीय मंत्री सभा को भी बतायेंगे।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : उत्तर प्रदेश में विभाजन के विवरण के प्रकाशन में विलम्ब क्यों हुआ है ? माननीय मंत्री ने अभी बताया था कि उत्तर प्रदेश उनमें सम्मिलित नहीं है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मुझे इसमें कोई सन्दह नहीं है कि जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, उस राज्य में ३१ जुलाई और १ अगस्त, १९६१ तक सार्वजनिक बैठकें आयोजित की गई थीं। उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक आपत्तियां पेश की गई थीं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह नहीं चाहते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त बिना आपत्तियों की सुनवाई किए ही निर्णय कर लें।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : आप यह कैसे कहते हैं कि मैं यह सब नहीं चाहता हूं ?

†**श्री बालकृष्णन्**: मैं यह जानना चाहता था कि विभाजन केवल जनसंख्या के आधार पर किया गया था अथवा अन्य बातों जैसे संस्पर्शता और क्षेत्र की एकता आदि का विचार भी किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन** : विधि के अन्तर्गत धारणा यह है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपने कार्य का समुचित पालन किया है और अधिनियम में उपबन्ध की गई समस्त बातों का विचार किया है ।

डा० गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने यह कहा कि कुछ प्रदेशों के नतीजे घोषित नहीं किये गये हैं, और उनमें मध्यप्रदेश भी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बाकी के नतीजे, और खासकर मध्य प्रदेश के नतीजे, किस तारीख तक घोषित कर दिये जायेंगे ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं अभी नहीं बता सकता। वास्तव में यह कार्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त का है। आपत्तियों की सुनवाई हुई है। मुझे विश्वास है कि वह आपत्तियों पर विचार करेंगे और समस्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् वह उसे यथाशीघ्र अधिसूचित करेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : निर्वाचन आयोग अपना विचार बहुत जल्दी बदल देता है। उदाहरण के लिये गुरुदासपुर जिले में नरोतजैमल सिंह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र और गुरुदासपुर रक्षित निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया था। परन्तु यह निर्णय तुरन्त बदल दिया गया और गुरुदासपुर के सामान्य निर्वाचन क्षेत्र और नरोतजैमल सिंह को रक्षित निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न क्या है ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं यह जानना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग अपने निर्णय जल्दी जल्दी क्यों बदलता रहता है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं समझता हूं.....क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं। यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्य पर बहुत गम्भीर आरोप है। मेरा विचार है कि माननीय सदस्य को इसके संबंध में कुछ भ्रांति है कि ऐसे मामले में निर्वाचन आयोग जैसे निकाय को कैसी प्रक्रिया अपनानी चाहिये ? अधिनियम में यह उपबन्ध है। **[श्री दी० चं० शर्मा द्वारा अन्तर्बाधा]**——माननीय सदस्य को थोड़ा धैर्य रखना चाहिये——आदेशक उपबन्ध है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त इन सब बातों का विचार करने के पश्चात् विभाजन के संबंध में प्रारम्भिक निर्णय प्रकाशित करेगा। उसके प्रकाशन के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आपत्तियां पेश की जायेंगी और ऐसी आपत्तियों की आपत्तिकर्त्ताओं की इच्छानुसार सार्वजनिक अथवा अन्यथा सुनवाई की जायेगी। क्या माननीय सदस्य यह आशा करते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रारम्भिक निर्णय प्रकाशित करने के पश्चात् आपत्तियां सुनकर और उन्हें ठीक पाकर भी अपना निर्णय न बदलें ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : निर्वाचन आयोग निर्वाचन के समय तक अपना अन्तिम निर्णय बदलता रहता है। पिछली बार उसने होशियारपुर के मामले में ऐसा किया था।

†**श्री अ० कु० सेन** : यदि माननीय सदस्य तथ्यों का सत्यापन करें तो उन्हें ज्ञात होगा कि प्रक्रिया वास्तव में नहीं है जो मैंने बताई है। प्रारम्भिक निर्णय किया गया था और तब आपत्तियां सुनी गई थीं। इस निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में मुझे विशेष जानकारी नहीं है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जनवरी के महीने में उसे होशियारपुर के मामले में बदल दिया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं समझता हूं कि इस निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में निर्णय समस्त आपत्तियां सुनने के पश्चात् दिया गया है... वह अन्तिम निर्णय है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, माननीय सदस्यों को याद होगा कि मूलतः पहले सामान्य निर्वाचन के समय निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन संबंधी समस्त अन्तिम निर्णयों पर यहां चर्चा हुई थी और माननीय सदस्यों को संशोधन पेश करने की अनुमति दी गई थी । फिर माननीय सदस्यों की विभिन्न समितियां देश में दौरा करने, साक्ष्य लेने और निर्णय करने के लिये निर्मित की गई थीं । बाद में वह प्रक्रिया बदल दी गई और माननीय सदस्यों ने उस आशय का कानून यहां पारित किया । परन्तु अब वह उसके अनुसार कदम उठाये जाने पर विधि मंत्री से झगड़ रहे है । मैं माननीय सदस्यों पर दोषारोपण नहीं करना चाहता परन्तु जब उन्होंने यह कानून पारित किया था तब इन सब कठिनाइयों की कल्पना नहीं की गई थी और उन्होंने निर्वाचन आयुक्त को अन्तिम प्राधिकारी बना दिया था । अब विधि मंत्री भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस कानून का उचित क्रियान्वयन किया जा रहा है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : हमने उस समय भी इसका विरोध किया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : निसन्देह कुछ सदस्यों ने विरोध किया था परन्तु फिर भी दुर्भाग्य से वह पारित कर दिया गया । अब जैसा कानून है उसके अन्तर्गत निर्वाचन आयुक्त प्रारम्भिक अधिकारी भी है और अन्तिम प्राधिकारी भी । वह अन्तर्कालीन अधिसूचना जारी करता है और फिर आपत्तियां सुनता है, वह एक दिन में ही नहीं वरन् एक घंटे में भी निर्णय बदल सकता है । कानून के अन्तर्गत यह स्थिति है । उससे कोई बचाव नहीं हो सकता । माननीय सदस्यों ने वह कानून बहुमत से पारित किया है । वैसे सभी कानून इस सभा में बहुमत द्वारा पारित किये जाते हैं और यदि कोई बात होती है तो निश्चय ही माननीय सदस्य उसका विचार करेंगे । अब जहां तक अभ्यावेदन की अनुमति देने अथवा न देने का मामला है, यह कानून सभा द्वारा पारित किया गया है और उसके पारित कर दिये जाने पर विधि मंत्री से बहस करने से क्या लाभ है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्योंकि उन्होंने ही उसे पारित करवाया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह सभा के बहुमत द्वारा पारित किया गया था । जहां तक इस मामले का संबंध है, ब्रिटिश कामन्स सभा में अन्तिम प्राधिकारी स्वयं कामन्स सभा ही मालूम होती है । यहां माननीय सदस्य वह प्राधिकार निर्वाचन आयुक्त को देना चाहते थे और ऐसा उन्होंने आंखें खुली रखकर ही किया है और उसे सभा के बहुमत द्वारा पारित किया गया है तो अब उससे कोई बचाव नहीं रह जाता है । मैं इस मामले के संबंध में अब अग्रेतर प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। क्या कानून पारित करने के पश्चात् हमें यह जानने का अधिकार नहीं है कि उसका उचित क्रियान्वयन हो रहा न या नहीं और क्या हम अपने विचार नहीं व्यक्त कर सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय विधि मंत्री अलग-अलग मामलों के संबंध में स्पष्टीकरण करने में असमर्थ हैं इसलिये मैं इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की अनुमति नहीं दूंगा कि क्या किसी मामले में निर्वाचन आयुक्त को अपना विचार तुरन्त बदल देने का अधिकार है ? मैं केवल सामान्य प्रश्नों की अनुमति दे सकता हूं जैसे देरी के क्या कारण हैं और अधिक समय दिया जाना चाहिये अथवा नहीं ? मैं सामान्य प्रश्नों की अनुमति देने के लिये तो तैयार हूं परन्तु अलग-अलग मामलों से संबंधित प्रश्नों की नहीं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : परन्तु यहां आश्वासन दिया गया था...

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री कालिका सिंह** : मैं प्रक्रिया के संबंध में एक बात जानना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूं ।

जीवन बीमा निगम के बीमा कराये हुये लोगों को लाभांश

+

†*९३०. { **श्री अ० मु० तारिक** :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के बीमा कराये हुये लोगों (पालिसी-होल्डर्स) को जीवन बीमा व्यापार के राष्ट्रीयकरण के समय से अब तक कोई लाभांश (बोनस) नहीं दिया गया है और अभी तक कोई लाभांश पत्र (बोनस कार्ड) नहीं जारी किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो देर के क्या कारण हैं ;

(ग) किन-किन वर्षों के लिये लाभांश घोषित किया जा चुका है ; और

(घ) उसके भुगतान तथा कार्ड जारी किये जाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) ३१ दिसम्बर, १९५९ को निगम की आस्तियों और दायित्वों के मूल्यांकन संबंधी काम और निगम द्वारा अपने अधिकार में ली गई २४५ इकाइयों की पालिसियों के बारे में "भेदात्मक"

---

†मूल अंग्रेजी में

बोनस घोषित करने के उद्देश्य से बोनस देना निर्धारण का काम अत्यधिक भारी और पेचीदा किस्म का है। तथापि निगम ने जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ४९ के अन्तर्गत आनुमोदनार्थ भेदात्मक बोनस योजना के बारे में विनियम सरकार को पेश किये हैं। जिन पर विचार किया जा रहा है।

(ग) १९५७ के मूल्यांकन के आधार पर अन्तरिम बोनस, भूतपूर्व बीमा समवायों के अन्तिम मूल्यांकन की तिथि से व्यपगत अवधि के सम्बन्ध में मृत्यु या अवधिपूर्णता पर दिया जाता है।

(घ) ३१ दिसम्बर, १९५७ और ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त होने वाली अवधियों के लिये बोनस निधान सम्बन्धी कार्य १५ अक्तूबर, १९६१ तक पूर्ण होने की आशा है। बोनस कार्ड जारी करने का काम उसके बाद किया जाएगा।

†**श्री अ० मु० तारिक :** विवरण के भाग (घ) में कहा गया है कि :

> "३१ दिसम्बर, १९५७ और ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त होने वाली अवधियों के लिये बोनस निधान का काम १५ अक्तूबर, १९६१ तक पूर्ण होने की आशा है। बोनस कार्ड जारी करने का काम उसके बाद किया जाएगा।"

इन बोनस कार्डों को जारी करने में कितना समय लगेगा ? ३१ दिसम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये बोनस इस समय तक क्यों नहीं दिये गये हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत :** बात यह है कि काम १५ अक्तूबर, १९६१ तक पूरा होगा। जब विभिन्न पालिसियों के वर्गीकरण सम्बन्धी विनियम अनुमोदित हो जाएंगे, जिनके सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम द्वारा बोनस जारी किये जायेंगे, वे कार्ड वितरण का काम आरंभ करेंगे, वह उसके तुरन्त पश्चात् यह काम करेंगे। यह हो सकता है कि व्यपगत समय बहुत कम होगा।

†**श्री अ० मु० तारिक :** इन कार्डों को तैयार करने में कितना समय लगेगा क्योंकि यह मामला १९५७ से लंबित है ? कितने कार्ड तैयार करने हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत :** यह कार्डों की संख्या और वर्गीकरण पर निर्भर हैं। निस्सन्देह, कार्डों की संख्या बहुत अधिक होगी। अतः इस में कुछ समय लगेगा। परन्तु प्रयत्न किया जायेगा कि इसमें यथासंभव कम समय लगे।

†**श्री राम कृष्णगुप्त :** विवरण से पता चलता है कि निगम ने सरकार को जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५९ की धारा ४९ के अन्तर्गत अनुमोदन के लिये भेदात्मक बोनस योजना सम्बन्धी विनियम पेश किये हैं। यह योजना कब पेश की गई थी और यह कब तक अनुमोदित की जाएगी ?

†**श्री ब० रा० भगत :** जैसा कि मैंने विवरण में बताया है, अनुमोदन १५ अक्तूबर, १९६१ तक दिया जाएगा।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** मेरा प्रश्न ३१ दिसम्बर, १९५७ और ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त होने वाली अवधियों के बारे में है। योजना अनुमोदन के लिये कब पेश की गई थी ?

†**श्री ब० रा० भगत :** मुझे मालूम नहीं कि योजना किस तारीख को पेश की गई थी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री रंगा :** पुराना अनुभव क्या था, जब जीवन बीमा निगम नहीं बना था ? क्या जैसा कि अब हो रहा है, इसने इन बोनस निगमों की घोषणा करने एवं बोनस कार्डों के वितरण के लिये इन चार वर्षों में गैर सरकारी बीमा समवायों को लिया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) :** माननीय सदस्यों को याद होगा कि २४५ समवाय लिये गये थे और उन सबका मूल्यांकन करना है और भिन्न भिन्न मामलों में भिन्न भिन्न स्तरों का पालन किया जाता है। हम एक आधार पर दूसरे का फैसला नहीं कर सकते, और दूसरे का दूसरे आधार पर और तब तीसरे का, इत्यादि। अतः इस में समय लगना अनिवार्य है। चूंकि हम इसे इस आधार पर कर रहे हैं कि यह इस अवधि में किया जाएगा। यदि, जैसा कि कहा गया था प्रत्येक संपत्ति का मूल्यांकन किया जाना चाहिये, तो हम इसे दस वर्षों में भी नहीं कर सकते ।

†**श्री रंगा :** क्या सरकार ने, इतना अधिक बिलंब होने के कारण इस प्रक्रिया को शीघ्र करने की संभाव्यता का विचार किया है ताकि इसके पश्चात् इतना अधिक बिलंब न होने पाये ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** इसके लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है कि यह काम न्यूनतम संभव समय में हो जाए, और मैं इसके लिये पूर्ण प्रयत्न कर रहा हूं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि कुछ मामलों में बड़ी कठिनाई है, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम में पालिसी है वह मर चुका है और उसके परिवार को बड़ा कष्ट हो रहा है और धन की बहुत तंगी है, क्या कंपनी बीमा कर्त्ताओं को छोड़ कर गैर-सरकारी बीमा कर्त्ताओं के मामले में इसे यथा शीघ्र करने के लिये इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा ?

†**श्री ब० रा० भगत :** जहां तक उन लोगों के मामलों का सम्बन्ध है, जो मर चुके हैं या अवधिपूर्ण पालिसियों का सम्बन्ध है, इनके बारे में अन्तरिम बोनस के मामले में प्रश्न के (ग) भाग के उत्तर में बताया जा चुका है। हमने इन दो मामलों में अन्तरिम बोनस देना पहले ही आरंभ कर दिया है, जिनमें या तो बीमा वृत व्यक्ति मर चुका है या पालिसी की अवधि पूर्ण हो चुकी है।

†**श्री गोरे :** क्या कुछ पालिसी धारी लोगों ने कोई अभ्यावेदन किया था कि उनको बताया जाए कि किस आधार पर बोनसों की संगणना की जा रही है और यदि हां, तो क्या सरकार ने पालिसीधारियों को बोनस संगणना करने का आधार बताया है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** मुझे किसी ऐसे अभ्यावेदन का पता नहीं। उन्हें जीवन बीमा निगम से अभ्यावेदन मिला होगा ।

श्री विभूति मिश्र : अभी वित्त मंत्री महोदय ने बतलाया कि २०० से ज्यादा कम्पनियों को इन्होंने नेशनलाइज किया और वह कहते हैं कि इसमें कई साल लग गये तो मैं जानना चाहता हूं कि कितनी कम्पनियों का जो बोनस बाकी था उसका हिसाब साफ़ हो गया है और कितनी कम्पनियों का अभी बाकी है ?

श्री ब० रा० भगत : हिसाब सब का साफ हो गया है। अब यहां गवर्नमेंट के पास एल० आई० सी० ने यह भेजा है कि किस आधार पर डिफ्रेंशिएल बोनस दिया जाय और किन-किन कम्पनियों को इंडैक्स नम्बर क्या-क्या हो। कारपोरेशन ने सम्बन्धित रेगुलेशंस् गवर्नमेंट के पास भेज दिये हैं। और मूल्यांकन किये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री गोरे : यदि यह तथ्य है कि जीवन बीमा निगम ने अनुमोदन के लिये अपने प्रस्ताव सरकार को पेश किये हैं तो क्या सरकार पालिसी धारियों को सूचित करेगी कि किन आधारों पर बोनस की परिभाषा की जा रही है और क्या वे उस पर कोई आपत्तियां भेजने को कहेंगे ?

†श्री ब० रा० भगत : बोनस सम्बन्धी विनियम गजट में प्रकाशित किये जाएंगे और उसके बाद, मुझे पता नहीं कि आया आपत्तियां पूछने के लिये कोई प्रक्रिया है, मैं समझता हूं कि वे अन्तिम रूप में होंगे। तत्पश्चात् हम कोई आपत्ति स्वीकार नहीं कर सकते। परन्तु विनियमों और अन्य बातों सम्बन्धी सूचना प्रकाशित की जाएगी और पालिसीधारियों के समक्ष होगी।

†श्री तंगामणि : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में कहा गया है कि मृत्यु या अवधिपूर्णता के दावों पर अन्तरिम बोनस दिया गया है। कितने दावे हुये हैं और अन्तरिम बोनस के तौर पर कितनी राशि दी गई है ?

†श्री ब० रा० भगत : इसका उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†श्री यादव नारायण जाधव : यह बताया गया है कि चूंकि काम निगम द्वारा हस्तगत लगभग २४५ एककों सम्बन्धी पालिसियों से संबंधित है, यह अत्यधिक भारी है और पेचीदा किस्म का है। परन्तु अभी अभी माननीय मंत्री ने बताया है कि बोनस निगम का फैसला किया जा चुका है और यह केन्द्रीय सरकार के पास अनुमोदन के लिये भेजा जा चुका है। इन दोनों वक्ताओं में क्या समानता है ?

†श्री ब० रा० भगत : मैंने यह नहीं कहा कि बोनस निगम का फैसला किया जा चुका है। मैंने केवल यह कहा है कि भेदात्मक ५..स के सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम प्रस्ताव सरकार को पेश कर दिये गये हैं और सरकार उन पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है।

†श्री अ० मु० तारिक : विवरण में कहा गया है कि निगम ने सरकार को विनियम पेश किये हैं और माननीय मंत्री ने भी वही बात कही है। मंत्रालय को इन विनियमों पर विचार करने में कितना समय लगेगा और वे मंत्रालय में कब प्राप्त हुये थे ?

†श्री ब० रा० भगत : मुझे वह तिथि मालूम नहीं जब ये प्राप्त हुये थे। यदि माननीय सदस्य पृथक प्रश्न पूछें तो मैं उत्तर दूंगा।

†श्री अ० मु० तारिक : यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि वे अब प्राप्त हुये थे और वे मंत्रालय में क्यों लंबित पड़े हैं।

†श्री मोरारजी देसाई : वे परीक्षण और विचार के लिये मंत्रालय में लंबित हैं। वे तत्काल पास नहीं किये जा सकते।

†अध्यक्ष महोदय : यह धन का प्रश्न है अतः मंत्रालय को इसका परीक्षण करना होगा।

†श्री तंगामणि : भाग (ग) का उत्तर यह है कि अन्तरिम बोनस १९५७ के मूल्यांकन के आधार पर दिये गये हैं। दावों की राशि कितनी है और कितनी राशि दे दी गई है ?

†अध्यक्ष महोदय : उनके पास आंकड़े नहीं हैं।

†श्री तंगामणि : यह मूल प्रश्न से उत्पन्न होता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय :** उन के पास आंकड़े नहीं होंगे। सरकार से मामले में अग्रेतर कार्रवाई करने के लिये कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कितनी राशि दे दी गई है इस के आंकड़े उनके पास नहीं हैं। माना यदि वह कह देते हैं १,५०,००० रुपये। यहां मुझे एक बात याद आती है कि एक व्यक्ति चाहता था कि उसे दीवान नियुक्त कर दिया जाए। उस की बहन ने राजा से उस की सिफारिश की। मंत्री ने उससे पूछा कि कितने कौए हैं। वह व्यक्ति उत्तर नहीं दे सका। तब मंत्री ने स्वयं उत्तर दिया १,५०,०७९। अब कैसे सत्यापन किया जाए? इस प्रश्न का क्या उत्तर है यह मुझे समझ में नहीं आता।

†**श्री तंगामणि :** मृत्यु या पालिसियों की अवधिपूर्णता के कारण दावों के दिये जाने का एक मामला है। जिस के बारे में मंत्रालय के पास सूचना अवश्य होगी। परन्तु वह कहते हैं कि उनके पास सूचना नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी राशि दी गई है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं यह समझ सकता हूं कि यदि सूचनार्थ यह पूछा जाए कि कितने प्रतिशत दे दिया गया है।

†**श्री तंगामणि :** मैं यही चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अन्तरिम बोनस के तौर पर कितने प्रतिशत राशि दी गई है? वह अनुमान से राशि बता सकते हैं। अन्तरिम बोनस किस आधार पर दिया गया था?

†**श्री ब० रा० भगत :** मेरे पास राशि की प्रतिशतता सम्बन्धी सूचना नहीं है। परन्तु जिन सिद्धान्तों के आधार पर यह दी जाती है वे ये हैं कि जब व्यक्ति मर जाता है या जब पालिसी की अवधि पूरी हो जाती है, अन्तरिम बोनस के आवंटन का प्रबन्ध किया जाता है। ये दो वर्ग हैं।

सोने के निक्षेप

\+

†*९३१. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री कुन्हन् :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री २७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने के अयस्क के अन्य निक्षेपों के अस्तित्व के बारे में जांच पड़ताल इस बीच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : फरवरी में दिये गये उत्तर में कहा गया था कि जांच हो रही थी और मैसूर सरकार सोने के क्षेत्रों का राष्ट्रीय करण करने की इच्छुक थी। क्या इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : जी, हां। हमने यही उत्तर दिया था, कि जांच चल रही थी। वह अभी भी जारी है। इस को पूर्ण होने में दो से तीन वर्ष लगेंगे ।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं यह भी बता दूं कि न पहले प्रश्न में और न इस प्रश्न में राष्ट्रीयकरण का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त था ? प्रश्न यह था कि क्या भूतत्वीय जांच चल रही थी। यह सच है कि भूतत्वीय सर्वेक्षण पांच वर्षों से चल रहे हैं और हो सकता है कि दो वर्ष और चलते रहे। तीन महीने की अवधि से कोई अन्तर नहीं पड़ता।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : राष्ट्रीयकरण का प्रश्न पहले प्रश्न में था और सरकार ने यह उत्तर दिया था कि मैसूर सरकार उनके राष्ट्रीयकरण की इच्छुक थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब वह क्यों फिर प्रश्न पूछ रही हैं ? यह प्रश्न उस प्रश्न से उठता है जहां तक जांच का सम्बन्ध है।

†**श्री कुन्हन** : केरल के कोज़ीकोड जिला में वीनाद क्षेत्र में किस सीमा तक जांच की प्रगति हुई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न कोलार के सोने के क्षेत्रों के बारे में है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : कुछ जांच ने दी दुर्ग खानों के बारे में हो रहे हैं और कुछ तरत पाई गई हैं। क्या इस खोज के आधार पर इस खान की अवधि बढ़ा दी जाएगी ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : जी, हां। यह तथ्य है कि इस क्षेत्र में खोज चल ही है और परिणाम उत्साह वर्धक रहे हैं। परन्तु इतनी शीघ्र यह नहीं कहा जा सकता कि आया उन का कुछ वाणिज्यिक मूल्य होगा। इस के बारे में सभा को निश्चित जानकारी देने में कुछ समय लगेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : सरकार मैसूर सरकार से कब इस कंपनी को लेगी ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : जहां तक लेने का सवाल है, मामला सरकार के विचाराधीन है। परन्तु अभी यह नहीं कहा जा सकता कि क्या किया जायगा।

खनिज उद्योग

†*९३२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योगों की उन्नति में सरकार को सहयोग देने के लिये गैर सरकारी क्षेत्र से कहा गया है ; और

(ख) १९६१ में अब तक प्राप्त प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० गोविन्द दास : जहां तक खनिज पदार्थों का सम्बन्ध है, क्या माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि मध्य प्रदेश इस दृष्टि से बहुत अच्छा प्रान्त माना जाता है और, यद्यपि इस बात का इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कर रही है कि मध्य प्रदेश के खनिज पदार्थों का कोई उपयोग किया जा सके ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मध्य प्रदेश में खनिज पदार्थ अच्छा है। और भी प्रदेश हैं, जहां खनिज पदार्थ काफ़ी अच्छा है। लेकिन यह तो उन इंडस्ट्रीज के साथ सरकार की तरफ़ से कालैबोरेशन के सम्बन्ध में सवाल है, जो कि मिनरल्ज पर बेस्ड हैं। माननीय सदस्य के प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

शिक्षा में बरबादी[1]

†*९३३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी शिक्षा में 'बरबादी' का सरकार ने क्या अनुमान लगाया है;

(ख) स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से इस संबंध में क्या सुधार या ह्रास हुआ है; और

(ग) क्या इस स्थिति के स्पष्टीकरण के संबंध में एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जायगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जहां तक समान्य शिक्षा का संबंध है, 'बरबादी' का अनुमान लगाने के लिये अभी तक औपचारिक रूप से कोई अखिल भारतीय पैमाने पर सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि अब तक प्रकाशित सांख्यिकी के आधार पर यह प्रतीत होता है कि उच्च स्तर की तुलना में प्रारंभिक स्तर पर 'बरबादी' अधिक है।

(ख) 'बरबादी' धीरे-धीरे घटती जाती है।

(ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ३१६१/६१]

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** विवरण और उत्तर से तथा जो कुछ जांच की गई है उससे यह बात स्पष्ट है कि शिक्षा में और विशेषकर प्रारंभिक स्तर पर भारी 'बरबादी' है। क्या उन जांचों मे इस 'बरबादी' का पता चला है और सरकार ने उनको दूर करने के लिये क्या कार्रवाई की है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** होता यह है कि जब विद्यार्थियों को पहली श्रेणी में भरती किया जाता है, वे धीरे-धीरे निकल जाते हैं। एक प्रभावशाली उपाय जो सरकार करना चाहती है, अनिवार्यता का है, और ज्यों ही यह उपाय किया जाता है, यह समस्या अधिक नहीं उठेगी। फिर भी, जो अन्य उपाय किये जाते हैं, अर्थात् जनता की शिक्षा, लोगों को नियमित रुपये से अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिये उनमें जागरूकता लाना--इन सब उपायों से धीरे-धीरे बरबादी कम होगी। इसमें कुछ समय लगेगा, परन्तु जैसा कि मैंने कहा, प्रगति संतोषजनक है और बरबादी घट रही है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** विवरण से यह बात स्पष्ट है कि शिक्षा में 'बरबादी' लड़कियों के मामले में ७० और ७५ प्रतिशत तक है और लड़कों के मामले में ६४ और ६५ प्रतिशत तक। हो सकता है कि इसका पूर्व के समय से संबंध हो। तो भी, इस तथ्य की दृष्टि से

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Wastage in education

कि बरबादी इतनी अधिक है माननीय मंत्री किस प्रकार अनिवार्य शिक्षा जारी करना चाहते हैं ? इतनी बड़ी संख्या के लिये व्यवस्था करने का वह क्या प्रबंध कर रहे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं समझता हूं कि मैं इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुका हूं। इस बरबादी को रोकने का सबसे अधिक प्रभावशाली उपाय शिक्षा को प्रारंभिक स्तर पर अनिवार्य बनाना है ताकि बच्चे प्रत्येक श्रेणी में न हटें। उसके साथ-साथ, अन्य विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। उदाहरण के लिये, लड़कियों की शिक्षा में 'बरबादी' के बारे में, भारत सरकार ने शिक्षा संस्थाओं में लड़कियों को आकर्षित करने के लिये और वृत्तिका देकर उनको अधिक समय तक स्कूलों में रखने के बहुतेरी योजनाएं बनाई हैं और अन्य उपाय किये जा रहे हैं। स्कूलों में भोजन और पाठ्य-पुस्तकों का मुफ्त वितरण, स्कूल की वर्दी जो हम जारी करना चाहते हैं, ये अन्य उपाय होंगे जिनसे स्कूलों में बच्चे आकर्षित होंगे और वे वहां टिक सकेंगे। हम ये सब उपाय करने का विचार रखते हैं और मुझे आशा है कि तीसरी योजना की समाप्ति तक 'बरबादी' बहुत कम होगी।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या माननीय मंत्री 'बरबादी' शब्द को प्रारंभिक स्तर के पश्चात निरक्षरता के तौर पर व्ययगत होने के अर्थों में प्रयोग कर रहे हैं या इस अर्थ में कि विद्यार्थी प्रारंभिक स्तर को पास करके उच्च शिक्षा जारी नहीं करते ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : बाद वाले अर्थ में।

†**श्री कालिका सिंह** : क्या लड़कियों के मामले में 'बरबादी' का कारण विवाह है और क्या सरकार विवाह के पश्चात भी उनकी शिक्षा जारी रहे इसके लिये कुछ कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं नहीं समझता कि यह बात है। हो सकता है कि ग्राम्य क्षेत्रों में किसी मामले में ऐसा होता हो परन्तु अधिकतर भारत में आजकल इतनी छोटी आयु में विवाह नहीं होते, कि प्रारंभिक शिक्षा में उस कारण 'बरबादी' हो।

†**डा० मा० श्री० अणे** : श्री भट्टाचार्य के प्रश्न का क्या उत्तर है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : 'बरबादी' का अर्थ बहुत अच्छी तरह समझा जाता है। इसका यह अर्थ है कि जब लड़के या लड़कियां स्कूल में दाखिल किये जाते हैं। प्रारंभ में कुछ बच्चे धीरे-धीरे स्कूल छोड़ते रहते हैं। इसे 'बरबादी' कहा जाता है। मैंने बताया कि बर्बादी का तात्पर्य उससे हैं जिसका उल्लेख प्रश्न के दूसरे भाग में उन्होंने किया है।

†**श्रीमती रेणुका राय** : माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि अनिवार्यता के अतिरिक्त कुछ और प्रोत्साहन अर्थात् मध्यान्ह भोजन और वैसी ही कुछ और योजनाएं जरूरी हैं। यदि ६-११ आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, तो क्या उस आयु के सब बच्चों के लिये उचित व्यवस्था की जाएगी, ताकि 'बरबादी' न होने पावे ? केवल मात्र अधिनियम के द्वारा अनिवार्यतः का अधिक लाभ नहीं होगा।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्या एक बहुत महत्वपूर्ण समिति की सभापति हैं जो इस प्रश्न पर विचार कर रही हैं। ज्यों ही उस समिति की सिफारिशें हमारे पास आएंगी, तो अपने संसाधनों के अनुसार उनको कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

†**श्रीमती रेणुका राय** : तीसरी योजना के लिये क्या उपबंध है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हम इस प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : माननीय मंत्री के उत्तर से यह पता चलता है कि 'बरबादी' का अनुमान भी संभवतः बिल्कुल सही नहीं है और विवरण में यह कहा गया है कि भद्दे और तैयार तरीके हमेशा ठीक नहीं होते। बरबादी का उपाय अनुमान लगाने के लिये और क्या उपाय करने का विचार किया गया है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य विवरण में देखेंगे कि यह हमारी एक बड़ी परियोजना बनने वाली है कि तीसरी योजना में 'बरबादी' की समस्या की सविस्तार जांच की जाए और हम शीघ्र ही समूचे देश के लिये यह सर्वेक्षण आरंभ करेंगे।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मौंटेग चैमस्फोर्ड सुधारों के समय जो हर टोग समिति नियुक्त की गई थी उसने भारत में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण किया और इसने 'बरबाद' को इन अर्थों में प्रयोग किया कि कुछ अवधि तक शिक्षा पाने के पश्चात् निरक्षरता में व्ययगत हो जाना? क्या माननीय मंत्री उसे भी ध्यान में रखेंगे?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह कार्रवाई के लिये सुझाव है।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : विवरण के अन्त में कहा गया है कि आकस्मिक नमूने के तौर विस्तृत जांच की जरूरत है। क्या इसके लिये कोई निश्चित योजना बनाई गई है और यह कब कार्यान्वित की जाएगी?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य विवरण के पिछले भाग का उल्लेख कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि देश के विभिन्न भागों में आकस्मिक नमूने के तौर पर विस्तृत जांच की जाए। यह शिक्षा संबंधी अनुसंधान के लिये तीसरी योजना में शामिल की गई एक बड़ी परियोजना है। मैं पहले बता चुका हूं कि हम तीसरी योजना में यह अध्ययन आरंभ करना चाहते हैं। योजना तैयार नहीं की गई है और तैयार होने पर कार्यान्वित की जाएगी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मंत्री के विवरण में 'बरबादी' में अधिकांशतः फेल होने वाले बच्चों की संख्या शामिल है? क्या उनको रोकने के लिये कोई उपाय किये जाते हैं?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस विवरण में 'बरबादी' और 'अविकाम' दोनों शामिल हैं।

कोयला परिषद्

†***९३४. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला परिषद् की अगली बैठक कब होगी;

(ख) उसमें संभवतः किन विषयों पर चर्चा होगी; और

(ग) क्या इस परिषद् के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का सरकार का विचार है?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) कोयला परिषद की आगामी बैठक सितंबर १९६१ में होने की संभावना है।

(ख) परिषद् में चर्चा किये जाने वाले पदों में कोयले की तीसरी योजना और उससे संबद्ध मामले शामिल हैं। परिषद् अपनी पिछली बैठक के पश्चात् अपनी विभिन्न समितियों के काम पर भी विचार करेगी।

(ग) जी नहीं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या कोयला परिषद् पिछली बैठकों में की गई विभिन्न सिफारिशों के बारे में विचार करेगी?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी हां। यह कार्यावलि में एक प्रमुख मद है कोयला परिषद के पिछले निर्णयों और सिफारिशों की कार्यान्विति की प्रगति।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : कोयला परिषद ने विभिन्न स्थानों पर कम तापमान कार्बनीकरण संयंत्र लगाने की सिफारिश की है। सरकार ने इसे लगाने के लिये कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह पृथक प्रश्न है कि आया कम तापमान कार्बनीकरण संयंत्र स्थापित किया जाना चाहिय या नहीं। विभिन्न बातों संसाधन आदि का परीक्षण करना पड़ता है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या समिति की सिफारिशें मंत्रणात्मक[1] हैं या समाज्ञापक[2]?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : ये समाज्ञापक नहीं हैं।

लुब्रिकेटिंग तेलों का उत्पादन

+

†*९३५. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री कोडियान :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में लुब्रिकेटिंग तेलों के उत्पादन की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयात किया हुआ या देशी अशोधित तेल का उपयोग किया जायगा; और

(ग) क्या रूसी विशेषज्ञों ने इस संबंध में कोई सिफारिशें की हैं?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Advisory

[2] Mandatory

(ख) फिलहाल देसी अशोधित।

(ग) जी हां।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सरकार ने रूसी सहायता से एक संयंत्र लगाने की कोई परियोजना स्वीकार कर ली है ; और यदि हां, तो यह कब शुरू होगी और इसे पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : वर्तमान स्तर पर पक्की परियोजना बरौनी तेलशोधक कारखाना है जहां लुब्रिकेटिंग तेल भी बनाया जाएगा। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, यह बरौनी तेलशोधक कारखाना रूसी सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति यह है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : हमारी आवश्यकताओं की तुलना में इस संयंत्रका अनुमानित उत्पादन क्या होगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : बरौनी तेल शोधक कारखाने में उत्पादन में लगभग ४५,८०० टन LVI लब्रिकेटिंग मोटर तेल और औद्योगिक तेल का उत्पादन शामिल है। लुब्रिकेटिंग तेल भी हमारी जरुरत तीसरी योजना अवधि की समाप्ति तक ४५०,००० टन तक होने की संभावना है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : बरौनी की उत्पादन क्षमता क्या है और लुब्रिकेटिंग तेल के लिये हमारे देश की वार्षिक आवश्यकता की तुलना में यह कितनी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह सवाल उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री कासलीवाल** : केवल तीन दिन पहले माननीय खान और तेल मंत्री ने बताया था कि लुब्रिकेटिंग तेल गैर-सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में तैयार किया जायेगा। क्या अब अधिकतर तेल सरकारी क्षेत्र में तैयार किया जायेगा या गैर-सरकारी क्षेत्र में ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह तथ्य है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने हैं और हम सरकारी क्षेत्र में भी तेल शोधक कारखाने रखेंगे। लुब्रिकेटिंग तेल इन कारखानों में अन्य उत्पादों के साथ साथ तैयार किया जा सकता है। उस सीमा तक कोई तथ्य भेद नहीं है महत्वपूर्ण बात यह है कि आयात किये गये तेल के आधार पर एक लुब्रिकेटिंग संयंत्र लगाने का विचार कर रहे हैं परन्तु अभी वह अध्ययन स्तर पर है । आयात किये जाने वाले कच्चे तेल के आधार पर एक लुब्रिकेटिंग संयंत्र लगाने के लिये संसाधनों के रूप में अभी तक योजना में कोई पक्का उपबन्ध नहीं है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने में लुब्रिकेटिंग तैयार किया जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या तीसरी योजना अवधि में, लुब्रिकेटिंग तेल की हमारी आवश्यकता गैर-सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों से पूर्णतः पूरी की जायेगी या क्या सरकार बाहर के लुब्रिकेटिंग तेल का आयात करने का कोई सस्ता साधन खोज रही है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य के मन में कुछ भ्रम है। इस समय लुब्रिकेटिंग तेल की हमारी आवश्यकता गैर-सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों से या सरकारी

---

†मूल अंग्रेजी में

कारखानों के उत्पादन को मिला कर दोनों के देसी उत्पादन से पूरी नहीं हो रही है। हम लुब्रिकेटिंग तेल का आयात कर रहे हैं। हमारा प्रयत्न यह है कि हम देश में उत्पादन करने का प्रयत्न करें और उस सीमा तक मैं ने बता दिया है कि हम क्या कार्यवाही करने का विचार करते हैं अर्थात बरौनी कारखाने में अतिरिक्त एक उत्पादन क्षमता की स्थापना करना, जिस के बारे में पक्का फैसला किया जा चुका है। दूसरी परियोजना विचाराधीन है, परन्तु मैं नहीं कह सकता कि संसाधनों की कमी के कारण उस के बारे में कोई पक्का उपबन्ध है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

योगासनों का चिकित्सा की दृष्टि से महत्व

†*९३६. **श्री हेमराज** : क्या शिक्षा मंत्री १७ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योगासनों का चिकित्सा की दृष्टि से महत्व मालूम करने के लिये बनायी गयी समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट पेश करदी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस की प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) कार्य पूरा हो गया है और समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन अगले महीने में पेश किये जाने की आशा है।

(ख) इस का विचार समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के पश्चात् किया जायेगा।

जामिया मिलिया इस्लामिया और गुरुकुल कांगड़ी आदि को संविहित मान्यता

*९३७. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री, २ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जामिया मिलिया इस्लामिया, गुरुकुल कांगड़ी और इंडियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज जैसी राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं को संविहित मान्यता प्रदान करने के प्रश्न के बारे में क्या निश्चय किया गया हैं और उस निश्चय के अनुसार क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : विषय अब भी विचाराधीन है।

सशस्त्र सैनिक बल मुख्यालय में सुपरिन्टेन्डेन्टों और आफिसर सुपरवाइजरों के कार्य

†*९३८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सैनिक बल मुख्यालय, नई दिल्ली, के आफिसर सुपरवाइजरों और सुपरिन्टेन्डेन्टों के काम प्रायः वही हैं जो प्रतिरक्षा मंत्रालयों के सैक्शन अफसरों के हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) क्या आफिसर सुपरवाइजर और सुपरिन्टेन्डेन्ट, दोनों ही, एक ही सैक्शन के भार साधक हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सुपरवाइजरों की पदालि अनावश्यक होने के कारण उसे समाप्त करने का सरकार का विचार है; और

(घ) इस मितव्ययता से कितनी वार्षिक बचत होने का अनुमान है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) प्रतिरक्षा मंत्रालय का सचिवलय पक्ष और सशस्त्र सैनिक बल मुख्यालय विभिन्न पद्धतियों पर संगठित है। सशस्त्र सैनिक-बल मुख्यालय में आफिसर सुपरवाइजर, जो गज़ेटेड अधिकारी है, और उन के अन्तर्गत काम करने वाले सुपरिन्टेन्डेन्ट विभिन्न स्तरों पर अधिक्षण कार्य करते हैं। मंत्रालय के सैक्शन आफिसर, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा (श्रेणी २ गज़ेटेड) के हैं सचिवालय पक्ष में निहित प्रक्रिया के अन्तर्गत आवश्यक कृत्य करते हैं।

(ख) सशस्त्र सैनिक बल मुख्यालय में सुपरिन्टेन्डेन्ट एक सेक्शन का इन्चार्ज़ होता है परन्तु आफिसर सुपरवाइजर ऐसे एक अथवा कुछ मामलों में दो सैक्शनों का प्रशासन करता है।

(ग) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(घ) उत्पन्न नहीं होता।

जम्मू और काश्मीर के संसद् सदस्य

*९३९. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस विषय में कोई ज्ञापन मिले हैं कि जम्मू और काश्मीर के संसद सदस्य जनता द्वारा चुने जाने चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो सरकर की उस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर)** : (क) हाल में ऐसा कोई स्मारक पत्र नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खनिजों की खोज के लिए पुरस्कार

†*९४०. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बहादुर सिंह :
श्री नेक राम नेगी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक महत्व के नये खनिज निक्षेपों की खोज के बारे में जो लोग जानकारी देते हैं, क्या उन्हें पुरस्कार देने का केन्द्रीय सरकार ने निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पुरस्कार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ३१६२/६१]

भारतीय पेट्रोलियम संस्था, देहरादून

†*९४१. श्री सुबोध हंसदा :
श्री नेक राम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहरादून में भारतीय पैट्रोलियम संस्था (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पैट्रोलियम) की स्थापना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ,

(ख) क्या वे सभी फ्रांसीसी टैक्नीशियन जो इस संस्था की स्थाना तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के विषय में सहायता करने वाले हैं; यहां पहुंच गये हैं; और

(ग) इस परियोजना के पूरे हो जाने के बाद कितने समय तक ये फ्रांसीसी विशेषज्ञ यहां रहेंगे ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) देहरादून में संस्था के लिये भूमि अर्जित करने के लिये कदम उठाये गये हैं; । चार प्रशिक्षणार्थी फ्रेंच इंस्टीट्यूट आफ पैट्रोलियम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और चार का एक अन्य दल शीघ्र ही जाने वाला है :

(ख) नहीं, श्रीमान्, अभी तक चार विशेषज्ञ आये हैं ।

(ग) जुलाई, १९६५ के बाद, जब कि परियोजना का कार्यकरण पूरी तरह होने लगेगा, फ्रांसीसी विशेषज्ञों के स्थान पर धीरे धीरे भारतीय अधिकारियों को रखा जायेगा ।

व्यायाम शिक्षा तथा युवक-कल्याण सम्बन्धी समन्वय समिति

†*९४२. श्री कोडियान :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री १८ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५७८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यायाम शिक्षा, मनोरंजन तथा युवक कल्याण संबंधी सभी योजनाओं का समन्वय करने के लिये नियुक्त की गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट की मूख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उस रिपोर्ट की छानबीन कर के कोई निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं, श्रीमान् :

(ख) से (घ). उत्पन्न नहीं होते ।

नान-कोकिंग कोयले की धुलाई के कारखाने

†*९४३. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन अनुसन्धान संस्था ने उन क्षेत्रों से, जहां कोयला धुलाई कारखाने खोलने का विचार है, प्राप्त नान-कोकिंग कोयले की धुलाई संबंधी विशेषताओं और उस कोयले की धुलाई में नफा नुकसान के बारे में अपनी जांच पड़ताल पूरी कर ली है ?

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). जी हां, केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था ने करणपुरा (बिहार) और मध्य भारत के कोयला क्षेत्रों से लिये गये नांन-कोकिंग कोयले की धुलाई संबंधी विशेषताओं पर अनुसन्धान समाप्त कर लिया है । करणपुरा में कोयला धोने के कारखाने की स्थापना के लिये अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । मध्य भारत के कोयला-क्षेत्रों के नान-कोकिंग कोयले की धुलाई के आर्थिक पहलू की विभिन्न तत्वों के प्रसंग में जांच की जा रही है जिन में सब से महत्वपूर्ण बीच के कोयले के निपटान की व्यवस्था है ।

पश्चिम बंगाल में खनिजों की खोज

†*९४४. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल के भूतत्वीय सर्वेक्षण में पश्चिम बंगाल के विस्तृत भूखंडों में विभिन्न प्रकार के खनिजों का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं और किन किन जिलों में वे पाये गये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा मिदनापुर जिले में मेंगनीज अयस्क, लौह-अयस्को, सफेद मिट्टी और क्यानाइट, बीरभूम जिले में सफेद मिट्टी और बंकुरा, पुरुलिया तथा बर्दबान जिलों में कोयला पाया जाना दर्ज किया गया है ।

पुनर्वित्त निगम

†*९४५. **श्री मुरारका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूंजी उपकरण के आयात के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में सहूलियत के लिये पुनर्वित्त निगम का काम काज बढ़ाने के विषय में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम १९५९ में उन औद्योगिक संस्थापनाओं से विदेशी मुद्रा में ऋणों के लिये प्राथनापत्रों पर विचार करने के लिये सहमत हो गया था जिन्होंने पुनर्वित निगम से रुपए की मुद्रा में वित्त प्राप्त किया था । यह व्यवस्था स्वयं पुनर्वित्त निगम की अगुवाई पर की गई थी ।

(ख) अन्तर्राष्ट्राय वित्त निगम द्वारा उन्हीं मामलों में सहायता की जायेगी जिन में निर्यात, अर्जन अथवा विदेशी मुद्रा में बचत की निश्चित सम्भावना हो और वह उसकी सामान्य नीति के अन्तर्गत ही होगी ।

दिल्ली में सोना पकड़ा जाना

†*९४६. { श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशुल्क अधिकारियों ने मई, १९६१ में नई दिल्ली रेलवे स्टेनश पर लगभग दो लाख रुपये के मूल्य की सोने की छड़ें पकड़ीं थीं; और

(ख) यदि हां, तो तस्कर व्यापार करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) हां, श्रीमान् । २२ मई, १९६१ को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगभग २ लाख रुपये की सोने की छड़ें और सावरेन पकड़े गये थे ।

(ख) इस संबंध में दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे जिन्हे बाद में न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया । मामले की जांच की जा रही है ।

विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पत्र-व्यवहार शिक्षाक्रम

†*९४७. { श्री वाजपेयी :
श्री चुनी लाल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री क० भें० मालवीय :
श्री तंगामणि :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन छात्रों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल पाता, क्या उन के लिये पत्र व्यवहार शिक्षा क्रम शुरु करने की योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की स्थूल रूप रेखा क्या है और वह कब तक चालू की जायेगी; और

(ग) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में यह योजना कार्यान्वित करने के लियें कोई रकम रखी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है :

विवरण

(क) और (ख). चुने हुए विश्वविद्यालयों में पत्रव्यवहार शिक्षा क्रम चालू करने की योजना का ब्यौरा डा० डी० एस० कोठारी के सभापतित्व के अन्तर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया जा रहा है आशा है कि पत्र व्यवहार शिक्षा क्रम का लाभ उन अभ्यर्थियों द्वारा उठाया जायेगा जो किसी संगठन में नियोजित हैं और/अथवा जो विश्वविद्यालय और कालेज केन्द्रों से बहुत दूर रहते हैं अथवा किन्हीं अन्य कारणों से रेगुलर कालेज में भरती नहीं हो सकते हैं । पत्र व्यवहार विद्यार्थियों को वही डिग्रियां प्रदान करने का विचार किया जा रहा है जो रेगुलर कालेज में अध्ययन करने वालों को प्रदान की जाती हैं;

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में सायंकालीन कालेजों और पत्र व्यवहार शिक्षाक्रम की योजना के क्रियान्वयन के लिये १·२० लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है ।

इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिए श्री लंका को सहायता

†*६४८. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, इस्पात कारखाना स्थापित करने की श्रीलंका की योजना में श्रीलंका को मदद करने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या मदद देने का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). लंका की सरकार द्वारा एक प्रतिवेदन, जो उस सरकार को लंका में लोहा तथा संयंत्र इस्पात की स्थापना के लिये प्राप्त हुआ था की जांच करने के लिये भारत की सहायता मांगी गई थी और इस प्रयोजन के लिये दो विशेषज्ञ लंका भेजे गये थे । भारत में इस्पात के कारखानों में लंका के प्रविधिज्ञों को प्रशिक्षण देने के उपबन्ध के सम्बन्ध में भी विचार किया जा रहा है ।

टेप-रिकारडरों का निर्माण

†*६४९. **श्री सुब्बया अम्बलम :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दलजीत सिंह :
श्री ले० अचौ सिंह :

†क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर में टेप-रिकार्डर तैयार करने के बारे में मेसर्स निपन इलैक्ट्रिक कम्पनी के साथ कोई करार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कितने प्रकार के टेप-रिकार्डर तैयार करने का विचार है और किस-किस लागत पर; और

(घ) जनता के लिये उत्पादन संभवतः कब शुरू होगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) करार का ब्यौरा प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

(ग) इस समय मेसर्स निपन इलैक्ट्रिक कम्पनी के साथ करारों के अन्तर्गत निम्न प्रकार के टेपरिकार्डरों का निर्माण किया जा रहा है :—

	किस्म	अनुमानित मूल्य
		रुपये
१. कोन्सोल टाइप टेप रिकार्डर	डी० एन०-३आई० आर० इन्ड०	१३,१९०
२. पोर्टेबिल टाइप टेप रिकार्डर	डी० एन०-८२ आर० - इन्ड०	३,८४०
३. टेप डैक	डी० एन०-७२ पी०. इन्ड०	४,६८०

(घ) उत्पादन अप्रैल-मई, १९६२ तक प्रारम्भ हो जाने की आशा है । भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में बनाये जाने वाले टेपरिकाडर बहुत ऊंची किस्म के हैं और आकाशवाणी की आवश्यकताओं और विशेष विवरणों की पूर्ति के लिये तैयार किये गये हैं इसलिये सामान्य जनता उनके लिये उत्सुक नहीं होगी ।

कांगो में भारतीय विमान बल की टुकड़ी

†*९५०. **श्री कालिका सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विमान बल की उस टुकड़ी ने जिसमें ११ अफसर और ३६ एयरमैन थे, कांगों में अपनी उपस्थिति के दौरान क्या क्या काम किये ;

(ख) कांगों में संयुक्त राष्ट्र संघ विमान बल की रचना किस प्रकार है और उसका मुख्य कार्य क्या है; और

(ग) भारतीय विमान बल की और कौन सी दूसरी टुकड़ी ने कांगों में काम किया या निकट भविष्य में संभवतः काम करने वाली है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) भारतीय विमान बल की उस टुकड़ी का मुख्य कार्य असैनक कर्मचारियों, सेनाओं और उपकरण को विमानों में ढ़ोने के अतिरिक्त अभावग्रस्त क्षेत्रों को असैनिक संभरणों का परिवहन और खाद्यान्न तथा औषधियां पहुंचाना है ।

(ख) कांगों में राष्ट्रसंघीय विमान बल में दस राष्ट्रों के कर्मचारी हैं । उसमें तीन परिवहन दल और एक एयर मैन्टेनेन्स बेस है । एयर कम्पोनेन्ट का कमान्ड करने वाला एयर कमान्डर विमान परिवहन कार्य के लिये फोर्स कमाण्डर को उत्तरदायी है ।

राष्ट्रसंघीय विमान बल का मुख्य कार्य असैनिक कार्यों के लिये कांगोली और राष्ट्रसंघीय कर्मचारियों को विमान परिवहन सहायता देना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रार्थना पर भारतीय विमान बल के २८ अधिकारी और ७९ एयर मैन कांगो भेजे गये हैं। १३ अधिकारी और ४५ एयर मैन वापिस आ गये हैं और इस प्रकार १५ अधिकारी तथा ३४ एयर मैन वहां शेष रह गये हैं।

राज्य सेवाओं में भरती के लिये अधिवास संबंधी निर्बन्धन

†*९५१. **श्री झूलन सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां उनकी सेवाओं में भर्ती के लिये उन राज्यों से बाहर के विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई उपाधियों को नियमतः मान्यता प्रदान न करके अब भी अधिवास-सम्बन्धी निर्बन्धन अप्रत्यक्ष रूप से लागू किये जा रहे हैं और

(ख) यदि हां, तो सरकारी नियोजन (निवास संबंधी अपेक्षा) अधिनियम, १९५७ के उपबंधों से उत्पन्न स्थिति के अनुसार इन राज्यों में स्थिति उत्पन्न करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). इस मामले पर हाल में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था। यह सामान्यतः स्वीकार किया गया था कि राज्य की सेवाओं में भर्ती के प्रयोजन के लिये केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों और डिप्लोमाओं को मान्यता दी जानी चाहिये।

सिक्किम में तांबे की खानें

†*९५२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिक्किम की तांबा खानों से तांबा निकालने के लिए आज तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारतीय खान विभाग, सिक्किम में भोटांग (रांगपो), पत्रेरवानी और डीकचू में तांबा, सीसा और जस्ता निक्षेपों की छिद्रण द्वारा १९५७ से विस्तृत खोज कर रहा है ।

२. भोटांग में निक्षेपों का होना अंतिम रूप से सिद्ध हो गया है और इस निक्षेप के सिक्किम खनन निगम के माध्यम से खनन के लिए कार्यवाही की गई है । निगम की स्थापना २७ फरवरी, १९६० को सिक्किम दरबार की सिक्किम में भोटांग तथा अन्य स्थानों में तांबा, सीसा, जस्ता और अन्य खनिजों के विकास की घोषणा द्वारा की गई थी? निगम की प्राधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपए जो सौ-सौ रुपए के १ लाख पूर्णतः प्रदत्त अंशों में विभाजित है जिसमें से ५१ प्रतिशत अंश सिक्किम दरबार के होंगे और ४९ प्रतिशत भारत सरकार के तथा सिक्किम दरबार को और अंश खरीदने का अधिकार होगा । निगम का वास्तविक कार्य-करण मई, १९६० में प्रारम्भ हुआ तथा उसने खनन पट्टा प्राप्त करना, प्रशासकीय एवं रहने की इमारतों की निर्माण और खनन, कर्मशाला तथा प्रयोगशाला के उपकरण के व्यादेश देने,

†मूल अंग्रेजी में

ताकि १९६१ के अन्त तक उत्पादन प्रारम्भ हो जाए, जैसी आवश्यक व्यवस्था करने में अच्छी प्रगति की है । खान से प्रतिदिन १०० टन अयस्क निकलेगा जिससे तांबा, सीसा और जस्ता के ११ टन कनसेन्ट्रेट का उत्पादन होने की आशा है ।

३. पचेखानी और डीकचू में खोज कार्य अभी जारी है और निक्षेपों का होना सिद्ध हो जाने पर उनके खनन के लिए कार्यवाही करने का विचार किया जाएगा।

केरल में प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क भोजन के लिये "केअर"[1] के साथ करार

†*९५३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केरल सरकार ने अमरीका के एक सामाजिक संगठन "केअर" के साथ एक करार किया है जिसके अधीन वह प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क मध्याह्न भोजन देने के लिए चालू वर्ष में लगभग ६ से ८ करोड़ रुपये के मूल्य का गेहूं मुफ्त देगा ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा विदेशी अभिकरणों के बीच ऐसे सीधे करार का अनुमोदन कर दिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) अभी तक ऐसा कोई करार नहीं किया गया है । केरल सरकार ने यह मामला भारत सरकार को निर्दिष्ट किया है और उसकी जांच की जा रही है ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

नागाओं की हिरासत में भारतीय विमान बल के पदाधकारियों के आश्रितो को भत्ता

†*९५४. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा लैंड में भारतीय विमान बल के गिरफ्तार पदाधिकारियों के आश्रितों को कोई भत्ता दिया जाना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). नागा विद्रोहियों के हाथ में जो भारतीय विमान बल के अधिकारी हैं उनमें से केवल एक अधिकारी का एक आश्रित (पत्नी) है और उसे, अधिकारी को २६ अगस्त, १९६० को "लापता—ब्यौरा अज्ञात" घोषित किए जाने के बाद, २७ अगस्त, १९६० से विशेष परिवार भत्ता दिया गया है । यह भत्ता २६ दिसम्बर, १९६० तक ३०८ रुपए २५ नए पैसे प्रति माह और उसके बाद १६० रुपए प्रति माह की दर से भुगतान किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]"Care."

बाढ़-ग्रस्त राज्यों को सैनिक सहायता

†*९५५. श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री वारियर :
श्री कोडियान :
श्री गु० के० जेधे :
श्री पांगरकर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सैनिक बाढ़ की बरबादी से गांवों को बचाने के लिए राज्य सरकारों को अपने काम में सहायता पहुंचाने में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं ;

(ख) किन-किन राज्यों में प्रतिरक्षा सेवाओं न १९६१ में अब तक सहायता की है ; और

(ग) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्यों के लिए सैनिकों को भेजने में कोई अतिरिक्त खर्च किया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान् । एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें यह ब्यौरा दिया हुआ है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४३ ।]**

(ग) हां, श्रीमान् । अतिरिक्त व्यय, सैनिकों के सामान्य वेतन तथा भत्तों को निकाल कर, असैनिक अधिकारियों से वसूल किया जायेगा ।

रूरकेला इस्पात कारखाने के मजदूरों द्वारा प्रदर्शन

†*९५६. **श्री अमजद अली** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने के लगभग २०० मजदूरों ने १९ जुलाई, १९६१ को परियोजना प्रशासक के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रदर्शन करने के क्या कारण थे ; और

(ग) क्या परियोजना पदाधिकारियों ने उनकी मांगें मान ली हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रदर्शन का तुरन्त कारण एक स्किप आपरेटर द्वारा आत्महत्या बताया जाता है ।

(ग) प्रदर्शनकारियों ने संयंत्र के जनरल मैनजर को जो ज्ञापन दिया उसमें उन्होंने मजूरी बढ़ाने की मांग की थी। कुशल श्रमिकों की वर्तमान मजूरी हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा जून, १९५९ में नियुक्त की गई समिति की उपपत्तियों पर आधारित है । सरकार ने

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड की स्थापना के निर्णय की घोषणा की है । वेतनक्रमों का पुनरीक्षण बोर्ड के प्रतिवेदन पर निर्भर होगा ।

अतिवयस्क पदाधिकारी*

†*९५७. **श्री त्यागी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न मंत्रालयों तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संगठनों में कितने अतिवयस्क पदाधिकारियों को नियुक्त या पुनः नियुक्त किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : सूचना एकत्रित की जा रही है और कालान्तर में सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण सुविधायें

†*९५८. **श्री तंगामणि :**
श्री प्रभात कार :

क्या **शिक्षा** मंत्री १५ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ में राज्य सरकारों को प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण सुविधा विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत आय व्ययक में जो २७५ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया था क्या वह सारी राशि प्रयोग कर ली गई है ;

(ख) पश्चिम बंगाल, मद्रास और केरल राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ग) १९६१–६२ के चालू वर्ष के लिए कितनी राशि का उपबन्ध किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) २७५ लाख रुपए के बजट उपबन्ध में से विभिन्न राज्य सरकारों को २४७ २ लाख रुपए की मंजूरियां जारी की गई थीं।

(ख) १९६०–६१ में पश्चिम बंगाल सरकार को ३१,२८,२७० रुपए मंजूर किए गए थे । मद्रास तथा केरल सरकारों ने इस केन्द्र द्वारा घोषित योजना को, क्रियान्वित नहीं किया ।

(ग) भारत सरकार द्वारा १९६१–६२ में कोई भी बजट उपबन्ध नहीं किया गया है ।

दुर्गापुर इस्पात परियोजना

†*९५९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रिटेन में बैंक के ब्याज की दर बढ़ जाने से दुर्गापुर इस्पात परियोजना के लिए ब्रिटेन को वापस लौटाई जाने वाली राशि में कितनी वृद्धि होगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : ४८ लाख रुपए के लगभग यदि बढ़ी हुई बैंक दर १९६३ के अन्त तक जारी रही ।

---

†मूल अंग्रेजी में
*Superannuated officers.

अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†*९६०. **श्री बा० चं० कामले :**
श्री बालकृष्ण वासनिक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के ६ जून, १९६१ के परिपत्र संख्या एफ ५–६/६१ एस सी एच––४ के अनुसार, जिस पर "तत्काल" अंकित था, केवल अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां देने के मामले में (१) साधन तथा (२) योग्यता परीक्षा लागू करने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार की इस परिवर्तित नीति के कारण अनुसूचित जातियों के अनेक विद्यार्थी छात्रवृत्ति की सुविधा से वंचित हो जायेंगे और उनकी शिक्षा रुक जायगी ; और

(ग) मैट्रिक के बाद भी कक्षाओं में अनुसूचित जाति के सभी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) परिपत्र के अनुसार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए केवल 'साधन परीक्षा' १९६१–६२ से चालू की गई है।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

संघ राज्य-क्षेत्रों में प्रशासन व्यवस्था

†*९६१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री कोडियान :
श्री अ० म० गोपालन :
श्री वाजपेयी :
श्री पांगरकर :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अ० मु० तारिक :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य-क्षेत्रों में भी प्रशासन-व्यवस्था में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर)** : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

जीवन बीमा निगम की प्रीमियम दर

†*९६२. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री २३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम की प्रीमियम की दरें कम करने के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). प्राक्कलन समिति ने अपने जीवन बीमा निगम सम्बन्धी प्रतिवेदन में उनहत्तर सिफारिशें की हैं जिनमें प्रीमियम कम करने से सम्बन्धित सिफारिशें भी शामिल हैं। जीवन बीमा निगम के टिप्पण आमंत्रित किए गए हैं। आशा है कि वे शीघ्र उपलब्ध हो जायेंगे उनके प्राप्त होते ही सरकार प्राक्कलन समिति की सिफारिशों की अग्रेतर जांच करेगी और उन पर निर्णय करेगी।

नये विश्वविद्यालयों की स्थापना

†*९६३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री कालिका सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अगले दो वर्षों में देश में स्थापित होने वाले नये विश्वविद्यालयों के बारे में कोई जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार कोई सहायता दे रही है और यदि हां, तो क्या ; और

(ग) क्या राज्य सरकारों को इस बारे में कोई मंत्रणा दी गई है कि विश्वविद्यालय किस प्रकार के हों ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४४]**

(ग) अभी तक नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

खम्भात प्रदेश में तेल शोधक कारखाना

†*९६४. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री कालिका सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री क० उ० परमार :
श्री आगाड़ी :
श्री सुगन्धि :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खम्भात प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के बारे में आज तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) कारखाने का काम कब आरम्भ होगा ; और

(ग) यह कब पूरा होगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (ग). स्थान चुनाव समिति तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने प्रस्तावित गुजरात तेल-शोधनशाला के लिए गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले के बड़ौदा ताल्लुके में कोयाली नामक स्थान का अनुमोदन किया है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से भूमि के अर्जन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है। शोधन शाला में साफ किए जाने वाले कच्चे तेल के प्रतिनिधि नमूने अनुसन्धान और विश्लेषण के लिए रूस भेजे गए हैं ताकि शोधनशाला और उत्पादों के डिजाइन आंकड़े निश्चित किए जा सकें ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के तैयार और पेश किए जाने, उपकरण और मशीनों के संभरण आदि से संबंधित मामलों के बारे में सोवियत प्राधिकारियों को लिखा गया है। शोधनशाला के १९६४ के अन्त तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

पवन शक्ति विभाग

***९६५. श्री भक्त दर्शन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २० दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पवन शक्ति विभाग के कार्य में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (१) पहले-पहल जो बारह पवनचक्कियां बनाई गईं थी, उन में से एक बंगलौर में और दूसरी महाराष्ट्र में उत्तरी सतारा जिले के जन्भुलनी गांव में लगाई गई हैं। दूसरी पवन चक्कियां लगाने के लिये गुजरात, मैसूर, महाराष्ट्र सरकारों को लिखा गया है।

(२) ६० और पवनचक्कियों के हेड मेकेनिजम और टावर बनाने के लिये आर्डर दे दिया गया है।

(३) काश्मीर में लद्दाख क्षेत्र के सर्वेक्षण का पता लगा है कि वह मीडियम साइज़ के बिंड इलेट्रिक जनरेटर लगाने के लिये उपयुक्त है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) आस्ट्रलिया से ५ विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर मंगाने के लिये आर्डर दे दिया गया है।

(५) पोरबंदर के 'खापट कृषि फार्म' में लगाये गये विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर को पानी पम्प करने के लिये काम में लाया जा रहा है।

इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसन्धान सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट

†*९६६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थैकर समिति ने इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसन्धान तथा उसकी भावी आवश्यकताओं के बारे में रिपोर्ट सरकार को दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो वह रिपोर्ट कब दी गई है थी ; और

(ग) क्या यह सभा पटल पर रखी जायगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) १२ अगस्त, १९६१ को।

(ग) प्रतिवेदन की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का भूकम्पीय सर्वेक्षण

†*९६७. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी के भू- भौतिकीय विशेषज्ञ उत्तर प्रदेश, बिहार, और पश्चिम बंगाल में तेल की संभाव्यता की जांच पड़ताल करने के लिय भू-कम्पीय सर्वेक्षण कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ; और

(ग) अब तक क्या सफलता मिली है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) कार्य समाप्त होने में कुछ वर्ष और लगेंगे।

(ग) बिहार में मुजफ्फर पुर में एक मनोरंजक भूमिगत विशेषता पाई गई है।

भारत के रक्षित बैंक द्वारा 'रीडिस्काउंटिंग' की सुविधायें

†*९६८. **श्री मुरारका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े बड़े बैंकों ने सरकार से अभ्यावदन किया है कि रक्षित बैंक द्वारा 'रीडिस्काउन्टिंग' (बट्टा काटकर पुनः भुगतान करना) की सुविधाओं में ढील दी जाय ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर विचार किया है और उसका क्या परिणाम रहा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** (क) सरकार को कोई औपचारिक अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है। परन्तु यह ज्ञात है कि कुछ बैंकर भारत के रक्षित बैंक की बिल मार्केट योजना को उदार बनाने के पक्ष में हैं।

(ख) रिजर्व बैंक ने १९६०–६१ में अपनी योजना के अन्तर्गत पेशगियों से संबंधित नीति और उदार कर दी है और बैंकों द्वारा ऋण लेने पर अधिकतम सीमायें हटा दी हैं। निर्यात बिलों के मामले में बैंक ने बैंक में जमा किए जाने वाले व्यक्तिगत प्रामसरी नोट की न्यनतम राशि १०,००० रुपए से घटाकर ५,००० रुपए कर दी है।

आयुध कारखाना, कानपुर

†*९६९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर के आयुध कारखाने का विस्तार करने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो विस्तार प्रोग्राम का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उत्पादन में १९५८–५९ की अपेक्षा अत्यधिक वृद्धि हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) विस्तृत कार्यक्रम का ब्यौरा अभी अंतिम रूप से तैयार नहीं किया गया है। परियोजना प्रतिवेदन सितम्बर, १९६१ तक तैयार हो जाने की आशा है ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) १९५९–६० में उत्पादन १९५८–५९ की तुलना में लगभग २१ प्रतिशत बढ़ गया है।

मनीपुर के लिये पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम

†*९७० **श्री वाजपेयी :**
श्री ले० अचौ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम, १९५० मनीपुर में लागू करने का निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उस क्षेत्र में देश के सुरक्षा के लिए अहितकारी कार्यवाही बढ़ गई है ; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या क्या कार्यवाहियां हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार):** (क) पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम, १९५० मनीपुर में २७–६–१९६१ से लागू किया गया था।

(ख) से (घ). दिल्ली और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों में प्राय: इसी प्रकार के कानून पहले से लागू हैं। त्रिपुरा में भी पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम, १९५० लागू है। ये कानून राज्य की सुरक्षा के लिए घातक कार्यवाहियों का सामना करने और लोक व्यवस्था आदि बनाए रखने का उपबन्ध करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला इस्पात कारखाने में आत्म हत्या

†*९७१. श्री मफीदा अहमद :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने के एक आपरेटर ने धमन भट्टी में कूद कर आत्म हत्या कर ली ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आत्महत्या करने के कारण निश्चित रूप से जान लिये गये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

श्री एस० एन० मिश्र , जो रूरकेला संयंत्र के धमन भट्टी विभाग के स्किप आपरेटर थे, १६ जुलाई, १९६१ की रात्रि को ड्यूटी पर थे। लगभग २ बजे प्रातःकाल शिफ्ट इन्चार्ज ने उन्हें लापता पाया। उसी दिन बाद में श्री मिश्र द्वारा अपने एक मित्र को लिखा गया कहा जाने वाला एक पत्र स्थानीय पुलिस के नोटिस में लाया गया। इस पत्र में उन के धमन भट्टी में कूद कर आत्महत्या करने के इरादे का संकेत था। इस पत्र से यह भी मालूम होता है कि वह अपने तथा अपने मित्रों को मिलने वाले वेतन से संतुष्ट नहीं थे। मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। हिन्दुस्तान स्टील ने भी उस के सम्बन्ध में जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है ।

निर्वाचक नामावलियों का उर्दू में छपना

†*९७२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन स्थानों पर जहां मतदाताओं का एक भाग मुसलमान हो, निर्वाचक सूची उर्दू में छापी जायगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के अनेक संगठनों ने ऐसी प्रार्थना की है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कृ० सेन)** : (क) दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों (लखनऊ नगर, सहापुर, जिला हरिद्वार कस्बे को निकाल पुर, रामपुर, बिजनौर , बरेली, मुरादाबाद, और मुजफ्फर नगर जिलों) में निर्वाचक सूचियां उर्दू में भी तैयार की जाती हैं क्योंकि उन क्षेत्रों के बहुत से मतदाता केवल उर्दू जानते हैं , हिन्दी नहीं जानते।

(ख) और (ग). निर्वाचन आयोग को किसी भी संगठन से निर्वाचक सूची उर्दू में छापने की कोई प्रार्थना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु भाषायी अल्पसंख्यकों के परित्राणों से संबंधित गृह-कार्य मंत्रालय के ज्ञापन और उर्दू के भारत की एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयोग संबंधी प्रेस नोट के आधार पर निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया कि उत्तर प्रदेश के उपरोक्त भागों की निर्वाचक सूचियां उर्दू में भी छापी जानी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली छावनी में स्कूलों के लिये भूमि

*९७३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी में स्कूल की इमारत बनाने के लिये भूमि मुक्त करने के लिये संबंधित सैनिक अधिकारी तैयार नहीं हैं ;

(ख) किन-किन स्कूलों और शिक्षा संस्थाओं के भूमि के लिये प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिये गये हैं ;

(ग) अस्वीकृति के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस मामले में सरकार भविष्य में क्या नीति अपनाना चाहती है ?

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़): (क) प्रत्येक मामले पर उसकी निजी विशेषताओं के आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) (१) चन्द्रभान हायर सेकेंडरी स्कूल ।

(२) आर्या समाज कोप्रेटिव क्राफ्ट सोसाइटी स्कूल ।

उपरोक्त (ख) (१) की दशा में स्कूल को उस भवन में रहने की अनुमति दे दी गई जिस में वह इस समय है। (ख) (२) की दशा में पक्ष को वह शर्तें स्वीकार नहीं हैं जो साधारण हैं और उसे पेश की गई थीं।

(ग) जिन भूमिक्षेत्रों के लिये प्रार्थना की गई है, उनकी भी अब सैनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है।

(घ) स्कूलों के लिये भूमि क्षेत्र तभी पट्टे पर दिए जाते हैं जब वह प्रत्याशित प्रतिरक्षा आवश्यकताओं से फालतू हो।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग

†*९७४. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री २१ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६५३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कार्य की विस्तृत जांच करने और उसके पुनर्गठन के लिये सिफारिश करने के लिये बनाई गई सात सदस्यों की समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** (क) नहीं, श्रीमान्। समिति की स्थापना करने वाले संकल्प के अनुसार प्रतिवेदन ३१ अक्तूबर, १९६१ तक देय नहीं है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अदालती प्रक्रिया को सरल बनाना

†*९७५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्गठित निधि आयोग ने अदालती प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) प्रश्न अभी भी पुनर्निर्मित विधि आयोग के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सीमांत क्षेत्रों में असैनिक कर्मचारी

†*९७६. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १० अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४२६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमांत क्षेत्रों में काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों को कुछ सुविधायें तथा भत्ते देने के प्रश्न पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: मामला अभी विचाराधीन है ।

विदेश जाने वाले विद्यार्थियों की जांच पड़ताल

†*९७७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **शिक्षा** मंत्री १३ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५०४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अध्ययन के लिये, विदेश जाने के इच्छुक विद्यार्थियों की जांच पड़ताल करने के लिये शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: समुचित विचार करने के पश्चात् प्रस्ताव को छोड़ देने का निर्णय किया गया है क्योंकि विद्यार्थियों के प्रार्थनापत्रों की विश्वविद्यालयों द्वारा छानबीन की वर्तमान प्रक्रिया और विदेशी मुद्रा दिये जाने और पासपोर्ट जारी किये जाने से संबंधित हाल में पुनर्विलोकित एवं पुनरीक्षित परिमाण पर्याप्त समझे जाते हैं और ऐसे विद्यार्थियों की अग्रेतर छानबीन की आवश्यकता नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विज्ञान मंदिर

*९७८. श्री भक्त दर्शन :
श्री क० भे० मालवीय :
श्री चुनी लाल :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६९७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नये स्थानों पर विज्ञान मन्दिर स्थापित करने के कार्य में अब तक और क्या प्रगति हुई है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : चुनी गई तीन जगहों में से आंध्र प्रदेश के कोडुर में एक विज्ञान मन्दिर खोला जा चुका है। उन छः प्रस्तावों में से जिन पर विचार हो रहा था, दो मंजूर हो गये हैं, दो पर अभी भी विचार हो रहा है और बाकी के दो छोड़ दिये गये हैं ।

दिल्ली छावनी में असैनिक क्षेत्रों का विस्तार

*९७९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी बोर्ड ने १९५४ में और फिर १९६१ में यह प्रस्ताव पारित किया था कि छावनी में असैनिक क्षेत्रों को बढ़ाया जाये और सरकार ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने बोर्ड की सिफारिशों और निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री फतहसिंह राव गायकवाड) : (क) तथा (ख). १९५४ में छावनी बोर्ड दिल्ली ने चर्च और सदर बाजार के असैनिक क्षेत्रों के विस्तरण के लिये, एक प्रस्ताव पास किया था । सदर बाजार के असैनिक क्षेत्र के विस्तरण को स्वीकार कर लिया गया था, वह भी सिद्धांत के तौर पर । परन्तु उस भूमि की अब सैनिक प्रयोजनों के लिये, आवश्यकता है। उस निमित्त आगे प्रगति अभी रुकी हुई है। इस पर अब सैनिक आवश्यकताओं को सामने रखते हुये पुनरीक्षण करना पड़ेगा ।

दिल्ली के रोशनारा बाग का फिर से बनाया जाना

†२३५६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के रौशनारा बाग को जापानी ढंग का बनाने में क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : झील का क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है। वर्षा का पानी निकाल देने के बाद कुछ और खुदाई करनी पड़ेगी । ढलान पर लगाये जाने वाले पत्थर वहां पहुंचा दिये गये हैं । झील के आसपास बनाये जाने वाले बाग के नक्शे तैयार किये जा रहे हैं । यह कार्य कुछ महीनों में पूरा हो जायेगा । पत्थर लगाने का काम भी साथ साथ होता रहेगा। पौधशाला को भी किसी दूसरे स्थान पर ले जाया गया है, और वहां के नक्शे भी तैयार हो रहे हैं। गुलाब के फूल लगाने और घास की मेढ़ बनाने के लिये जमीन खोदी जा चुकी है । सितम्बर के आखिर तक एक हजार श्वेत गुलाब के पौधे और चमकीले नारंगी रंग के गुलाब के पौधे लगा दिये जायेंगे । अन्य मेढ़ों के बारे में योजना बनाई जा रही है । झील में से निकाली गई मिट्टी का प्रयोग

---

†मूल अंग्रेजी में

करते हुये एक ढोही से पहाड़ी बनाई गई है। भूमि को पौधे लगाने के उपयुक्त बनाया जा रहा है। बारादरी के आसपास के क्षेत्र को मुगल ढंग का बनाने के लिये काम जारी है। इसका नमूना तैयार है ।

दिल्ली में विस्फोट

†२३५८. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री पांगरकर :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री २३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०६६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १० मार्च, १९६१ को दिल्ली में हुये विस्फोट के बारे में जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :(क) और (ख). इस घटना की बड़ी ज़ोर शोर से जांच की गई परन्तु अपराधियों का पता नहीं चल सका ।

असम में जिला और प्रादेशिक परिषदें

†२३५९. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री पांगरकर :
श्री विभूति मिश्र :

क्या गृह-कार्य मंत्री २३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०६९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि असम में जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों को अधिक शक्तियां देने के विचार से संविधान की अनुसूचि में किये गये उपबन्ध का संशोधन करने का प्रश्न किस अवस्था में है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : मामला विचाराधीन है ।

अखिल भारतीय स्कीइंग क्लब[1]

†२३६०. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या शिक्षा मंत्री २३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अखिल भारतीय स्कीइंग क्लब खोलने की योजना का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रजी में

[1] All India Sking Club.

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ; और

(ग) योजना में कहां तक प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

प्राचीन पाण्डुलिपियों का परिरक्षण

†२३६१. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राचीन पाण्डुलिपियां अर्जित तथा परिरक्षित करने की योजना बनाने के लिये भारत विज्ञान समिति द्वारा स्थापित की गई उप-समिति की रिपोर्ट का सरकार ने परीक्षण कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख): विषय विचाराधीन है ।

हिमाचल प्रदेश में राजनैतिक पीड़ित

†२३६२. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री भक्त दर्शन :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री शि० न० रामौल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २६ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७३२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के राजनैतिक पीड़ितों को सहायता देने के ५८ मामलों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश राजनैतिक पीड़ितों की समिति के मामले अभी विचाराधीन हैं ।

पंजाब में तेल सर्वेक्षण

†२३६३. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २६ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७३८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब की ज़ीरा तहसील में तेल सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस तहसील में तेल मिलने की कितनी संभावना है ?

खान, और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) इस क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन के निक्षेप मिलने की संभावना बहुत कम है ।

ग्राम्य संस्थाओं के डिप्लोमों को मान्यता देना

†२३६४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री बै० च० मलिक :

क्या **शिक्षा** मंत्री २६ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले डिप्लोमों को मान्यता देने के लिये राज्यों और विश्वविद्यालयों को राजी करने के लिये किये गये प्रयत्नों का क्या परिणाम रहा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

गुजरात, जम्मू तथा काश्मीर और उड़ीसा के अतिरिक्त जहां कोई ग्राम्य संस्था नहीं है शेष सभी राज्य सरकारों ने अपने वेतन आयोगों से परामर्श करने के पश्चात् ग्राम्य सेवाओं के डिप्लोमों को बी० ए० के समान मान लिया है ।

२. इसी प्रकार दिल्ली, जादवपुर, मद्रास, मराठवाडा, पटना, राजस्थान, एस० एन० डी० टी० (बम्बई), एस० वी० विद्यापीठ, विवश्व भारती और आगरा (बीचपुरी विद्यार्थियों के लिये) विश्वविद्यालयों ने स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश देने के प्रयोजन से ग्राम्य सेवाओं के डिप्लोमों को मान्यता दे दी है ।

३. जामिया मिलिया इस्लामिया ने शिक्षा के स्नातकोत्तर डिप्लोमा क्लास में प्रवेश देने के प्रयोजन से इसे मान्यता दे दी है और करनाटक विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार के सहकारिता विभाग में रोज़गार दिलाने के प्रयोजनार्थ इसे विश्वविद्यालय की प्रथम डिग्री के समान स्वीकार कर लिया है ।

४. कुछ एक मामलों में मान्यता कुछ निश्चित विषयों के लिये दी गई है परन्तु शेष विश्वविद्यालयों और तीन राज्यों से आगे बातचीत चल रही है ।

अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को लागू करना

†२३६५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री बालकृष्णन्

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि अस्पृश्यता सम्बन्धी विधि को अधिक कठोरता से लागू किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकारों ने अपने पदाधिकारियों को यह हिदायतें दी हैं अस्पृश्यता अपराध एक्ट, १९५५ को ठीक तरह लागू किया जाये । उन्होंने एक्ट को लागू करने के कार्य का सार्वधिक पुनरावलोकन करने के लिये राज्य के मुख्यालय में समितियां नियुक्त की हैं ।

भारत में विदेशी छात्र

†२३६६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में इस समय कितने (देशवार) छात्र पढ़ रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : अद्यतन जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ४५]**

स्त्रियों और लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम

†२३६७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१५९, के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि स्त्रियों और लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, १९५६ को अधिक सक्रिय रूप में लागू करने में आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती अल्वा)** : सुझावों पर सरकार अभी विचार कर रही है ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कोषाध्यक्ष का पद

†२३६८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री १ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों अर्थात् बनारस, अलीगढ़ और विश्व-भारती में कोषाध्यक्ष के पद को समाप्त करने की प्रस्थापना का क्या हुआ ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मामला अभी विचाराधीन है ।

स्टेनलैस स्टील का आयात

†२३६९. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में कितने स्टेनलैस स्टील का आयात किया गया और उसका क्या मूल्य था; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) उक्त अवधि में महाराष्ट्र के बड़े और छोटे उद्योगों को स्टेनलैस स्टील का कितना कोटा दिया गया था ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) १९६०–६१ में ५८७९ टन स्टेनलैस स्टील का आयात किया गया जिसका मूल्य ३५,५०३,५७२ रुपये था ।

(ख) स्टेनलैस स्टील का कोटा बर्तन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा ही दिया जाता है । अन्य उपभोक्ताओं को इस्पात नियंत्रक राज्य सरकार की सिफारिश पर वास्तविक उपभोक्त आयात लाइसेंस जारी करता है । अक्तूबर, १९५९—सितम्बर, १९६० की अवधि के लिये अविभाजित बम्बई राज्य को ८५३ टन स्टेनलैस स्टील की चादरें आवंटित की गई थीं । महाराष्ट्र राज्य को अक्तूबर, १९६०—मार्च, १९६१ की अवधि के लिये ४७४ टन दिया गया । यह आवंटन बर्तन उद्योग—बड़े और छोटे उद्योगों—को दिया गया था ।

मध्य प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†२३७०. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि मध्य प्रदेश का पूरी तरह भूतत्वीय सर्वेक्षण किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) भारत सरकार को ऐसी कोई प्रार्थना नहीं मिली है । भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा राज्य में जांच की जा रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मध्य प्रदेश में तेल अनुसंधान सर्वेक्षण

†२३७१. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६०–६१ में मध्य प्रदेश में तेल अनुसन्धान सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस के परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) जी हां ।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने १९६०–६१ में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में १६५ वर्गमील क्षेत्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण किया जिस से पता चला है कि वहां "मैरिन रावस" मौजूद हैं । यह सर्वेक्षण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रादेशिक अध्ययन के कार्यक्रम के अंगस्वरूप भूतत्वीय जानकारी प्राप्त करने के लियेकिया गया था । सरदी के मौसम में इस सर्वेक्षण को पुनः जारी किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में बच्चों का अपहरण

†२३७२. **श्री पांगरकर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ की प्रथम छमाही में कितने बच्चे उठाये गये ;

(ख) कितने बच्चे बरामद कर लिये गये ; और

(ग) इस अपराध के लिये कितने व्यक्ति दोषी सिद्ध हुये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) ५२ ।

(ख) ३९ ।

(ग) ५० मुकदमें रजिस्टर कराये गये जिनमें से २९ की जांच की जानी है । २१ मुकदमें अदालत में ले जाये गये जिनमें से दो का निर्णय हुआ और दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया ।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिये आवास योजनायें

†२३७३. **श्री पांगरकर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों की आवास योजनाओं के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गई ; और

(ख) क्या आवंटित राशि सारी खर्च हो गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों को १९६०–६१ में ३.७५ लाख रुपये की राशि आवंटित की गई ।

(ख) ३.६१ लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं ।

मध्य प्रदेश के गांवों में सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का अध्ययन

†२३७४. **श्री पांगरकर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१ की जनगणना में समुदाय के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का विशेष अध्ययन करने के लिये मध्य प्रदेश के कौन-कौन से गांव चुन गये ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** मध्य प्रदेश में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के लिये चुने गये गावों के नामों की सूची संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४६]**

महाराष्ट्र में विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन

†२३७५. **श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों और कालेजों ने अपने अध्यापकों के लिय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतनक्रम लागू कर दिये हैं ; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने १९६०–६१ में क्या सहायता दी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमती) :** (क) जी हां । ५१ सम्बद्ध कालेजों और तीन विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतनक्रम लागू कर दिये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने १९६०–६१ में ५,२५,१७० रुपये १९ नये पैसे के सहायक अनुदान की मंजूरी दी जिसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(१) नागपुर, पूना और एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनक्रम बढ़ाने के लिये	८१,६५४·८३
(२) बम्बई, मराठवाडा, नागपुर और पूना विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनक्रम बढ़ाने के लिये	४,४३,५१५·३६
कुल .	५,२५,१७०·१९

महाराष्ट्र में छात्रों के पर्यटनों के लिये आर्थिक सहायता

†२३७६. **श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में छात्रों के पर्यटनों के लिये महाराष्ट्र की किन-किन शिक्षा संस्थाओं को कितनी-कितनी राशि दी गई ; और

(ख) दी गई सहायता से किये गये दौरों का ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (श्री का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख) .एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ४७]**

महाराष्ट्र में श्रम और समाज सेवा कैम्प

†२३७७. **श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में महाराष्ट्र की विभिन्न समाज संस्थाओं ने श्रम और समाज सेवा के कितने कैम्प लगाये ;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न कैम्प लगाने के लिये कितनी राशि दी; और

(ग) इस अवधि में क्या क्या काम किये गये ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) ७७ कैम्प ।

(ख) *६०,६६४ रुपये ११ नये पैसे ।

(ग) कैम्पों में जाने वाले व्यक्तियों ने केवल ग्रामीण समुदायों से जान पहचान की बल्कि उन्हों ने सड़कों की मरम्मत, खाद के लिये गढ़े खोदना, वृक्षों के लिये गढ़े खोदना और कुंएं खोदना, स्कूलों की इमारतों की नींवें खोदना और स्कूलों के कमरों की पोताई करना, स्कूल के खेल के मैदानों को समतल करना, आदिवासियों के लिये झौंपड़ियां बनाना और कुंओं को साफ करना और उन में दवाई डालना, इस प्रकार के कई छोटे-मोटे काम किये । कैम्पों में भाग लेने वाली कन्याओं ने शारीरिक सफाई, घर की सफाई, अच्छी तरह रहना और अच्छी खुराक खाना, बच्चों का पालन पोषण, रोगियों की देखभाल, सीने पिरोने का काम सिखाना और मोहल्ले और नालियों की सफाई आदि काम किये ।

टिप्पण : *लेखापरीक्षा होने पर व्यय के आंकड़ों में कुछ अन्तर हो सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में आदिम जाति कल्याण योजनायें

†२३७८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के दौरान पंजाब राज्य में आदिम जाति कल्याण अथवा सड़कों के निर्माण के लिये राज्य और केन्द्र द्वारा अलग अलग कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) क्या पंजाब राज्य के सीमा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिये अलग से अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) लाहौल के सीमावर्ती जिले में सड़कें और भवन निर्माण के लिये ४४ लाख रुपये की व्यवस्था करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा के लिये लौहे चादरें

†२३७९. **श्री पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में उड़ीसा राज्य ने कितनी लोहे की चादरों की मांग कीं;

(ख) वास्तव में कितनी मांग पूरी की गई; और

(ग) लोहे की चादरों की और व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). इस्पात की मांग और आवंटन वित्तीय वर्ष के अनुसार दिया जाता है । चादरों की स्थिति इस प्रकार है :—

	मीट्रिक टनों में		
	मांग	आवंटन	भेजी गई मात्रा
१९६०–६१ (अक्तूबर ६०, –मार्च, ६१)	१५,५४०	४,९६५	२,५३२ (लगभग)
१९६१–६२ (अप्रैल, ६१ सितम्बर, ६१)	१५,००७	४,८५२	६७५*

(*) अप्रैल से जून, १९६१ ।

नोट : भेजी गयी मात्रा में वह माल भी शामिल है जो चालू अथवा पहले दिये गये आर्डरों पर भेजा गया ।

(ग) राज्यों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये उपलब्ध सामग्री को समान रूप से बांटा जाता है ।

मिनसर में जनगणना

†२३८०. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिब्बत स्थित मिनसर ग्राम की जनगणना भारत की ओर से होती रही है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह जनगणना कब से प्रारम्भ हुई और कब बन्द कर दी गई; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस ग्राम की जनसंख्या भारत की जनसंख्या में जोड़ी जाती थी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) 'मिनसर' हिज्जे का कोई ग्राम जगगणना टेबल में अभिलिखित नहीं हैं, लेकिन एक ग्राम जिस का हिज्जा 'मनसोर' है जम्मू और काश्मीर राज्य के लदाख जिले में है । यह ग्राम तिब्बत में नहीं वरन् जम्मू और काश्मीर राज्य के लदाख जिले में स्थित है । इस की जनगणना भारत द्वारा की जा रही थी ।

(ख) इस ग्राम की जनसंख्या की गिनती १९३१ तथा १९४१ की जनगणना में की गई । १९५१ में इस की जनसंख्या की गिनती नहीं हो सकी क्योंकि जम्मू और काश्मीर राज्य में उस वर्ष विशेष परिस्थितियां विद्यमान थीं । जिन के कारण वहां जनगणना नहीं हुई । १९६१ की जनगणना की कार्यवाही आरम्भ होने के पूर्व ही इस ग्राम पर चीनी फौज का कब्जा हो गया था जिस से मकानों का अंकित करना तथा उनकी सूची व गिनती का कार्य १९६१ की जनगणना में नहीं हो सका ।

(ग) जी नहीं ।

इनामी बाण्ड

२३८१. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई ६१ तक १०० रुपये और ५ रुपये के कुल कितने इनामी बांड राज्यानुसार बेचे जा चुके हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : पहली अप्रैल, १९६० से ३० जून १९६१ तक प्रत्येक राज्य में बेचे गये इनामी बांडों की संख्या इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	बेचे गये इनामी बांडों की संख्या	
	१०० रुपये के	५ रुपये के
१. आन्ध्र प्रदेश	१७,९८५	६,२१,६५३
२. असम	१०,२६३	२,१६,७४९
३. बिहार	२६,३६९	५,४२,९८९
४. भूतपूर्व बम्बई राज्य	१,१७,४५२	१४,९९,८४१*
५. गुजरात	२१,१५०	५,९६,३२६
६. जम्मू और कश्मीर	२,२४५	५०,८०८
७. केरल	१४,७४६	५,४९,३९५
८. मद्रास	९२,७४६	५८,१३,१४८
९. मध्य प्रदेश	२४,८४७	६,३४,८११
१०. महाराष्ट्र	१,००,६८४	१७,४०,५३५@
११. मैसूर	२३,०६४	७,३२,२२१
१२ उड़ीसा	४,६२१	१,३६,५०७
१३. पंजाब	३२,४५२	८,०५,२८०
१४. राजस्थान	१३,५४८	५,८९,६८२
१५. उत्तर प्रदेश	६१,७८०	१५,८६,१०३
१६. पश्चिम बंगाल	७९,१६६	१३,८२,९४९

*केवल अप्रैल १९६० में ।

@मई १९६० से ।

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तानियों का निर्धारित काल के बाद ठहरना

२३८२. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर१९६० से अब तक कुल कितने पाकिस्तानी अवधि से अधिक ठहरने के कारण पकड़े गये; और

(ख) भविष्य में ऐसे लोग अधिक न टिकें, इस के लिये क्या कोई विशेष कदम उठाये गये हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में हिन्दी का प्रचार

†२३८३ **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को हिन्दी के प्रचार के लिये किस प्रकार की सहायता दी;

(ख) उस अवधि में इस सहायता से राज्य में योजना को किस प्रकार कार्यान्वित किया गया; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इस प्रयोजनार्थ कितना आवंटन किया जा रहा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण, साहित्यक प्रतियोगिताओं और नाटकों, हिन्दी की पाण्डुलिपियों के सम्पादन तथा प्रकाशन; हिन्दी साहित्य के अनुसन्धान, छात्रवृत्तियां और पुरस्कार बांटने और राज्य भाषा विभाग के मासिक पत्र के कामन रीडर्स सैक्शन में लेख छापने के लिये राज्य सरकार को सहायक अनुदान दिये गये और स्वेच्छा से काम करने वाली संस्थाओं को सहायक अनुदान दिये गये और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते दिये गये ।

इसके अतिरिक्त हिन्दी की चुनी हुई ११ पुस्तकों के १४१८ सैट पंजाब के पुस्तकालयों में निःशुल्क बांटने के लिये राज्य सरकार को दिये गये ।

(ग) केन्द्रीय सहायता वार्षिक योजनाओं के आधार पर दी जाती है । १९६१–६२ के लिये इस राशि का ब्यौरा योजनावार तैयार नहीं किया गया है ।

केरल में नगरपालिका के भंगी

†२३८४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में नगरपालिका के भंगियों को कोई सुविधायें देने के लिये केरल राज्य को कोई सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोने का तस्कर व्यापार

†२३८५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी सीमा पर सोने का तस्कर व्यापार बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सैनिकों के निवास के लिये बस्तियां

२३८६. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सैनिकों के निवास के लिये बस्तियां बनाने की योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाई गई इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) तथा (ख). सभी स्थानों पर, जहां असैनिक दल रहते हैं वास्य मकानों की ओवरआल कभी समय समय पर आंकी जाती है । मकान प्राप्य करने के लिए प्राथमिकताएं, योजना की महता के अनुसार निर्धारित की जाती हैं और वित्तीय बन्टन हर वर्ष होता है । मकानों के लिये योजनाएं बनाने और मकान तामीर करने का काम उपरोक्त आधार पर किया जाता है, और इन का योजना अवधियों से कोई सम्बन्ध नहीं ।

रूरकेला इस्पात कारखाना

२३८७. **श्री क० भे० मालवीय :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने को चलाने में कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कठिनाइयां ; और

(ग) उन्हें दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). रूरकेला इस्पात कारखाने के सम्मुख मुख्य कठिनाई पर्याप्त अनुभवी चालकों की कमी के कारण है तथा ऐसी

---

†मूल अंग्रेजी में

सामान्य प्रारम्भिक कठिनाइयां हैं जो एक नये संयंत्र के चलाने में अनुभव की जाती हैं। विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी स्कूलों से निकले हुए नवयुवकों को बड़ी संख्या में भरती किया गया है तथा उन्हें देश में अथवा विदेशों में प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन सर्वोत्तम प्रशिक्षण भी अनुभव का स्थानापन्न नहीं हो सकता। संयंत्र के अधिक यंत्रीकृत तथा जटिल होने के कारण प्रारम्भिक कठिनाइयां और भी अधिक हो गई हैं। अतः हिन्दुस्तान स्टील ने पश्चिमी जर्मनी से कुछ अनुभवी चालकों को भरती करने के लिये कदम उठाये हैं।

सरकारी कर्मचारियों की सहकारी समितियां

२३८८. श्री क० भे० मालवीय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारी सहकारी समितियां बना सकते हैं और उनके सदस्य बन सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार की सहकारी समितियां बना सकते हैं और उन में शामिल हो सकते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). सेंट्रल सिविल सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स, १९५५ के नियम १२(२) के उपबन्ध के अनुसार सरकारी कर्मचारी किसी भी सहकारी समिति के, जो सहकारी समितियां ऐक्ट, १९१२ (१९१२ का दूसरा) या सामयिक रूप से लागू किसी अन्य विधि-नियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो ; अथवा किसी भी साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा धर्मार्थ संस्था के, जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, (१८६० का २१ वां) या किसी समान प्रवर्तन विधि-नियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो ; पंजीकरण प्रवर्तन अथवा प्रबन्ध में सरकार से अनुमति लिये बिना भाग ले सकते हैं।

पंजाब में विशेष बहुप्रयोजनीय खंड

†**२३८९. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में विशेष बहुत प्रयोजनीय खंड स्थापित करने के लिए १९६०–६१ में केन्द्रीय सरकार ने कितना अंशदान दिया ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : कुछ नहीं। १९६०–६१ में पंजाब में विशेष बहुप्रयोजनीय खण्ड नहीं थे।

पंजाब से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क राजस्व

†**२३९०. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० में पंजाब से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप में कितना राजस्व प्राप्त हुआ (जिलावार) ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : राजस्व आय का आकड़ा जिलावार नहीं रखा जाता बल्कि खण्डवार रखा जाता है। १९६० में पंजाब से केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों (मूल

---

†मूल अंग्रेजी में

तथा अतिरिक्त) के रूप में प्राप्त राजस्व की राशि (खण्डवार) नीचे दी जाती है :

क्रमांक	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क खण्ड का नाम	राजस्व की राशि
		रुपये
१	अम्बाला .	१,९८,९६
२	अमृतसर—१	३१,७३
३	अमृतसर—२ . .	१२,३१
४	गुरदासपुर	२३,०८
५	गुड़गांव	६१,१७
६	जालन्धर . .	४३,७२
७	लुधियाना . . .	७६,८४
८	पटियाला . . .	१,३९,०२
९	रोहतक . . .	८३,०६
	योग	६,६९,८९

*नोट—इसमें जोगेन्द्रनगर तथा शिमला पहाड़ियों के आंकड़े भी सम्मलित हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में हैं ।

उत्तर प्रदेश पर बकाया केन्द्रीय ऋण

†२३९१. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९६१ को उत्तर प्रदेश पर कितना केन्द्रीय ऋण शेष था ; और

(ख) ३१ मार्च, १९६१ को उत्तर प्रदेश राज्य पर जो ऋण शेष था, उस पर कितना ब्याज था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) लगभग २२७·४९ करोड़ रुपये ।

(ख) १९६०-६१ वर्ष में ७·७९ करोड़ रुपये था, जो कि राज्य सरकार ने उसी वर्ष में दे दिया था ।

उत्तर प्रदेश को स्टीम कोयला

†२३९२. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में अभी तक उत्तर प्रदेश के उद्योगों को स्टीम कोयले का कितना कोटा दिया गया है; और

(ख) क्या उपरोक्त अवधि में इसका संभरण जारी रखा गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). किसी भी राज्य के लिए केवल स्टीम कोयले का कोई कोटा नहीं है ; वर्ष १९६१-६२ के आरम्भ के तीन महीनों में उत्तर प्रदेश के वास्तविक कोटे तथा वास्तव में भेजे गये सब प्रकार के कोयले का विवरण नीचे दिया जाता है :—

माह	कोटा	भेजा गया कोयला
अप्रैल १९६१	१३९९० वैगन	८४४५
मई १९६१ .	१३९९० वैगन	८९४३
जून १९६१	१३९९० वैगन	९२०८

उत्तर प्रदेश में तम्बाकू का उत्पादन

†२३९३. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में उत्तर प्रदेश में तम्बाकू का प्रति वर्ष उत्पादन कितना रहा ; और

(ख) उक्त अवधि में कुल कितना उत्पादन शुल्क इकट्ठा किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). मांगी गई जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४८]**

उत्तर प्रदेश में आदिम जाति के किसान

†२३९४. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ में उत्तर प्रदेश में आदिम जाति के किसानों पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी ; और

(ख) उससे कितने किसानों को लाभ पहुंचा ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** (क) और (ख). उत्तर प्रदेश में आदिम जातियों के लोग नहीं हैं अतः वहां आदिम जाति के किसानों पर धन खर्च करने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा संस्थाओं के हॉलों-व-श्रोता कक्षों के लिये अनुदान

†२३९५. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की कितनी शिक्षा संस्थाओं ने १९६०-६१ में हॉल-व-श्रोता कक्षों के निर्माण के लिए अनुदान हेतु आवेदन पत्र दिये ; और

(ख) उक्त अवधि में किन-किन संस्थाओं को अनुदान दिये गये (दी गयी राशियां कितनी) ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) १८

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४९]**

उत्तर प्रदेश में अस्पृश्यता आदि का निवारण

†२३९६. **श्री सरजू पाण्डेय**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में अस्पृश्यता को समाप्त करने तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाओं को वर्षवार कितनी राशि दी गयी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : उत्तर प्रदेश में कोई आदिम जातियां नहीं हैं और पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में अस्पृश्यता को समाप्त करने तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा हरिजन आश्रम, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय स्तर की एकमात्र गैर-सरकारी संस्था) को दी गयी धन राशि का विवरण नीचे दिया जाता है :

पहली पंचवर्षीय योजना

१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४	१९५४–५५	१९५५–५६
कुछ नहीं	कुछ नहीं	०·२५ लाख रुपए	०·९७ लाख रु०	१·०८ लाख रु०

दूसरी पंचवर्षीय योजना

१९५६–५७	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१
०·९० लाख रु०	०·९४ लाख रु०	०·४०८८ लाख रु०	०·६२ लाख रु०	७·०६३२ लाख रु०

जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय गैर-सरकारी संस्थाओं को दी गयी धन राशि का प्रश्न है, यह जानकारी राज्य सरकार से मांगी गयी है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश की संस्थाओं को विद्यार्थियों के पर्यटन के लिए सहायता

†२३९७. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की किन-किन संस्थाओं को विद्यार्थियों के पर्यटन के लिए वित्तीय सहायता दी गयी; और

(ख) इस सहायता से किये गये पर्यटनों का ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

पश्चिम बंगाल के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन

†२३९८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पश्चिमी बंगाल के कम वेतन पाने वाले प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन बढ़ाने के लिए उक्त राज्य सरकार को दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में कोई सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने उस सहायता का लाभ उठाया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्र ने यह कहा था कि यदि राज्य सरकार अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सीमा के भीतर इस प्रयोजन के लिए कोई योजनायें सम्मिलित करे, तो वह ५० परसेंट सहायता की अधिकारी होगी ;

(ग) जी हां ।

कोयले का उत्पादन

†२३९९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ मार्च से ३१ जुलाई १९६१ तक सरकारी क्षेत्र में कोयले का कितना उत्पादन रहा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : १ मार्च, १९६१ से ३१ जुलाई १९६१ तक सरकारी क्षेत्र में कोयले का कल उत्पादन ४०.७५ लाख टन रहा ।

पंजाब के लिये आदिवासी कल्याण निधि

†२४००. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६०–६१ में पंजाब में किसी गैर-सरकारी संस्था को आदिवासी कल्याण निधि में से कोई राशि दी गयी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में जिन संस्थाओं को धन दिया गया, उन के नाम क्या हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अन्तरिक्ष उड़ान सम्बन्धी अनुसन्धान

†२४०१. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **वैज्ञानिक अनुसधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तरिक्ष उड़ान संबंधी विषयों में अध्ययन तथा अनसंधान करने के इच्छुक किसी विश्व-विद्यालय अथवा अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं ने सरकार से सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गयी थी और सरकार ने किस प्रकार की सहायता दी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सी० ओ० डी०, कानपुर

†२४०२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ५ मई, १९६१ के अल्पसूचना प्रश्न संख्या २१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सी० ओ० डी०, कानपुर से कुछ सामान उठाने के प्रयत्न तथा गोली कांड के परिणामस्वरूप हुई एक व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में जांच करा ली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) और (ख). कर्मचारी जांच न्यायालय की कार्यवाही का अभी अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया है, पर प्रतिरक्षा सुरक्षा सेना दल के एक सिपाही लाखन पर, जिसका इस मामले में हाथ था, ११ जुलाई, १९६१ को संक्षिप्त कोर्ट मार्शल के सामने मुकदमा चलाया गया। उसे ९ महीने के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया और नौकरी से निकाल दिया गया।

दो अन्य व्यक्ति भी इस मामले में सम्मिलित बताये जाते हैं। वे डिपो के कर्मचारी नहीं हैं। पुलिस ने उन के विरुद्ध धारा ४५८/३०७ आई०पी०सी० के अधीन उन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है, जो कि अभी न्यायनिर्णयाधीन है।

हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब के बीच मछली पकड़ने के अधिकार पर विवाद

†२४०३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६५२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ५५ मील लम्बे भाखड़ा जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार के बारे में हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच जो विवाद है, उस को हल करने के लिए कोई उपाय निकालने के लिए अब तक किये गये प्रयत्नों का क्या परिणाम रहा?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: खण्डीय परिषद् की अन्तिम बैठक में यह मामला आया था और हुई चर्चा के प्रकाश में उसका परीक्षण किया जा रहा है।

सी० ओ० डी०, छेवकी

†२४०४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २१ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६५५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सी० ओ० डी०, छेवकी (इलाहाबाद) में भंडार की स्थानीय खरीद की अनियमितताओं के संबंध में विशेष पुलिस विभाग द्वारा की जाने वाली जांच में क्या प्रगति हुई है?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : विशेष पुलिस विभाग ने सी० ओ० डी०, छेवकी के भूतपूर्व कमांडर तथा कुछ अन्य अधिकारियों के विरुद्ध जो मुकदमे चलाये हैं, वे लखनऊ के विशेष जज के न्यायालय के सामने विचाराधीन हैं।

हिन्दी का प्रचार

†२४०५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री २३ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१४७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी के प्रचार के सम्बन्ध में प्रबन्ध करने के मामले में क्या सरकार को अन्य राज्यों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). गुजरात को छोड़ कर अन्य सभी अहिन्दी भाषी राज्यों के उत्तर आ गये हैं। केरल और पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों ने सूचित किया है कि उन के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार का समुचित प्रबन्ध है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिमी बंगाल की सरकार ने सुझाव दिया है कि :

(१) स्वैच्छिक संस्थाओं के काम का समायोजन करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार के कुछ प्रतिनिधियों की एक केन्द्रीय संस्था बनाई जानी चाहिये; और

(२) स्वैच्छिक संस्थाओं को निम्न बातों के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए :—

(क) अधिकाधिक हिन्दी शिक्षा केन्द्र, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना।

(ख) अधिक अच्छी पुस्तकालय तथा वाचनालय सुविधाओं का प्रबन्ध करना ।

(ग) मुख्य-मुख्य स्थानों पर पोस्टर तथा साइन बोर्ड लगाना ।

(घ) पत्रिकाओं का प्रकाशन कराना तथा पाठ्य सामग्री तैयार कराना (विशेषतया दोनों भाषाओं में) ।

(ङ) अधिक उदार स्तर पर पुरस्कारों की योजना चलाना ।

केरल की सरकार ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :—

(१) हिन्दी शिक्षा की सुविधाओं में सुधार करने के लिए केन्द्र द्वारा गैर-सरकारी स्कूलों तथा कालेजों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए ;

(२) महत्वपूर्ण स्थानों पर हिन्दी कक्षायें तथा हिन्दी पुस्तकालयों के लिए केरल ग्रंथ-शाला संघ की सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है ;

(३) प्रतिवर्ष पुनराभ्यास तथा गोष्ठियां की जायें; और

(४) हिन्दी के प्रचार के लिये लोकशिक्षा के निदेशक के अधीन एक पृथक निदेशालय खोला जाना चाहिए ।

राज्य सरकारों के सुझावों पर विचार कर लिया गया है और जहां भी आवश्यक था, वहां आवश्यक कार्यवाही कर दी गई है ।

दोहरे कराधान से बचने के लिये भारत-ब्रिटिश वार्ता

†२४०६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या वित्त मंत्री २३ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच कोई समझौता कराने के प्रश्न के संबंध में वार्ता क्या समाप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गणतन्त्र दिवस परेड के लिये स्थानों का सुरक्षित किया जाना

†२४०७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री २० मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गणतंत्र दिवस परेड़ देखने के लिए राजपथ पर 'वी' बाड़े में किन श्रेणियों के लोगों के लिए स्थान सुरक्षित किये जाते हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) 'वी' बाड़े में स्थान सुरक्षित करने के लिए सरकार ने क्या प्रक्रिया निर्धारित की है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : सामान्यतया 'वी' बाड़े में राज्य के अतिथियों तथा प्राथमिकता सारिणी के नियम ३१ में उल्लिखित व्यक्तियों के लिए, जिन्हें आमंत्रण पत्र दिया जाता है, स्थान सुरक्षित किये जाते हैं। राष्ट्रपति के सचिवालय की अधिसूचना संख्या ६४प्रेस/६० दिनांक १५ नवम्बर, १९६० के नवीनतम प्राथमिकता सारिणी प्रकाशित की गयी थी।

पाकिस्तान से धन की वसूली

†२४०८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १० अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४३१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से २ करोड़ ३५ लाख रु० की राशि वसूल करने के लिए क्या कोई और प्रयत्न किया गया ; और

(ख) इन प्रयत्नों का क्या परिणाम रहा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). इस मामले में और कोई उपाय करना अभी तक संभव नहीं हो पाया है।

कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में अधिक भीड़भाड़

†२४०९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :
श्री दी चं शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **शिक्षा** मंत्री १३ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४८९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में अधिक भीड़भाड़ को कम करने क लिये क्या उनमें प्रवेश के लिये कोई समुचित परीक्षा या कसौटी लागू करने सम्बन्धी प्रस्थापना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० का० श्रीमाली)** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस मामले पर विचार करके इसे परीक्षा सुधार समिति को सौंप दिया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और रिपोर्ट आयोग के सामने विचाराधीन है। इस बीच कालेजों में भीड़भाड़ कम करने के लिये उपलब्ध सुविधाओं तथा स्थान आदि को ध्यान में रखते हुए कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

ऋण के लिये हंगरी के साथ बातचीत

†२४१०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री १३ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५०३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ऋण लेने के लिये हंगरी के साथ की गयी बातचीत का क्या परिणाम रहा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : विचारों का कुछ आरम्भिक आदान-प्रदान हुआ है पर बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है ।

चांदी के सिक्कों का अवैध ढंग से पिघलाया जाना

†२४११. { **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री पांगरकर :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री २२ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २४९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवैध ढंग से चांदी के सिक्कों को पिघलाये जाने के संबंध में क्या दिल्ली प्रशासन ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) पुलिस द्वारा की गयी छानबीन से पता लगा है कि दिल्ली में सोने के कुछ दलाल चांदी के सिक्कों को पिघला कर उनकी चांदी निकाल कर बाजार में बेच देते हैं । चांदी के मौजूदा बाजार मूल्य के अनुसार इन सिक्कों से प्राप्त चांदी का मूल्य इन सिक्कों के वाह्य मूल्य से अधिक होता है । कानून की दृष्टि से सिक्कों को पिघला कर उनके तत्वों को अलग-अलग बेचना अपराध नहीं है । अतः न तो पुलिस उनके विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज कर सकी और न मामले की अग्रेतर छानबीन कर सकी ।

अवैध सामान ले जाती हुई कार द्वारा दुर्घटना

†२४१२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, १९६१ में अमृतसर में एक कार की दुर्घटना में ८ बच्चे मर गये ; सीमा शुल्क विभाग की जीप इस कार का पीछा कर रही थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह कार अमृतसर के एक व्यापारी की थी और इसमें अवैध सामान लाया जा रहा था ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ;

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां । सीमा शुल्क विभाग की जीप उस कार का पीछा कर रही थी कि अमृतसर जिले में लोपोकी पुलिस स्टेशन के निकट चोगवां गांव के निकट २४ अप्रैल, १९६१ को कार उलट गई और उस दुर्घटना में ७ बच्चे (आठ नहीं) मर गये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) जी हां ।

(ग) पुलिस ने ६ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया ।

(घ) पुलिस ने कार के ड्राइवर तथा एक अन्य व्यक्ति, जो कार में था, के विरुद्ध आई० पी० सी० की धारा ३०४ के अधीन चालान कर दिया है । जहां तक अवैध सामान का मामला है, यह सीमा शुल्क कानून के अनुसार विभागीय न्यायनिर्णयन के अधीन है ।

दिल्ली में बम विस्फोट

†२४१३. **पं० द्वा० ना० तिवारी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हुये बम विस्फोटों के संबंध में दिल्ली पुलिस के विशेष दल ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में कई छापे डाले ;

(ख) क्या इन छापों में कोई आपत्तिजनक व अवध वस्तुयें पाई गईं ; और

(ग) इन छापों में कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग १४,६०० पौंड निषिद्ध आतिशबाजी, पटाखे तथा विस्फोट पदार्थ पकड़े गये ।

(ग) विस्फोट सामग्री बरामद होने के संबंध में सहारनपुर में अभी तक ५ व्यक्ति गिरफ्तार हुये हैं ।

अन्तर्राज्यीय सीमा-विवाद

२४१४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के सीमा-विवाद सुलझाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) १९५६ से किन-किन राज्यों में ये विवाद पैदा हुये ; और

(ग) क्या उन्हें सुलझाने के लिये राज्य स्तर पर ही प्रयत्न किये गये या उनके लिये अखिल भारतीय स्तर पर कोई आयोग नियुक्त किया गया ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) से (ग). राज्यों की वर्तमान सीमाओं की हदबन्दी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गयी है जिसमें संबंधित पक्षों के आपसी समझौतों के आधार पर थोड़ा बहुत समन्वय कर लिया गया है । आयोग ने आंध्र और मद्रास राज्यों के बीच सीमा-विवाद की जांच नहीं की क्योंकि इस विषय पर उस समय दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच बातचीत हो रही थी । जैसा कि उन दोनों के बीच तय हुआ यह सीमा-विवाद श्री पाटस्कर की रिपोर्ट के आधार पर सुलझाया गया । राज्यों के पुनर्गठन की योजना को लागू करने के बाद से अब तक महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों ने सीमाओं में समन्वय करने के बारे में प्रस्ताव किये हैं । जैसा कि राज्य पुनर्गठन विधेयक पर बहस के दौरान में स्वर्गीय गृह मंत्री ने लोक सभा में कहा था; सरकार सीमा-विवादों को सुलझाने के लिये कोई सीमा आयोग नियुक्त करने के पक्ष में नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों के बीच सीमा का फिर से ठीक करने के लिये दोनों मुख्य मंत्रियों ने ४ व्यक्तियों की एक समिति बनाई है। यह समिति मामले की जांच कर रही है और दोनों राज्य सरकारों को अपनी रिपोर्ट देगी।

इंजीनियरिंग विद्यालय, पालघाट में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों आदि के लोगों की भर्ती

†२४१५. **श्री कुन्हन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग विद्यालय, पालघाट में भर्ती करने के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये स्थान सुरक्षित हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूंन् कबिर)** : (क) जी हां। राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये ३३ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केरल में अलौह धातुयें

†२४१६. **श्री कुन्हन** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अलौह धातुओं की खोज के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है या किया जायगा ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या विवरण है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

जबलपुर के दंगों में पीड़ित लोगों को आर्थिक सहायता

†२४१७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जबलपुर के दंगों में पीड़ितों को पुनर्वास के लिये कोई आर्थिक सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) कितने परिवारों को सहायता दी गयी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

†२४१८. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री बा० चं० कामले :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि सरकारी पदोन्नति के मामले में भी अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिये स्थान सुरक्षित रखा जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) उच्चतम न्यायालय ने अपने बहुमत से यह फैसला दिया है कि संविधान में अनुच्छेद १६(४) में स्थान सुरक्षित करने की जो शक्ति राज्य को दी है उसका प्रयोग उसके द्वारा न केवल नियुक्तियों बल्कि जो स्थान चयन के द्वारा भर्ती के लिये निश्चित हैं उन में भी किया जा सकता है । निर्णय में यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद १६(४) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय पिछड़े वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व की समस्या पर निष्पक्ष रूप से भली भांति विचार किया जाना चाहिये । पिछड़े वर्गों की तथा अन्य कर्मचारियों की मांगों मेंसन्तुलन रखने का प्रयत्न किया जाना चाहिये और उसके साथ प्रशासन में कुशलता के महत्व का भी ध्यान रखा जाना चाहिये ।

(ख) निर्णय भली भांति विचाराधीन है ।

५०५ आर्मी बेस वर्कशाप में दुर्घटना

†२४१९. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८ अप्रैल, १९६१ को ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली छावनी में वर्कशाप के अधिकारियों की नितांत अवहेलना के कारण एक गम्भीर दुर्घटना हो गई जिससे एक मोटर गाड़ी मेकेनिक को सख्त चोट आई ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी कोई विभागीय जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो जांच अदालत ने क्या पता लगाया ; और

(घ) क्या अब तक कोई कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) ८ अप्रैल, १९६१ को ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप दिल्ली छावनी में एक दुर्घटना हुई जिसमें एक मोटर गाड़ी के मेकनिक को चोट आई ।

(ख) एक विभागीय जांच की गई थी ।

(ग) जांच अदालत ने पता लगाया कि दुर्घटना के कारण ऐसे थे कि वह किसी के बस की बात नहीं थी । यह घटना एक अरक्षित इस्पात के गर्डर के गिर जाने से हुई । एक एम० ई० एस० ठेकेदार ने एक कास्टिक सोडा टेंक के पूर्व की ओर कुछ खम्भे खड़े किये थे जिनके ऊपर वह गर्डर था । उत्तर की ओर जो क्रेन थी वह कुछ समय के लिये खराब थी और काम करने वालों ने पूर्व की ओर से

†मूल अंग्रेजी में

एक दूसरी क्रेन से काम लेना आरम्भ किया। ऐसा करते समय क्रेन का ऊपरी हिस्सा ऊपर उछला जिससे वह गर्डर नीचे गिर पड़ा।

(घ) ठेकेदारों को निदेश दिया गया है कि वर्कशाप में ऐसा काम करते समय सावधानी रखनी चाहिये। ५०५ फौजी अड्डे की वर्कशाप के कमान्डेंट ने यह निश्चय किया है कि जहां एम० ई० एस०/मरम्मत/निर्माण का कार्य हो रहा हो वहां वर्कशाप का काम तब तक नहीं होना चाहिये जब तक वह स्थान एस० ई० एस० द्वारा अपना काम पूरा कर लेने के बाद वापस वर्कशाप के हवाले न कर दिया जाये।

उत्कृष्ट पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद

२४२०. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **शिक्षा** मंत्री २ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय स्तर पर संसार की उत्कृष्ट पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद कराने की योजना में और क्या प्रगति हुई है।

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): मांगी गई सूचना १४ अगस्त, १९६१ को अतारांकित प्रश्न संख्या ९५१ के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी हुई है।

उत्तर प्रदेश में भूतत्वीय सर्वेक्षण

२४२१. श्री भक्त दर्शन : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १५ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ दिसम्बर, १९६० से अब तक भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा उत्तर प्रदेश में अपने काम में कितनी प्रगति की गई है ; और

(ख) भविष्य में उत्तर प्रदेश में भूतत्वीय सर्वेक्षण के लिये किस प्रकार का कार्यक्रम स्वीकार किया गया है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) दिसम्बर, १९६० से जून, १९६१ तक भारत के भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में किये गये काम की प्रगति का सारांश निम्नप्रकार है :—

प्रादेशिक और विस्तृत मानचित्रण

८०३.४ वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र में, १:६३,३६० के पैमाने पर अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, झांसी, वारानसी और मिरजापुर ज़िलों में व्यवस्थित मानचित्रण किया गया। ३९८.२४ वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र में १:३१,६८० और १:२५,३४० के पैमानों पर जिला मिरजापुर में विस्तृत मानचित्रण किया गया। मानचित्रण के दौरान में वारानसी ज़िले के धकिया क्षेत्र में भवन बनाने के पत्थरों तथा कांच-रेत के पाये जाने की सूचना मिली थी।

खनिज अन्वेषण

भास्वीय चट्टान-मसूरी क्षेत्र में भास्वीय चट्टान के भूभण्डारों का प्रारम्भिक अन्वेषण कार्य पूरा किया गया। १:६३,३६० और १:७,९२० पैमानों पर ४३.८५ वर्ग किलो मीटर के समस्त क्षेत्र का मानचित्रण किया गया। भास्वीयिक ग्रन्थाओं के बहुत सारे नमूनों का एकत्र तथा विश्लेषण किया गया। अब तक प्राप्त हुये परिणाम बहुत उत्साहवर्धक नहीं हैं।

स्फसैकिज–मिरजापुर ज़िले में जोरूखर और धर्तीदौला के बीच १:६३,३६० पैमाने पर स्फसैकिज युक्त चट्टानों का मानचित्रण किया गया। मानचित्रित चट्टानें लम्बाई में ९.६ किलो मीटर और चौड़ाई में ३.२ किलो मीटर का क्षेत्र घेरती हैं। कई स्थानों पर वज़न के लिहाज़ से ४० प्रतिशत से ५७ प्रतिशत तक स्फसैकिज युक्त सुभाजा और पर्णिज पाये गये। स्फटिक एक सैन्टीमीटर से ६ सैन्टीमीटर लम्बे हैं। ऊष्मसहों को बनाने के लिये सामग्री के रूप में इनके इस्तेमाल की सम्भाव्यता का निरीक्षण किया जा रहा है।

सिक्का :—अल्मोड़े ज़िले के शीशखनी-वाललदेव और गनाई-गंगोली क्षेत्रों में पुरानी खानों के ४५ मीटर तक की सफाई और ५० नमूनों के एकत्रण का कार्य पूरा किया गया। चूर्णभ्रांगिज में सीस-रूचा पतली संदरों, बन्धकों और विस्तृत टुकड़ों के रूप में विद्यमान है। रसायनिक विश्लेषणों से मालूम हुआ कि सिक्के की औसत मात्रा ३ प्रतिशत से कुछ अधिक है।

तांबा सिक्का और अंजन :—घनधर, पोखरी, चमोथी-देवथान और चमोली ज़िले में गढ़वाल के खनिजयुक्त कटिदेशों के दूसरे क्षेत्रों का भूमीक्षण और विस्तृत मानचित्रण किया गया। १:३१,६८० के पैमाने पर विस्तार में १२.९५ वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र का मानचित्रण किया गया। ८२७ भू-रासायनिक नमूने इकट्ठे किये गये। कई स्थानों पर सीस-रूचा और ताम्र-माक्षीक के पाये जाने का पता लगा। इस कार्य ने पहली बार पोखरी क्षेत्र में अंजनिज जो कच्चे अंजन का रूप है की विद्यमानता को भी प्रकट किया है। काम के जारी रहने की आशा है।

देहरादून ज़िले के कल्सी क्षेत्र में १:६३,३६० के पैमाने पर ५० किलो मीटर का सारेखिक मानचित्रण किया गया। धातु-खनिजायन का कोई आशाजनक चिह्न नहीं पाया गया।

भूस्थित जल अन्वेषण :—आजमगढ़, बलिया, अलहाबाद, सुलतानपुर, जौनपुर, गाज़ीपुर, फैजाबाद और नैनीताल, देहरादून तथा संलग्न ज़िलों में किये गये समन्वेषी व्यधन वाले क्षेत्रों में विस्तृत भूस्थित जल अन्वेषण को जारी रखा गया। कुल १९४ खोदे गये कुओं और १३५ बिजली के कुंओं का परीक्षण किया गया और २८७ पानी के नमूनों को इकट्ठा किया गया। इसके अतिरिक्त, पानी की तह और संछिद्रों सम्बन्धी जानकारी को इकत्रित किया गया और बिजली के समन्वेषी कुओं के लिये तीन स्थानों को चुना गया।

चित्रकूट धाम में पानी की सप्लाई के अन्वेषण के बारे में ७८ वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र में २४ खुले कुओं का परीक्षण किया गया। प्राप्त जानकारी के आधार पर एक परीक्षण संछिद्र स्थान चुना गया।

भौवृत्तिकी इंजीनियरी अन्वेषण ––निम्नलिखित इन्जीनियरी परियोजनाओं से सम्बन्धित भूगर्भीय अन्वेषणों को जारी रखा गया––पौर्णागिरि डैम, ओवरा डैम, राम गंगा डैम, यमुना हाइडल स्कीम स्टेज दो की अवस्था एक तथा अवस्था दो, यमुना हाइडल स्कीम की तीसरी स्टेज के अन्तर्गत बिजली घर; तपोवन––गुलाब कोटी हाइडल स्कीम, केन बिजली घर और बेलन एवं अधवान नदियों के डैम स्थल।

जिला अल्मोड़ा, तहसील पिथोरागढ़ के देवल पट्टी, महार गांव में भूमि कटाव और भूमि के नीचे बैठने का अन्वेषण किया गया और यह पता चला कि तट अपक्षरण और शीर्षजल-अपक्षरण हो रहे थे।

काठगोदाम के पास गोला नदी के पार एक नहर-पुल के लिये उपयुक्त स्थान का भी अन्वेषण किया गया ।

(ख) १९६१–६२ के दौरान में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा झांसी, नैनीताल, अल्मोड़ा, मिर्ज़ापुर, जोनपुर, वाराणसी, सुलतानपुर, फैजाबाद, गोण्डा, देहरादून, टेहरी गढ़वाल, आगरा और जलाऊं ज़िलों में अन्वेषणों तथा सारदा, यमुना, गंगा, सोन, केन, टोनस, घासन एवं वेतवा नदी-क्षेत्रों में इंन्जीनियरी भौवृतिकी अन्वेषणों को करने का आयोजन है ।

दिल्ली के नर्सरी स्कूलों में शिक्षा शुल्क

†२४२२. **श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री २२ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली के नर्सरी स्कलों में लगाये शिक्षा शुल्क को वापस लेने का निश्चय किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : यह विषय अब तक निगम के विचाराधीन है ।

पुरातत्व विभाग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के मुख्य कार्यालय का दिल्ली से देहरादून भेजा जाना

†२४२३. **श्री पांगरकर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १७ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पुरातत्व विभाग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के मुख्य कार्यालय को दिल्ली से देहरादून ले जाने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अधीक्षक का कार्यालय देहरादून चला गया है ।

मद्रास में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

†२४२४. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने राज्य में एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना का निवेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में केन्द्र द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां ।

(ख) कावेरी बेसिन में खोज के काम का ब्यौरा प्राप्त होने के बाद इस की आगे जांच की जायेगी ।

मद्रास के लिये कोयले की जरूरत

†२४२५. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में १९६१-६२ में कोयले की जरूरत का अनुमान लगाया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) समुद्री मार्ग से कितने प्रतिशत कोयला भेजा जायगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). अप्रैल से जुलाई, १९६१ तक मद्रास को राज्य तथा केन्द्र नियंत्रित प्राथमिकताओं के आधार पर मासिक औसत कोयला बैगनों में इस प्रकार दिया गया:—

(१) राज्य नियंत्रित प्राथमिकतायें जैसे इंजीनियरिंग, छोटे पैमाने के उद्योग, रासायनिक पदार्थ, मिट्टी के बर्तन, घर के काम के लिये लकड़ी का कोयला, ईंटें पकाने का कोयला आदि . . ६४५ वैगन ।

(२) केन्द्र नियंत्रित प्राथमिकतायें जैसे इस्पात का काम आर्डनेन्स, बिजली की कम्पनियां, सीमेन्ट, सूती मिलें, बंकर आदि . . ३३२० वैगन ।

(ग) जैसा राज्य सरकार से तय हुआ है राज्य के लिये ४६ प्रतिशत कोयला समद्री मार्ग से भेजा जायगा ।

पटना मेडिकल कालेज को अनुदान

२४२६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पटना मैडिकल कालेज को किन-किन मदों के लिये कितना रुपया दिया गया ;

(ख) क्या यह रुपया कालेज द्वारा उन्हीं मदों पर खर्च किया गया जिनके लिए वह दिया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) आयोग ने इस कालेज को अभी तक कोई अनुदान नहीं दिया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

शिकार आउट फिटर्स एसोशियेशन

†२४२७. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय शिकार आउटफिटर्स एसोसियेशन ने सरकार के पास यह अभ्यावेदन भेजा है कि उन्हें सामान्य नागरिकों से अधिक हथियार और असीमित सामान रखने की अनुमति दी जाय; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) नवम्बर, १९६० में श्री विद्याचरण शुक्ल, सभापति, भारतीय शिकार आउटफिटर्स एसोसिएशन ने भारत सरकार के पर्यटक विभाग के महानिदेशक को लिखा था कि शिकार आउटफिटरों को हथियार लाइसेंस धारियों का एक विशेष वर्ग समझा जाना चाहिये और उन्हें सामान्य नागरिकों की अपेक्षा कहीं अधिक हथियार और सामान दिया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भारत सरकार ने शिकार आउटफिटर्स के लिये हथियार और सामान की कोई सीमा तय नहीं की है और इस विषय को लाइसेंस देने वाले अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है ।

उड़ीसा में कोणार्क मंदिर

†२४२८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वैज्ञानिक अनु संधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कोणार्क मंदिर की मरम्मत के लिये १९६१–६२ में कोई रकम दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस काम के लिये १७,१०० रुपये निश्चित किये गये हैं ।

संस्कृत को प्रोत्साहन देना

२४२९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संस्कृत को प्रोत्साहन देने की दिशा में अब तक और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने यह जानने का प्रयास किया है कि देश में अब से बीस वर्ष पूर्व जितने संस्कृत के महाविद्यालय, पाठशाला और गुरुकुल थे उनमें से अब कितने प्रतिशत शेष हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इनके घटने या बढ़ने के कारणों का भी पता लगाने का कुछ प्रयास किया है और यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि पुरोहित आदि को प्रशिक्षित करने के सम्बन्ध में संस्कृत बोर्ड कुछ विचार कर रहा है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५०]**

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड ने ऐसा अनुभव किया है कि मंदिरों की सेवा में लगे हुये पुरोहितों अथवा अर्चकों को प्रशिक्षण देना हिन्दू धार्मिक धर्मस्व आयोग का काम है ।

आयकर संग्रह[1]

†२४३०. **श्री अरविंद घोषाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ में आयकर के विभाजनीय संग्रह (पूल) में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Income Tax Pool

(ख) विभाग के अपरीक्षित आंकड़ों के अनुसार आयकर के विभाजनीय संग्रह में १७.५ प्रतिशत कमी हुई है । फिर राज्य सरकारों की हानि उन्हें अनुदान दे कर पूरी कर दी गई है ।

डिगबोई तेलक्षत्र

†२४३१. **श्री अरविंद घोषाल :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिगबोई तेल क्षेत्र में खुदाई एक वर्ष से रुकी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी, हां ।

(ख) आसाम आयल कम्पनी लिमिटेड ने बताया है कि डिगबोई में नवम्बर, १९५९ से तेल की खोज का काम बन्द कर दिया गया है क्योंकि वहां अनेक कुओं से पता लगा कि उनमें तेल की कोई आमद नहीं है ।

सिन्टरिंग प्लांट

†२४३२. **श्री अरविंद घोषाल :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने इस्पात निर्माण की जगह कच्चे लोहे के सिन्टर बनाने के लिये एक सिन्टरिंग प्लान्ट (संपुंजन संयंत्र) खोला है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां और उसकी क्षमता कितनी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). भिलाई इस्पात के कारखाने में सहायक के रूप में एक सिन्टरिंग प्लान्ट खोला गया है जिसकी क्षमता दस लाख टन संपुंज प्रति वर्ष है । इस समय वह एक प्रयोग के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा राउरकेला मे विस्तार के लिये ४००० टन प्रति दिन की क्षमता का सिन्टरिंग प्लांट खोलने का विचार है । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने पहले ही सामान के लिये आदेश दे दिया है । दुर्गापुर के विस्तार कार्यक्रम में भी एक संपुंजन संयंत्र की सम्भावना है ।

राष्ट्रीय पुस्तकालय

†२४३३. **श्री अरविंद घोषाल :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के कितने पुस्तकालयों को राष्ट्रीय पुस्तकालयों के रूप में मान्यता प्राप्त है ; और

(ख) वे कहां हैं और उन में से प्रत्येक में कितनी पुस्तकें हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) एक ।

(ख) कलकत्ते में । पुस्तकालय में लगभग १० लाख पुस्तकें हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयकर विभाग द्वारा बैंको से जमा धन की जांच

†२४३४. **श्री अरविंद घोषाल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक प्राधिकारियों ने सरकार से कहा है कि आयकर विभाग द्वारा बैंक में जमाधन की जांच बन्द की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसके लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) नहीं। उन्होंने यह कहा है कि कभी कभी आयकर विभाग के कुछ अफसरों द्वारा जो एक आम किस्म की या लम्बी चौड़ी पूछताछ की जाती है और वह भी बिना यह बताये कि किन विशेष व्यक्तियों के बारे में जानकारी चाहिये, वह नहीं होनी चाहिये।

(ख) इसके लिये संबंधित अधिकारियों को समय समय पर हिदायत की जाती है कि वे अपनी पूछताछ विशेष व्यक्तियों तक ही सीमित रखें और एक आम किस्म की पूछताछ न करें।

आर्डनेन्स फैक्टरियों में एल० डी० सी०

†२४३५. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्डनेंस फैक्टरियों में वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एल० डी० सी० चयन श्रेणी के पद की स्वीकृति नहीं दी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि घोड़े के सामान और काठी फैक्टरी, कानपुर में केवल ८ स्थान स्वीकृत किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो किस आधार पर ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) सही स्थिति यह है कि समस्त आर्डनेंस और वस्त्र के कारखानों में विद्यमान एल० डी० सी० के दस प्रतिशत स्थान द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार चयन श्रेणी के लिये स्वीकृत कर दिये गये हैं और जैसा उत्तर के भाग (ग) में कहा गया है उसके आधार पर कारखाने में बांट दिये गये हैं।

(ख) जी हां, यह सच है।

(ग) समस्त आर्डनेंस और वस्त्र के कारखानों में जितने स्थान (स्थायी और अस्थायी) मौजूद हैं उसके अनुपात में प्रत्येक कारखाने में एल० डी० सी० की चयन श्रेणी के स्थान बांट दिये गये हैं। नियमों के अधीन संस्थापन में ८० प्रतिशत स्थान स्थायी हैं जिनमें १० प्रतिशत चयन श्रेणी के हैं। फिर भी कारखानों में एल० डी० सी० की पदोन्नति/स्थायीकरण वरिष्टता के आधार पर होता है। अतः स्थायी पदों की संख्या संभव है प्रत्येक कारखाने में ८० प्रतिशत न हो। इसलिये यह अच्छा समझा गया कि एल० डी० सी० की चयन श्रेणी के स्थान इन फैक्टरियों के कुल स्थानों (स्थायी और अस्थायी) के आधार पर बांटे जायें न कि प्रत्येक फैक्टरी के एल० डी० सी० के स्थायी स्थानों के १० प्रतिशत के आधार पर।

कानपुर में कोयले की कमी

†२४३६. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **इस्पात, खान और इंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर के लोग लकड़ी और पत्थर के कोयले की सख्त कमी महसूस कर रहे हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस विषय में केन्द्रीय सरकार से कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). अप्रैल, १९६१ से सरकार को कानपुर में लकड़ी के कोयले की कमी का पता नहीं है। तथापि वहां की दो कपड़े की मिलों ने पत्थर के कोयले की कमी की शिकायत की है।

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये विशेष एलाटमेंट द्वारा आवश्यक सहायता दी गई थी। इसके अतिरिक्त ईंटें पकाने, छोटे पैमाने के उद्योग और लकड़ी के कोयले की मांग पूरी करने के लिये ब्लाक रेक और हाफ रेक योजनाबद्ध रूप में भेजा जा रहा है। राज्य सरकार ने भी कानपुर में कोयला भंडार खोला है।

विश्वविद्यालयों में औद्योगिक बस्तियां

†२४३७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री २७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विश्वविद्यालयों में छोटी औद्योगिक बस्तियां खोलने की योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५१]**

दिल्ली प्रशासन द्वारा पंजाबी का प्रयोग

†२४३८. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा शिक्षा तथा प्रशासकीय क्षेत्र में गुरुमुखी लिपि में पंजाबी के बारे में क्या नीति अपनाई गई है ; और

(ख) क्या नीति अपनाने से पहले संबंधित समाज की राय ली गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) प्राथमिक शिक्षा स्तर पर यथा-वश्यकता गुरुमुखी लिपि में पंजाबी माध्यम से शिक्षा की सुविधा दी जायगी। सेकंडरी स्तर पर पंजाबी एक मान्य भाषा है जिसे विद्यार्थी पढ़ सकते हैं और प्रश्न पत्र के उत्तर गुरुमुखी लिपि में दे दे सकते हैं। इस क्षेत्र में किसी अफसर या प्राधिकारी को किसी शिकायत को दूर कराने के लिये गुरु-मुखी लिपि में पंजाबी में अर्जियां, अभ्यावेदन आदि दिये जा सकते हैं।

(ख) उक्त नीति भारत सरकार के भाषायी अल्प संख्यकों की हितरक्षा के ज्ञापन (१९५६) में दिये गये आम सिद्धांतों पर आधारित है।

हायर सेकेंडरी स्कूलों में विज्ञान का अध्ययन

†२४३९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में हायर सेकंडरी स्कूलों में विज्ञान के अध्ययन की सुविधायें बढ़ाने और उसकी प्रगति बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) क्या इस पर ध्यान देने के लिये राज्यों को कोई सहायता दी जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला श्रीमाली)** : (क) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(१) और अधिक स्कूलों में सामान्य और विशेष विज्ञान का उपबन्ध ।

(२) विज्ञान अध्यापकों की संख्या में वृद्धि और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों द्वारा उनकी योग्यता में वृद्धि ।

(३) पाठ्य पुस्तकों में सुधार ।

(४) विद्यार्थियों में विज्ञानगुण का पता लगाने और उसका विकास करने की योजना ।

(५) विद्यार्थियों में विज्ञान प्रेम उत्पन्न करने के लिये विज्ञान क्लबों की स्थापना ।

(ख) जी, हां ।

पाकिस्तान से आये आदिम जातीय शरणार्थी

†२४४०. **श्री दशरथ देव :**
श्री बांगशी ठाकुर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान में साम्प्रदायिक दंगों के कारण जो आदिम जातीय शरणार्थी त्रिपुरा आये थे, उन्हें वापस भेज दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका कोई अभ्यावेदन सरकार के पास आया है कि उन्हें त्रिपुरा (भारत) में रहने दिया जाय ;

(ग) अब तक कितने परिवार अथवा व्यक्ति त्रिपुरा से वापस पाकिस्तान भेजे गये हैं ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं । ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) नहीं । बिना किसी यात्रा अनुमति के जो २३१७ व्यक्ति पूर्व पाकिस्तान से त्रिपुरा में आये थे उनमें से १२४१ को वापस भेजा गया और १०१ स्वयं लौट गये ।

(ख) हां ।

(ग) कुल मिलाकर १३४२ व्यक्ति पाकिस्तान लौटे हैं ।

(घ) वे भारत में यात्रा अनुमति के बिना आ गये थे ।

केन्द्रीय प्रबन्ध संस्थायें

†२४४१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २३ मार्च, १९६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो केन्द्रीय प्रबन्ध संस्थायें स्थापित करने के प्रस्ताव में आगे क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) वे अपना कार्य कब आरम्भ करेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनु संधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) **कलकत्ता संस्था** :—योजना समिति ने संस्था के कार्य क्षेत्र, होने वाले पाठ्यक्रम तथा भर्ती किये जाने वाले छात्रों की श्रेणियों की एक मोटी रूपरेखा तैयार की है।

इस संस्था को एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर कराने तथा इसके प्रशासन के लिये गवर्नर बोर्ड स्थापित करने के लिये कदम उठाये गये हैं।

अहमदाबाद संस्था :—एक योजना समिति संस्था की लागत का प्राक्कलन तथा अन्य विवरण तैयार करने के लिये बनाई गई है।

(ख) ज्यों ही पढ़ाने की सुविधायें उपलब्ध होंगी त्यों ही ये संस्थायें अपना कार्य आरम्भ कर देंगी।

जम्मू और काश्मीर के महाराजा का उत्तराधिकारी

२४४२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री कालिका सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युवराज कर्ण सिंह को जम्मू और काश्मीर के स्वर्गीय महाराजा हरिसिंह का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे इस स्थिति में सदरे-रियासत भी रहेंगे ;

(ग) उन्हें निजी थैली के रूप में कितना धन दिया जाता है और भविष्य में कितना दिया जायेगा ; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना अतिरिक्त धन खर्च करना होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) युवराज कर्ण सिंह ४ लाख रुपया का भत्ता अपने पिता जी के निजी व्यय के धन में से लेते थे। स्वर्गीय महाराजा के उत्तराधिकारी होने के नाते वे १० लाख रुपया निजी व्यय के धन के रूप में लेंगे जिसमें से १ लाख रुपया उनकी माता जी को दिया जायगा।

(घ) कुछ नहीं।

त्रिपुरा में आपराधिक अभियोग

†२४४३. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भूमि विवाद संबंधी कितने आपराधिक अभियोग त्रिपुरा की अदालतों में आये ;

(ख) क्या ऐसे मामले बढ़ रहे ; और

(ग) भूमि विवाद रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) १९५८, १९५९ और १९६० में क्रमशः ४०७, ३६८ और ३८४ ।

(ख) नहीं ।

(ग) भूमि-विवाद अधिकतर इसलिये हुये कि भूमि के पट्टों के सही रिकार्ड न मिले जिसका कारण यह था कि इस प्रकार का भूमि सर्वेक्षण पहले नहीं हुआ था जो अब किया जा रहा है और उसके पूरा होने पर आशा है कि इस प्रकार के झगड़े काफी कम हो जायेंगे ।

त्रिपुरा में भूमि का हस्तांतरण

†२४४४. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में त्रिपुरा में विक्रय लेख द्वारा भूमि के कुल कितने हस्तान्तरण हुये;

(ख) क्या ऐसा हस्तांतरण बढ़ रहा है ;

(ग) क्या आदिम जाति के लोगों ने त्रिपुरा प्रशासन से अनुरोध किया कि वह आदिम जातियों की भूमि का दूसरों का हस्तांतरण करना रोकें ; और

(घ) इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और पटल पर रख दी जायगी ।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

†२४४५. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में त्रिपुरा के कुल कितने विस्थापित व्यक्तियों ने नागरिकता प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन किया ;

(ख) ऐसे कितने प्रमाणपत्र दिये गये ;

(ग) विचाराधीन आवेदनों की संख्या कितनी है ; और

(घ) इन्हें विचाराधीन बनाये रखने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: नागरिकता एक्ट तथा नागरिकता नियम, १९५६ से लागू हुए। अतः यह जानकारी १९५६ से ३१ जुलाई, १९६१ तक की है।

(क) १,४३,१३५ ।

(ख) १,३७,५१५ ।

(ग) ५,६२० ।

(घ) आवेदन जांच के लिये विचाराधीन है। अधिकांश मामलों में पूछताछ के लिये आवेदन प्राप्त नहीं होते । उनकी उपस्थिति के लिये विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में आदिमजातीय झूमियां

†२४४६. श्री दशरथ देव :
श्री बांगशी ठाकुर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कितने झूमियों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा झूम की खेती के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया ;

(ख) क्या इन आदिम जातीय झूमियों का आर्थिक पुनर्वास किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इनके मामले वापस ले लिये जायेंगे और जब तक उनका आर्थिक पुनर्वास न हो तब तक उन्हें झूम की खेती की अनुमति दी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) ३८।

(ख) पांच परिवारों का पुनर्वास किया गया है।

(ग) २८ मामलों को वापस लेने का प्रश्न विचाराधीन है। केवल कुछ पाबंदियों के मामलों को छोड़ कर झूम की खेती की मनादी नहीं है ।

मनीपुर में सचिवालय का पुनर्गठन

†२४४७. **श्री लै० अचै सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में सचिवालय का पुनर्गठन १ जुलाई, १९६१ को आरम्भ होगा; और

(ख) क्या यह सच है कि मनीपुर प्रशासन के दो स्थानीय सचिव अपने स्थानों से कमी के कारण हटाये जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). पुनर्गठन का विषय विचाराधीन है ।

मनीपुर में सत्याग्रह के मामले में कानूनी बचाव पर खर्च

†२४४८. **श्री लै० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ठाकुर बीर सिंह तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा मनीपुर में पिछले विधान सभाई सत्याग्रह के विरुद्ध सेशन जज द्वारा दंडित होने पर न्यायिक आयुक्त को की गयी अपील में मनीपुर प्रशासन द्वारा कानूनी बचाव के लिये एक वकील रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कानूनी बचाव पर ८००० रुपये खर्च किये गये थे ; और

(ग) अपील का क्या परिणाम निकला ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां।

(ख) निम्नलिखित विवरण के अनुसार ५५३७.५० रुपये खर्च किये गये :—

(१) ८५५.५० रुपये (न्यायिक आयुक्त की अदालत में)

(२) ४६१८.०० रुपये (सेशन जज की अदालत में)

(३) ६४.०० रुपये (स्थानीय वकील को दिये जिस ने श्री बरकटकी को सहायता की)।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ठाकुर बीर सिंह को छोड़ दिया गया जब कि श्री इर्बाटोमी सिंह को दंड ठीक समझा गया किन्तु न्यायिक आयुक्त ने उसका दंड दो वर्ष से घटा कर छः महीने कर दिया। चार अन्य अभियुक्तों की अपील खारीज कर दी गई ।

सोने और चांदी पर बिक्री कर

२४४९. **श्री वाजपेयी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोने और चांदी पर दिल्ली और बम्बई में बिक्री कर की दरें अलग-अलग हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनमें कितना अंतर है ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली में दर अधिक होने के कारण सोने-चांदी के व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है और बम्बई में बाजार तरक्की कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). दिल्ली में सोने और चांदी पर, उनकी आखिरी बिक्री के समय १/२ प्रतिशत की दर से कर लिया जाता है। बम्बई में इन पर १/४ प्रतिशत की दर से बिक्री कर और उसी दर से सामान्य बिक्री कर लिया जाता है।

(ग) दिल्ली में सोने और चांदी के व्यापार पर इस तरह का कोई बुरा असर पड़ने की बात सरकार को मालूम नहीं है ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

अन्तर्गणना अवधि में भारत को आप्रवास

†२४५०. **श्री कालिका सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्गणना अवधि १९५१-६१ में भारत में आय आप्रवासियों की देशवार संख्या कितनी है ;

(ख) आप्रवासियों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ग) १९५१-६१ की इस अवधि में जनसंख्या में क्रमशः राज्यवार कितनी वृद्धि हुई और आप्रवासियों में जन्म के कारण कितनी वृद्धि हुई; और

(घ) अन्तर्गणना अवधि १९५१-६१ में भारत से गये प्रवासियों की संख्या कितनी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) से (ग). सूचना १९६३ में प्राप्त होगी जब प्रवासियों तथा जनसंख्या के अन्य आंकड़ों के तैयार होने की आशा है ।

(घ) १९५१ से जून १९६१ तक जो लोग भारतीय प्रवास अधिनियम, १९२२ के अधीन बाहर गये उनकी संख्या ५४,५७२ है । विदेशों में स्थायी रूप से रहने के लिये जिन व्यक्तियों को १९५५ से १९६१ (केवल इस अवधि की ही सूचना प्राप्त है) में पारपत्र की सुविधा दी गई उनकी संख्या ९,३३७ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय एटलस

†२४५१. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एटलस को प्रकाशन के लिये अंतिम रूप कब तक दे दिया जायगा ;

(ख) क्या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने भारत सर्वेक्षण विभाग को भारत की उत्तर, पश्चिम और पूर्व की सीमाओं का विवरण दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो वे सीमायें राष्ट्रीय एटलस में कैसे दिखाई जायेंगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) राष्ट्रीय एलटस का हिन्दी संस्करण प्रकाशित हो गया है और अक्टूबर, १९५७ से विक्रय के लिये रखा गया है ।

अंग्रेज़ी संस्करण तृतीय योजना की समाप्ति तक पूरा हो जाने की आशा है ; किन्तु अलग-अलग मान चित्र ज्यों-ज्यों तैयार होंगे विक्रय के लिये रखे जायेंगे ।

(ख) जी हां

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

असम राज्य में भाषायें

†२४५२. **श्री कालिका सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१ की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार असम बहुभाषी राज्य है ;

(ख) असम में कौन-सी प्रमुख भाषायें बोली जाती हैं ;

(ग) किन-किन क्षेत्रों में बहुमत द्वारा विशेष भाषाएं बोली जाती हैं ;

(घ) उक्त भाग (ग) में बताये गये क्षेत्रों में कौन से भाषायी अल्पसंख्यक हैं और उनकी संख्या कितनी है ; और

(ङ) इन क्षेत्रों में देवनागरी लिपि के प्रचार के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) से (घ). वहां बोली गई भाषायें तथा जनसंख्या की अन्य सामाजिक बातों के आंकड़े तभी प्राप्त होंगे जब जनगणना के आंकड़ तैयार हो जायेंगे जो १९६३ तक हो जाने की आशा है ।

(ङ) भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों से देवनागरी लिपि अपनाने की सिफारिश की है ।

आणविक विस्फोटक पदार्थों सम्बन्धी अनुसंधान

†२४५३. **श्री कालिका सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की विस्फोटक अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला अणुशक्ति से सम्बन्धित विस्फोटकों का अनूसंधान करती है ;

(ख) प्रतिरक्षा मंत्रालय ने प्रतिरक्षा के सिलसिले में अणु-विज्ञान के नवीन विकास से परिचित रहने के लिये क्या कदम उठाये हैं; और

---

† मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार ने इस विषय में विदेशी प्राविधिकों की कोई सहायता प्राप्त की है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). यह सरकार की घोषित नीति है कि वह अणुशक्ति का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिये करेगी ।

कवायद आदि के लिये हिन्दी शब्द

२४५४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न शारीरिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये तथा राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अन्तर्गत कवायद आदि में अंग्रेजी के आदेशात्मक शब्दों के स्थान पर हिन्दी शब्द अपनाने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) क्या भारतीय भाषाओं में उनके पर्याय निश्चित किये गये हैं और अपना लिये गए हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है ।

विवरण

राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अधीन कवायद आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाले आदेशात्मक शब्द हिन्दी में चुने और अपना लिए गए हैं। जहां तक शारीरिक प्रशिक्षण संस्थाओं का संबंध है, इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

२. अपने क्षेत्र में शारीरिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषाओं के आदेशात्मक शब्द चुनने का कार्य संबंधित राज्य सरकारों का है ।

हिन्दी टाइपराइटर

२४५५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अक्तूबर, १९६० में अतिरिक्त हिन्दी टाइपराइटर खरीदने का जो सभी मंत्रालयों को निदेश दिया गया था उसके अनुसार जून, १९६१ तक उनके द्वारा कितने टाइपराइटर खरीदे गये;

(ख) ऐसे कितने संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालय हैं जिनमें अभी तक कोई हिन्दी टाइपराइटर नहीं है; और

(ग) ऐसे कार्यालयों में हिन्दी टाइपराइटर खरीदने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात का उत्पादन

†२४५६. **श्री खीमजी :**
श्री चुन्नीलाल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विविध श्रेणियों के इस्पात की वर्तमान संभरण स्थिति क्या है ;

(ख) उनमें किन वस्तुओं की कमी है; और

(ग) ठीक-ठीक संभरण उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). चद्दरें, स्ट्रिप, तार, टिनप्लेट, औजार का इस्पात और एलॉय इस्पात के अलावा समस्त नियंत्रित इस्पात की श्रेणियों की संभरण स्थिति अच्छी है। रिरॉलरों के लिये बिलेट की स्थिति में भी कुछ संकट है।

(ग) इस्पात के नये कारखाने अपनी आरंभिक कठिनाइयों को दूर करके ज्योंही उत्पादन शुरू करेंगे त्योंही स्थिति और अच्छी हो जायेगी। भविष्य में बढ़ती हुई माँग पूरी करने के लिये उचित क्षमता उत्पन्न करने की तृतीय योजना के अन्तर्गत कार्यवाही की जायगी।

उत्तर सिक्किम राजमार्ग

†२४५७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगटोक और सिंधिक के बीच का उत्तर सिक्किम राजमार्ग बन गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी क्या लागत है; और

(ग) क्या यह सिक्किम के उत्तरी क्षेत्रों से वन की वस्तुएँ भेजने में सुविधा के लिये बनाया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). इस समय यह सूचना देना राष्ट्रीय हित में नहीं है।

(ग) सिक्किम में आर्थिक विकास के लिये भी सड़कें बनाई जा रही हैं।

पटना विश्वविद्यालय द्वारा पुरातत्वीय खुदाई

†२४५८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटना विश्वविद्यालय को १९५९-६० और १९६०-६१ में पुरातत्वीय खदाई के लिये कोई राशि दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन दो वर्षों में कौन-सा खुदाई का काम किया गया ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विश्वविद्यालय ने १९६०-६१ में बिहार राज्य के भागलपुर जिले में कहलगांव रेलवे स्टेशन से लगभग ८ मील उत्तर की ओर अन्तीचक में खुदाई की थी।

अनुवाद करने वाली मशीन

†२४५९. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक ऐसी मशीन का पता है जो बड़ी तेजी से रुसी भाषा का अनुवाद अंग्रेजी में करती है; और

(ख) क्या भारतीय भाषाओं के अनुवाद एक से दूसरी भाषा में करने के लिये उसी तरीके को ढूंढने के लिये कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) इस विषय में समाचारपत्रों में छपे कुछ समाचारों के अतिरिक्त सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी नहीं।

भारत में पाकिस्तानी

†२४६०. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक कितने पाकिस्तानी निर्धारित अवधि से अधिक समय तक भारत में रह रहे हैं और गत तीन मासों में कितने पश्चिमी पाकिस्तान की ओर अवैध रूप से भारत में प्रविष्ट हुए; और

(ख) इस प्रकार के अवैध प्रवेश को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कच्चे लोहे और इस्पात का उत्पादन

†२४६१. **श्री सूपकार** :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ के मई, जून और जुलाई मास में सरकारीक्षेत्र के इस्पात के प्रत्येक कारखाने में अलग-अलग कच्चे लोहे और इस्पात का कितना उत्पादन हुआ ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किन कारणों से राउरकेला के कारखाने में लोहे और इस्पात का प्रत्याशित उत्पादन नहीं हो सका ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) सरकारी क्षेत्र के इस्पात के प्रत्येक कारखाने में १९६१ के मई, जून, और जुलाई मास में कच्चे लोहे और इस्पात का उत्पादन निम्नलिखित हुआ :—

(टनों में)

कच्चा लोहा	भिलाई	राउरकेला	दुर्गापुर
मई .	७२,५६४	३५,४३७	५४,०४२
जून	७८,६१०	२९,५४२	५५,७५०
जुलाई .	८३,८००	२४,७०९	६२,५५०
इस्पात पिण्ड—			
मई .	४८,८३२	२२,७९२	२४,४२१
जून .	५५,७२७	२२,८०८	२३,१७०
जुलाई . .	६१,८५०	१९,३९३	२८,४२१

(ख) जून, १९६१ में राउरकेला ब्लास्ट फर्नेस नं० १ आठ दिन तक बन्द रही । निकलने के छिद्र (टेप होल) की लाइनिंग की कमजोरी के कारण भी उत्पादन कम किया गया । ब्लूमिंग और स्लेबिंग मिल के टूट जाने से भी इस्पात का उत्पादन कम हुआ ।

पंजाब में पिछड़े वर्गों का कल्याण

†२४६२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब को १९६०–६१ में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये जो धन राशि दी गई थी वह सारी खर्च नहीं की गई ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि प्रयोग की गई ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इस राशि में से गैर-सरकारी संगठनों को कोई सहायता दी गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी और यह सहायता किन-किन गैर-सरकारी संगठनों को मिली ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मंगाई गई है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में लड़कियों की शिक्षा

†२४६३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य में लड़कियों की शिक्षा के विस्तार और अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण में सहायता देने के लिये वर्ष १९६०-६१ में पंजाब के लिये ३,७२,५५२ रुपये मंजूर किये गये हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किन-किन योजनाओं के लिये यह राशि मंजूर की गई है ; और

(ग) वर्ष १९६१-६२ में इस प्रयोजन के लिये पंजाब को कितनी राशि मंजूर की जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) ४,५४,६९४ रुपये स्वीकृत किय गये हैं ।

	स्वीकृत राशि
	रुपये
(ख) (एक) ग्राम क्षेत्रों में स्त्री अध्यापकों के लिये मुफ्त क्वार्टरों का उपबन्ध	३,००,०००
(दो) मिडिल और सेकेण्डरी स्कूलों में छात्रावासों का निर्माण	१,५४,६९४

(ग) यह योजना लड़कियों की शिक्षा, जो राज्य-क्षेत्र के, अधीन आती है, के लिये विशेष कार्यक्रम में शामिल कर ली गई है । केन्द्र से किस रूप में सहायता दी जाये यह अभी विचाराधीन है ।

पंजाब में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक

†२४६४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने १९६०-६१ में पंजाब में कम वेतन पाने वाले प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों के भत्ते बढ़ाने के लिये पंजाब सरकार को कोई आर्थिक सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सहायता ५० प्रतिशत थी किन्तु वास्तविक रकम कितनी थी यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह सहायता प्रत्येक योजना के लिये अलग नहीं बल्कि एक सामूहिक राशि के रूप में दी जाती है ।

लुधियाना में कोयला संभरण में कमी

†२४६५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुधियाना चेम्बर ऑफ कामर्स और लुधियाना के मिल मालिकों के कोई अभ्यावेदन आये हैं कि लुधियाने में विभिन्न उपभोक्ताओं के पास कोयले की कमी है ;

(ख) लुधियाने में उपभोक्ताओं ने कितने वेगन मांगे थे और उन्हें कितने दिये गये ;

(ग) लुधियाने में कोयले की कमी पुरी करने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) क्या इस कमी से वस्त्र-उत्पादन में कमी हुई ; और

(च) यदि हां, तो कितनी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) लुधियाने की कपड़े की मिलों या चेम्बर ऑफ कामर्स से ऐसे कोई अभ्यावेदन नहीं आये।

(ख) और (ग). किसी क्षेत्र विशेष के लिये नहीं बल्कि सारे राज्य के लिये कोटा निश्चित किया जाता है और आंकड़े भी नगर विशेष के लिये नहीं राज्य वार रखे जाते हैं।

पंजाब के लिये निश्चित ४८,४०० वैगनों में जनवरी, १९६१ से जून, १९६१ तक वहां २८,२०० वैगन भेजे गये। कुछ कोयले को योजनाबद्ध रूप में भेजने और प्रतिदिन १९०० के बजाय २१०० वैगन भेजने से स्थिति में काफी सुधार हो गया है।

(घ) सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

दूसरी योजना के दौरान पंजाब की लोहा और इस्पात की आवश्यकतायें

†२४६६. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में लोहा और इस्पात की कितनी आवश्यकता बताई थी ;

(ख) प्रत्येक वर्ष कितना लोहा और इस्पात मंजूर किया गया ; और

(ग) प्रत्येक वर्ष वास्तव में कितना लोहा और इस्पात दिया गया ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५२]**

यूनेस्कों में पदों का वितरण

†२४६७. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को में पदों के वितरण के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उससे भारत को लाभ होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० लां० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुनर्वास वित्त प्रशासन

†२४६८. **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री २४ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसे मामले हैं जिनमें प्रश्न में उल्लिखित ऋण करार का पुनर्वास वित्त प्रशासन ने पालन नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने मामले हैं ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ३० जून, १९६० को कार्य समाप्त हो जाने पर पुनर्वास वित्त प्रशासन का समापन किया गया और उसे ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त कर दिया गया । सरकार को ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है जिसमें पुनर्वास वित्त प्रशासन ने उससे ऋण लेने वाले लोगों के साथ किये गये करार की शर्तों का पालन न किया हो ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पन्ना (मध्य प्रदेश) में हीरे

†२४६९. **श्री आचार** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने मध्य प्रदेश में पन्ना में हीरे निकालने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) निगम ने मध्य प्रदेश के रामखेरिया और मझगवां पन्ने के निक्षेप को काम में लाने के लिये दो परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये हैं । रामखेरिया योजना का अनुमित व्यय ४६ लाख रुपये हैं और उसके लिये २७·९ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा आवश्यक होगी । हीरे का वार्षिक अनुमित उत्पादन १२,५०० रत्ती है । मझगवां योजना में अनुमानतः ९० लाख रुपये लगेंगे और उसके लिये २९ लाख रुपये की शिदेशी मुद्रा आवश्यक होगी । इस क्षेत्र में हीरे का वार्षिक अनुमित उत्पादन ३०,००० रत्ती होगा । सरकार इन दोनों योजनाओं की जांच कर रही है ।

जम्मू व काश्मीर को केन्द्रीय सहायता ऋण

†२४७०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से लेकर अब तक केन्द्र ने जम्मू व काश्मीर राज्य को सहायता ऋणों के तौर पर कितनी राशि दी है ; और

(ख) ये ऋण किन कामों के लिये दिये गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) ३१ मार्च १९६१ तक ४९,७५,८२,००० रुपये ।

(ख) ये ऋण निम्न कार्यों के लिये दिये गए थे :

(१) बजट के घाटे को पूरा करने के लिये ।

(२) विकास, बाढ़ रक्षा, विस्थापित व्यक्ति के पुनर्वास के लिये, कम आय वर्ग आवास योजना, पुलिस के लिये मकान व्यवस्था, सामुदायिक विकास, खाद्यान्न की खरीद और ऐसी अन्य योजनाओं को चलाने के लिये ।

मछुओं द्वारा ट्राम्बे जैटी का उपयोग

†२४७१. **श्री आसर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मछुओं को ट्राम्बे जैटी का प्रयोग करने से रोकने के लिये नोटिस जारी किया गया है ।

(ख) क्या सरकार को विदित है कि इस नोटिस के कारण मछुओं को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रतिरक्षा मंत्री ने उस बस्ती के मछुओं से इस कठिनाई को दूर करने के बारे में प्रतिज्ञा की है, जब वह गत वर्ष उस क्षेत्र में गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो उस दिशा में क्या प्रगति की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (घ). सरकार ने मछुओं के द्वारा ट्राम्बे जैटी का उपयोग बन्द नहीं किया । उनकी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कुछ पाबन्दियां लगा दी गई हैं । मछुओं को अधिक सुविधायें देने का प्रश्न विचाराधीन है । सरकार ने मछुओं के उपयोग के लिये जैटी के साथ राज्य सरकार के सहयोग से एक "कैट-वाक" बनाना स्वीकार कर लिया है । जब "कैट-वाक पूरी हो जायेगी तो मछुओं को आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी ।

आनरेरी मजिस्ट्रेट की पद्धति

२४७२. **श्री विभूति मिश्र**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आनरेरी मजिस्ट्रेट की पद्धति किन-किन राज्यों में है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : आनरेरी मजिस्ट्रेटों की पद्धति बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों में है ।

पंजाब राज्य में यह पद्धति हटा दी गई थी किन्तु राज्य सरकार ने इसको फिर चालू करने का निश्चय कर लिया है । परन्तु अभी तक किसी आनरेरी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं की गई है ।

यह पद्धति राजस्थान राज्य में नहीं है किन्तु पिलानी में आनरेरी मजिस्ट्रेटों का एक न्यायालय जोकि पहले जयपुर रियासत के नरेश ने स्थापित किया था इस दृष्टि से रहने दिया गया है ताकि पिलानी के नगर पालिका क्षेत्र में जयपुर प्राथमिक शिक्षा अधिनियम का ठीक पालन होता रहे ।

आसाम और उड़ीसा के राज्यों में आनरेरी मजिस्ट्रेटों की पद्धति नहीं है ।

आंध्र प्रदेश के राज्य के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है जो यथासमय सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी स्टेनोग्राफर

२४७३. { श्री क० भे० मालवीय :
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या गृह-कार्य मंत्री ४ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी और अंग्रेजी के स्टेनोग्राफरों की निर्धारित योग्यताओं में कोई अन्तर है ;

(ख) क्या यह अन्तर केवल अंग्रेजी और हिन्दी शीघ्रलिपि का ही है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या अंग्रेजी स्टेनोग्राफरों से संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने के लिए हिन्दी शीघ्रलिपि का ज्ञान अपेक्षित हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या हिन्दी स्टेनोग्राफरों की सेवा भी इसी आधार पर गठित की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). हिन्दी और अंग्रेजी स्टेनोग्राफरों की शिक्षा संबंधी योग्यता में कोई अन्तर नहीं है लेकिन हिन्दी स्टेनोग्राफरों के लिए मैट्रिक में एक विषय हिन्दी अवश्य होना चाहिये। यू० पी० एस० सी० द्वारा भरती किये गये अंग्रेजी स्टेनोग्राफरों का और एड हाक तरीके से भरती किये गये हिन्दी स्टेनोग्राफरों का मुद्रलेखन (टाइपिंग) तथा आशुलिपि (शार्टहेण्ड) की प्रवीणता का स्टैण्डर्ड भिन्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) हिन्दी स्टेनोग्राफरों के लिए पृथक सेवा बनाने का कोई विचार नहीं है। वर्तमान कर्मचारियों को हिन्दी में भी काम करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

हिन्दी में नोटिंग

२४७४. **श्री क० भे० मालवीय :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों में संसद् में पूछे जाने वाले हिन्दी प्रश्नों की फाइलों पर अंग्रेजी में ही नोटिंग की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह आदेश देगी कि सब मंत्रालयों में ऐसी फाइलों पर केवल हिन्दी में ही नोटिंग की जाये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). मार्च, १९६१ में यह अनुदेश जारी किया गया था कि चुने हुए अनुभागों में जिनमें कि अधिकांश लोग हिन्दी जानते हैं, अंग्रेजी के अलावा, प्रयोगात्मक रूप से, हिन्दी में भी टिप्पण करने की छूट दे दी जाए। कुछ अनुभागों में संसद् में पूछे जाने वाले हिन्दी प्रश्नों की फाइल पर हिन्दी में टिप्पण शुरू कर दिया गया है।

संशोधित वेतन-क्रमों के कारण बकाया राशि का भुगतान

२४७५. **श्री क० भे० मालवीय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन मंत्रालयों ने संशोधित वेतन-क्रमों के अनुसार बकाये की राशि कर्मचारियों को श्रेणीवार चुका दी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किन-किन मंत्रालयों तथा उनके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों ने बकाया राशि नहीं दी है और इसके क्या कारण ह ;

(ग) मंत्रालयों द्वारा बकाये की सारी राशि कब तक दे दी जायेगी ; और

(घ) अब तक कितनी राशि दी गई है और कितनी बाकी है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). सूचना उपलब्ध नहीं है। सरकार इस बात के लिये उत्सुक है कि कर्मचारियों को बकाया रकमों का भुगतान जल्दी ही कर दिया जाय और शीघ्रतापूर्वक भुगतान करने के लिये उस ने समय समय पर हिदायतें जारी की हैं। जहां तक सरकार को मालूम है, बकाया रकमें अधिकांश कर्मचारियों को चुकायी जा चुकी हैं। सरकार का ख्याल है कि प्रश्न में मांगी गयी सूचना के भारत में फैले विभिन्न कार्यालय और विदेशों के भारतीय मिशनों से इकट्ठा करने में जो परिश्रम करना पड़ेगा वह निकलने वाले परिणाम को देखते हुए बहुत अधिक होगा।

योजना के अन्तर्गत न आने वाली सरकारी नौकरियों पर प्रतिबन्ध

२४७६. श्री पन्नालाल बारूपाल : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत न आने वाली सरकारी नौकरियों पर लगा प्रतिबन्ध न्याय संगत है ;

(ख) यह कब तक चलेगा ; और

(ग) क्या इससे सरकारी कार्यक्षमता की हानि नहीं होती ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां, प्रतिबन्ध का उद्देश्य सरकारी प्रशासन-व्यय में कमी करने का है।

(ख) फिलहाल यह ३१-१२-६१ तक चलेगा।

(ग) ऐसे संकेत मिलते हैं कि प्रतिबन्ध ने प्रशासनीय क्षेत्रों में उन कर्मचारियों के प्रसार की गति रोक रखी है जिनका योजना की स्कीम तथा सुरक्षा से किसी तरह का सीधा संबंध नहीं है और इससे प्रशासनीय कार्यक्षमता को भी कोई हानि नहीं हुई है।

राजस्थान में केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं के केन्द्र

२४७७. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सेवाओं के लिये होने वाली परीक्षाओं का केन्द्र राजस्थान में क्यों नहीं रखा जाता ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिल्ली से बाहर ली जाने वाली परीक्षाओं के केन्द्र आयोग द्वारा तत्सम्बधी कारणों को ध्यान में रखते हुए निश्चित किए जाते हैं। नए केन्द्रों के खोलने में राज्य सरकारों आदि के परामर्श से काफी विस्तृत काम करना होता है, तथा आवश्यकता अनुसार स्थिति को बराबर ध्यान में रखा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में आयोग ने पांच नए केन्द्र खोलने का निश्चय किया है। राजस्थान में एक केन्द्र खोलने का प्रश्न भी आयोग ने राजस्थान सरकार के साथ हाथ में लिया है, तथा आयोग इस विषय पर सक्रिय विचार कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बाढ़ पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिये राज्यों की आवश्यकताएं

†२४७८. **श्री नागी रेड्डी :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री बै० च० मलिक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों से कहा है कि वे हाल की बाढ़ों के द्वारा प्रभावित अधिकतर लोगों को बसाने के लिये उनकी अपनी आवश्यकताएं केन्द्र को बतायें;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों से प्राप्त पत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) बाढ़ पीड़ित लोगों का पुनर्वास राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । इसलिये उन से प्रार्थना की गई है कि वे केन्द्र से केवल विशेष सहायता की आवश्यकता बतायें ।

(ख) और (ग). केवल महाराष्ट्र, मैसूर और केरल की सरकारों ने केन्द्र से वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थना की है । महाराष्ट्र सरकार ने पूना में हाल की बाढ़ों से प्रभावित लोगों को बसाने और उनकी सहायता के लिये ३ करोड़ रुपये का 'अर्थोपाय' ऋण मांगा है । यह राशि मंजूर कर ली गई है । मैसूर और केरल सरकारों ने अपने राज्यों में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिये क्रमशः ३ करोड़ और १·८० करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी है । मामला विचाराधीन है ।

मंत्रियों और उपमंत्रियों द्वारा व्याख्यान पर्यटन[१]

†२४७९. **श्री अ० मु० तारिक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में अब तक कितने मंत्री और उपमंत्री विदेशों की व्याख्यान पर्यटन पर गये हैं;

(ख) उन को शुल्क और अन्य भत्तों आदि के तौर पर विदेशी संस्थाओं से कितनी राशि प्राप्त हुई है;

(ग) क्या उन मंत्रियों आदि ने वह राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी है; और

(घ) यदि हां, तो उन्होंने वास्तव में कितनी राशि जमा करवाई है और यात्रा तथा अन्य खर्च के बदले कितनी राशि अपने पास रखी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

उड़ीसा में अग्रिम परियोजना

†२४८०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अखिल भारत सर्व सेवा संघ द्वारा सेवित ग्रामदान गांवों में बोई परीगूडा में आरम्भ की जाने वाली प्रस्तावित अग्रिम योजना अब तक आरम्भ की जा चुकी है;

---

†मूल अंग्रेजी म

[१] Lecturef Tours

(ख) ग्राम दान क्षेत्रों में इन अग्रिम परियोजना की योजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय विस्तार सेवा या सामुदायिक विकास क्षेत्रों में की जाने वाली विकास योजनाओं की तुलना में इनमें क्या अन्तर है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों में की गई विकास योजनाओं तथा बोईपरीगूडा अग्रिम परियोजना में की गई योजनाओं को बताने वाली सूची संलग्न है । सामुदायिक विकास क्षेत्रों में शामिल कुछ महत्व पूर्ण योजनायें बोई परीगूडा परियोजना में भी आरम्भ की गई है ।

नियमों का हिन्दी में अनुवाद

२४८१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **विधि** मंत्री १५ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन मंत्रालयों से हिन्दी में अनुवाद के लिए कुछ संविहित नियम प्राप्त हुए हैं क्या उनसे यह पता कर लिया गया है कि उन मंत्रालयों के किसी भी कार्यालय में और नियम अनुवाद के लिए शेष नहीं हैं; और

(ख) यदि और नियम अनुवाद के लिये बाकी हैं, तो उनको प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) नियमों के बनने का सिलसिला तो बराबर जारी रहता है । इसलिए कोई मंत्रालय किसी समय यह नहीं कह सकता कि उसने अपने सभी नियम अनुवाद के लिए भेज दिये हैं । फिर भी अलग अलग मंत्रालयों से यह अनुरोध किया गया है कि उनके जो नियम पहले से ही बने हुए हैं उनके बारे में वे यह आवश्यक जानकारी भेज दें ।

(ख) जब भी यह बात आवश्यक होती है तभी सम्बद्ध मंत्रालयों को दुबारा पत्र भेजा जाता है कि वे इस बारे में शीघ्र कार्यवाही करें ।

वैस्टर्न हाउस, कर्जन रोड, नई दिल्ली

†२४८२. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नेकराम नेगी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वैस्टर्न हाउस, कर्जन रोड, नई दिल्ली में वहां के हाउस सुपरिंटेंडेंट के द्वारा सरकारी कर्मचारियों और गैर-सरकारी समवायों के कर्मचारियों से भोजन और निवास के लिये भिन्न भिन्न दर पर शुल्क लिया जाता है अर्थात् सरकारी कर्मचारियों से ५८ रुपये और गैर-सरकारी कर्मचारियों से ४८ रुपय;

(ख) क्या इस में किराया शामिल है और क्या किराये की कोई रसीद दी जाती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि एस्टेट आफिस भी उनके वेतन से किराया वसूल कर लेता है; और

(घ) यदि हां, तो यह दोनों ओर से क्यों काटा जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां । निम्न प्रकार शुल्क लिया जाता है :

ब्लाक	सरकारी कमचारी	गैर-सरकारी कर्मचारी
ए और सी ब्लाक	४८ रुपये मासिक	५८ रुपये मासिक
डी ब्लाक—		
(१) २०० रुपये से कम वेतन पाने वाले निवासी से . .	७० रुपये मासिक	८० रुपये मासिक
(२) २०० रुपये से अधिक पाने वाले निवासी से .	७४ रुपये मासिक	८५ रुपये मासिक

(ख) इसमें किराया शामिल नहीं है, इसलिये किराये की कोई रसीद नहीं दी जाती ।

(ग) जी, नहीं । तथापि निवासियों को सरकार से किराया भत्ता लेने का हक नहीं है ।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता ।

आई० एन० एस० विक्रान्त पर एक नौसेना के नाविक को चोट

†२४८३. **श्री साधन गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६ मई, १९६१ को हमारे विमान वाहक पोत 'विक्रांत' पर काम करने वाले एक नौसेना नाविक (रेटिंग), श्री इनामदार, को गहरी चोटें लगीं;

(ख) यदि हां, तो चोटों के कारण क्या थे;

(ग) उसका कहां इलाज किया गया था; और

(घ) उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) आई० एन० एस० विक्रांत के फ्लाइट डैक से नीचे के डैक पर आकस्मिक गिर जाने के कारण ।

(ग) जहाज पर तुरंत प्रथम चिकित्सा सहायता दी गई । नाविक को एक हैलीकाप्टर के द्वारा वेमून्थ और जिला अस्पताल, पोर्टलैंड में स्थानांतरित कर दिया गया । क्योंकि उसकी हालत गंभीर थी, उसे उसी सायंकाल को वापिस विमान से लाकर एटकिसन मौरले अस्पताल विगलडन, लन्दन में भरती कर दिया गया । तुरन्त ही उसका आप्रेशन किया गया ।

(घ) रक्त का चकत्ता हटा दिया गया था । दुर्भाग्यवश २२ मई, १९६१ को उसकी मृत्यु हो गई ।

दार्जिलिंग जिले में नेपाली भाषा

†२४८४. **श्री साधन गुप्त :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में विस्तृत रूप से यह मांग की जा रही है

---

†मूल अंग्रेजी में

कि उस जिले के उन संस्पर्शी भागों में जहां नेपाली लोग बहु संख्या में हैं प्रशासकीय कामों में नेपाली भाषा प्रयोग की जाये; और

(ख) क्या इस कार्य के लिये कोई राष्ट्रपति का आदेश जारी होगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). राष्ट्रपति का आदेश जारी होने का विचार अनिश्चित प्रतीत होता है क्योंकि पश्चिमी बंगाल सरकार ने उस राज्य के किसी एक या समस्त सरकारी कार्यों के लिए कोई एक भाषा या अधिक भाषायें अपनाने वाली कोई विधि स्वीकार नहीं की है ।

भारतीय पुलिस सेवा के लिये योग्यता परीक्षा

†२४८५. { **श्री कालिका सिंह :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुलिस सेवा के लिए योग्यता परीक्षा को भी बढ़े हुए वेतन-क्रम के साथ अधिक कठिन बना दिया गया है;

(ख) संशोधित वेतन-क्रमों तथा भत्तों की अपेक्षा वर्तमान वेतन-क्रम कम है या अधिक;

(ग) क्या संशोधित वेतन-क्रम नये वेतन-क्रम में चुने गये उम्मीदवारों को मिलेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो पुराने पदाधिकारियों को नये वेतन-क्रमों में कहां रखा जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) भारतीय पुलिस सेवा के लिए संघ लोक सेवा की परीक्षा की योजना में अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ख)	वर्तमान वेतन-क्रम रु०	संशोधित वेतन-क्रम रु०
कनिष्ठ वेतन-क्रम	३५०–३५०–३८०–३८०–३०–५९०–ई० बी०–७७०–४०–८५०	४००–४००–४५०–३०–६००–३५–६७०–ई० बी०–३५–९५०
वरिष्ठ वेतन-क्रम	६०० (छटा वर्ष या कम) –४०–१०००–१०००–१०५०–१०५०–११००–११००–११५०।	७५० (छटा वर्ष या कम) ४०–११००–५०/२–१२५०–५०–१३००
चुनाव श्रेणी . .	१२५०	१४००
पुलिस उप महानिरीक्षक .	१४५०–५०–१६५०	१६००–१००–१८००
बम्बई तथा कलकत्ता की पुलिस के आयुक्त	१६५०–७५–१९५०	१८००–१००–२०००
पुलिस के महानिरीक्षक .	१८५०–१००–२२५०	२२५०
गुप्त वार्ता विभाग के निदेशक . .	२५००	२७५०

†मूल अंग्रेजी में

संशोधित वेतन-क्रमों के वेतनों पर कोई महंगाई भत्ता नहीं होगा क्योंकि वेतन-क्रम में महंगाई भत्ता सम्मिलित है जो कि आजकल दिया जा रहा है ।

(ग) नहीं ।

(घ) विद्यमान पदाधिकारियों के वेतनों को संशोधित वेतन-क्रमों में निर्धारित करने के ढंग पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों के लिए परामर्श बोर्ड

†२४८६. **श्री कालिका सिंह :**
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों के लिये परामर्श बोर्ड की दो दिन की मीटिंग में क्या निर्णय किये गये ;

(ख) राष्ट्रीय एटलस में सम्मिलित किये जाने वाले २०० मानचित्रों का क्या वर्णन है ;

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित २०० मानचित्रों सहित राष्ट्रीय एटलस को हिन्दी में प्रकाशित करने का क्या निर्णय किया गया है ; और

(घ) राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों के प्रकाशन की समय-सूची क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) बोर्ड ने अन्य बातों के साथ राष्ट्रीय एटलस के अंग्रेजी संस्करण में २०० मानचित्रों को और सम्मिलित करने की सिफारिश की और उसमें सम्मिलित करने के लिये मानचित्रों की प्राथमिकता निर्धारित की । राष्ट्रीय एटलस संघ द्वारा अंशकाल के आधार पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के रखे गये विद्यार्थियों से प्राप्त अनुभव के आधार पर बोर्ड ने योजना को अन्य विश्वविद्यालयों में लागू करने की सिफारिश की ।

(ख) बोर्ड ने सिफारिश की कि पहिले १३८ मानचित्र तैयार किये जायें जिन के शीर्ष निम्न-लिखित हों :—

जनसंख्या, भौतिक, परिवहन तथा पर्यटन प्रशासनिक तथा सामान्य, भूमि उपयोग और सामाजिक—आर्थिक ।

बाकी मानचित्रों के शीर्षकों पर विचार किया जायेगा परन्तु ऐसा उल्लिखित १३८ मानचित्रों का कार्य समाप्त होने पर होगा ।

(ग) यह मामला बोर्ड के सामने नहीं आया ।

(घ) एटलस का सर्वसम्पूर्ण अंग्रेजी संस्करण तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा हो जाना चाहिये । अलग अलग मानचित्र तैयार होते ही बिक्री के लिये दिये जायेंगे । भौगोलिक नाम निश्चित करने के लिये कोई समय नहीं है क्योंकि यह एक निरन्तर कार्य है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेना नियमों में संशोधन

†२४८७. **श्री अमजद अली :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विद्यमान सेना नियमों के कुछ संशोधन पेश किये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रस्तावित संशोधन से सेना अधिकारी सेवा से अलग हो जायेंगे या उनसे सेवा से निवृत्ति लेने को या त्यागपत्र देने को कहा जायेगा और उन्हें कारण बताने का अवसर भी नहीं दिया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो ये परिसंशोधन करने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग). नहीं, श्रीमान् । जब कभी दुर्व्यवहार के आधार पर किसी अधिकारी की सेवा समाप्त की जाती है, तो उसे निम्न बातों के अतिरिक्त ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का अवसर दिया जायेगा :—

(१) दण्ड न्यायालय ने जिस व्यवहार पर दण्ड दिया हो उसके आधार पर यदि सेवा समाप्त की जाये ; और

(२) यदि केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट हो कि कुछ कारणों से, जो लिखित रखे जायेंगे, अधिकारी को कारण बताने का अवसर देना औचित्य की दृष्टि से व्यवहारिक न हो ।

उड़ीसा के माध्यमिक अध्यापकों की उपलब्धियां

†२४८८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की उपलब्धियां बढ़ाने के लिये १९६१-६२ में कोई धन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह धनराशि क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१९६१-६२ के लिये आवंटित केन्द्रीय सहायता का तीन-चौथाई भाग मार्गोपाय ऋण के रूप में मासिक किस्तों में दिया जा रहा है । इस राशि के योजनावार आंकड़े विदित नहीं हैं क्योंकि केन्द्रीय सहायता अलग अलग योजना के अनुसार नहीं दी जाती । फिर भी, यह कहा जा सकता है कि राज्य की योजना में अध्यापकों के वेतनों के सुधार के बारे में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं:—

"गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों में सुधार ।"

उड़ीस में लौह अयस्क की खानें

†२४८९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में किरीबुरू और बरसुआ की लौह अयस्क की खानों में अब तक कितना धन लगा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन खानों का क्रमानुसार कुल तथा श्रेणीवार उत्पादन ;

(ग) सामान्य धमन भट्टियों, और खुली भट्टियों में किस श्रेणी का लोहा प्रयोग होता है ; और

(घ) इन खानों के ऊपर प्रति टन मूल्य क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) किरीबुरू लौह अयस्क खान--१·६७ करोड़ रु० ।

बरसुआ लौह अयस्क खान--८·५२ करोड़ रु० ।

(ख) किरीबुरू खानों का अभी निर्माण हो रहा है और आशा है कि वहां १९६३ के आरम्भ में उत्पादन आरम्भ होगा । बरसुआ खानों में अब तक १,४०,७६० मीट्रिक टन लौहअयस्क का उत्पादन हुआ है जिस में से १,०१,५७० मीट्रिक टन मिला जुला अयस्क था और शेष उत्तम था ।

(ग) सरकारी क्षेत्र में तीन इस्पात कारखानों में धमन भट्टियां मिला जुला लोह अयस्क प्रयोग करने के लिये बनाई गई हैं जिन में औसतन ५८ से ६२ प्रतिशत लोहा होता है ।

(घ) खानों में पूर्ण उत्पादन आरम्भ होने पर ही ये आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं ।

महाराष्ट्र में चक्रवात

†२४९०. **श्री बा० चं० कामले** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में कोनकन में हाल में आये चक्रवात से जान व माल की कितनी हानि हुई ;

(ख) क्या प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने के लिये संघ सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). संघ सरकार सीधे प्रभावित व्यक्तियों को सहायता नहीं देती परन्तु निश्चित रूप में सहायतार्थ की गई कार्यवाही के व्यय के लिये राज्य सरकार को सहायता देती है । भारत सरकार को विशेष रूप से कोनकन चक्रवात सहायता के लिये अभी तक वित्तीय सहायता देने की कोई प्रार्थना नहीं मिली है ।

चन्द्रभान उच्च माध्यमिक स्कूल, दिल्ली छावनी

†२४९१. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी के चन्द्रभान उच्च माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को वेतन नियमित रूप से नहीं दिये गये हैं और भुगतान बाकी है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) बकाया वेतनों के भुगतान के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) इस के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि इसके बाद वेतनों का नियमित भुगतान होगा ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) क्या स्कूलों के प्राधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) से (ङ). यह सच है कि दिल्ली छावनी के चन्द्रभान स्कूल के अध्यापकों के वेतन भूत में निर्मित रूप से नहीं दिये गये हैं। इसका मख्य कारण यह था कि स्कूल के प्रबन्धक और न्यासके सभापति के बीच अच्छे सम्बन्ध न थे। प्रबन्धक ने अनधिकारपूर्ण स्कूल के रिकार्ड हटा दिये थे जिसके फलस्वरूप प्रबन्धक वर्ग शिक्षा निदेशालय से समय पर सहायता अनुदान न ले सका और अध्यापकों के वेतनों का भुगतान न किया जा सका। प्रबन्धक पर स्कूल के धन गबन करने के आरोप थे जिनकी जांच पड़ताल अब भ्रष्टाचार विरोधी विभाग कर रहा है। इस बीच स्कूल न्यास ने स्कूल के प्रबन्धक को पद से हटा दिया है। स्कूल को देय सहायता अनुदान दे दी गई है और अध्यापकों को वेतन जुलाई, १९६१ तक दे दिये गये हैं। शिक्षा निदेशक से स्कूल के मामलों पर कड़ी निगरानी करने और यह देखने को कहा गया है कि वेतनों का नियति भुगतान किया जाये। स्कूल प्रबन्ध को पहिले सूचित कर दिया गया है कि यदि वे भविष्य में अध्यापकों के वेतन नियमित रूप से नहीं देंगे, तो स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी और सहायता अनुदान बन्द कर दिया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

†२४९२. **श्री धनगर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९६० में हड़ताल करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की ठीक संख्या क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : ४,०५,९२४।

छोटे उद्योगों पर समाहित कर[1]

†२४९३. **श्री तंगामणि :**
श्री कुन्हन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य सरकार में पिन्टो और रोटरी आयल मिल्स मालिक संघ के विभिन्न प्रतिनिधियों से छोटे उद्योगों पर समाहित करारोपण में परिवर्तन करने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार उद्योगों की न्यूनतम संख्या दो से बढ़ा कर चार पिन्टो या रोटरी करने पर विचार कर रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). समाहित करारोपण की कोई भी प्रणाली जो औसतों पर आधारित हो, प्रत्येक उद्योग की आवश्यकताओं की ठीक से पूर्ति नहीं कर सकती। फिर भी, अनुभव से पता लगा है कि समाहित करारोपण की वर्तमान प्रणाली पहिले की लागू योजना की अपेक्षा अधिक सन्तोषजनक रही है। अतः जब कि इसके संचालन पर इस ध्येय से दृष्टि रखी जा रही है कि आवश्यक व्यवहारिक सुधार कर दिये जायें, कोई तत्काल परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Compounded levy.

जनता में अध्ययन के प्रति रुचि

†२२९४. **श्री बालकृष्णन्** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जनता के अध्ययन के प्रति रुचि की जानकारी करने के लिये अभी हाल में नमूने के तौर पर सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्राय: लोग किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं ; और

(ग) किस प्रादेशिक भाषा की पुस्तकें लोग अधिक पढ़ते हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में अभिरुचि रखने वालों का देश व्यापी सर्वेक्षण कोई नहीं किया गया है ।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

वस्तु विनिमय पद्धति के अधीन इस्पात का आयात

†२४९५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **इस्पात खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्तु विनिमय पद्धति के अधीन इस्पात की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया है एवं उसका मूल्य कितना है ; और

(ख) इस पद्धति के अधीन इस्पात के आयात पर जो विदेशी विनिमय व्यय किया गया है उसकी आय हो गई है अथवा कुछ अंश अभी कमाना शेष हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तथा (ख). सन् १९५८ से जब कि वस्तु विनिमय पद्धति शुरू हुई है ३७९.४३३ टन इस्पात का आयात किया गया है जिसका मूल्य ३१.५९ करोड़ रुपये है। आयात किये गये माल के बदले में ३.८३ करोड़ रुपये की विदेशी विनिमय मुद्रा कमाना अभी शेष है। ऐसी आशा है कि उचित समय में यह धन कमा लिया जायेगा ।

विदेशी मुद्रा देने से इन्कार किया जाना

†२४९६. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विख्यात महिला तैराक श्रीमती लीला बनर्जी को इंगलिस्तान की यात्रा करने के लिये जब कि वह चैनल को पार करने का एक और प्रयत्न करना चाहती थीं, विदेशी मुद्रा देने से इन्कार कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) इसके लिये विदेशी मुद्रा नहीं दी गयी है ।

(ख) विदेशी मुद्रा की कमी के कारण केवल अत्यावश्यक एवं ऐसे कार्यों के लिये ही यह मुद्रा दी जाती है जिनकी अवहेलना नहीं हो सकती । जब कि भारतीय राष्ट्रजनों ने (महिला भी जिनमें सम्मिलित हैं) चैनल पार करने में विशेष योग्यता प्राप्त कर ली है और विशेष रूप से उस समय जब कि कोई अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी नहीं हो रही है, तो यह आवश्यक समझा गया कि दूसरी भारतीय महिला तैराक को विदेश में चैनल पार करने के प्रयत्न के हेतु राशि दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड

†२४९७. **श्री तंगामणि :**
श्री प्रभात कार :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि० में वर्ष १९६०–६१ का उत्पादन निश्चित लक्ष्य के अनुसार ही है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का माल तैयार किया गया; और

(ग) १९६१–६२ में किस प्रकार का सामान बनाया जायेगा एवं उसका मूल्य कितना होगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां, करीब करीब लक्ष्य के अनुसार।

(ख) ३१–३–१९६१ तक १७१.५८ रुपये का।

(ग) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ५३]**

पौंड पावना

†२४९८. **श्री तंगामणि :**
श्री प्रभात कार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १० मार्च, १९६१ से १० अगस्त, १९६१ के दौरान में रिजर्व बैंक के पौंड पावने में क्या कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां तो कितनी, और

(ग) इस काल में इसके मूल्य में विभिन्नता किस प्रकार की हुई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तथा (ख). जी नहीं। भारत के रिजर्व बैंक की विदेशी बकाया में वस्तुतः कमी हुई है; यह दस मार्च को १५८.८५ करोड़ था जब कि ११ अगस्त को १४८.८२ करोड़ रह गया है। इस प्रकार १०.०३ करोड़ की और कमी हुई। जब कि इसमें पश्चिम जर्मनी तथा इंगलिस्तान से प्राप्त २५.२३ करोड़ की नकदी और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि से ५८.३३ करोड़ रुपये की आमद भी सम्मिलित है।

(ग) बकाया में सामान्यतः गिरावट ही हुई है हालांकि पश्चिम जर्मनी, इंगलिस्तान अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि से भी धन आया है।

अपर डिवीजन क्लर्कों की श्रेणी

†२४९९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में अपर डिवीजन क्लर्कों की श्रेणी समाप्त करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार का क्या रुख है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). अपर डिवीजन क्लर्कों की श्रेणी समाप्त करने के प्रश्न पर गत वर्ष विचार किया गया था और यह निश्चय किया गया था कि अभी इस श्रेणी को ज्यों का त्यों बनाया रखा जाये। उसके बाद से बहुत से प्रत्यावेदन आये हैं और उन पर विचार हो रहा है।

राजस्थान को आर्थिक सहायता

२५००. श्री पन्नालाल बारूपाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य को वर्ष १९६१ के लिये कितनी आर्थिक सहायता केन्द्र की ओर से दी गई है ; और

(ख) क्या द्वितीय वित्त आयोग की रिपोर्ट लागू की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आयोजना से बाहर की योजनाओं के लिये विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जो सहायता दी गयी है उसके अलावा राजस्थान सरकार को, चालू वित्तीय वर्ष में अब तक, आयोजना में शामिल की गयी योजनाओं के लिये ३ करोड़ रुपये की रकम और बांटे जाने वाले करों और शुल्कों में से राज्य के हिस्से और वैधानिक (स्टेट्यूटरी) अनुदानों के रूप में लगभग २·७३ करोड़ रुपये की रकम दी जा चुकी है।

(ख) सरकार द्वारा मंजूर की गयी सिफारिशें अमल में लायी जा चुकी हैं। इस सम्बन्ध में १४ नवम्बर, १९५७ और १४ मार्च, १९५८ को सभा की मेज पर रखे गये व्याख्यात्मक ज्ञापनों को देखा जा सकता है।

प्रतिरक्षा असैनिक कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†**२५०१. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी क्षेत्र में रहने वाले प्रतिरक्षा असैनिक कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा लागू नहीं की गयी है ;

(ख) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इस बारे में कोई निर्णय किया है ;

(ग) इन कर्मचारियों को क्या क्या चिकित्सा सुविधायें दी जा रही हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि छावनी क्षेत्र के एम० ई० एस० कर्मचारियों से अंशदायी स्वास्थ्य योजना के लिये राशि गत एक वर्ष से ली जा रही है लेकिन अभी तक उनको अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के कार्ड भी नहीं दिये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस अंशदान का जो कि उनसे लिया है किस प्रकार हिसाब किया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना उन सभी प्रतिरक्षा असैनिक कर्मचारियों को उपलब्ध है जो दिल्ली छावनी क्षेत्र में रह रहे हैं। हां उन लोगों को उपलब्ध नहीं है जिनके मुख्यालय छावनी में ही हैं अथवा वे इस सेवा योजना के क्षेत्राधिकार से बाहर रह रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन सभी प्रतिरक्षा असैनिक कर्मचारियों को, जिनके मुख्यालय दिल्ली छावनी में हैं अथवा जिनके मुख्यालय छावनी एवं शकूरबस्ती में है. अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में सम्मिलित करने का प्रश्न स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श के आधार पर विचाराधीन है ।

(ग) जो गैर-औद्योगिक कर्मचारी इस सेवा योजना के अन्तर्गत नहीं आते उनको सी० एम० (एम० ए०) नियम, १९४४ के अधीन असैनिक संसाधनों की ओर से चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें पाने का अधिकार है। औद्योगिक कर्मचारी जो इस सेवा योजना के अन्तर्गत नहीं आते सैनिक संसाधनों से चिकित्सा सुविधायें प्राप्त कर सकते हैं ।

(घ) तथा (ङ). वांछित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नागार्जुनकोंडा में पुरातत्त्वीय अवशेषों वाले स्थान की खुदाई

†२५०२. **श्री नरसिंहन : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुनकोंडा का पुरातत्त्वीय अवशेषों वाला स्थान आन्ध्र प्रदेश के लोक-निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसका हस्तांतरण कब तक कर दिया जायेगा ;

(ग) यह स्थान कब पानी में डूब जायेगा ;

(घ) क्या उक्त स्थान की पूरी खुदाई की जा चुकी है ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (घ) का उत्तर नकारात्मक हो, तो कितनी खुदाई हो चुकी है तथा कितनी अभी बाकी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी नहीं ।

(ख) जब लोक-निर्माण विभाग आन्ध्र प्रदेश चाहेगा ।

(ग) यह बांध की प्रगति पर निर्भर करता है ।

(घ) जी हां । अवशेष वाले सभी क्षेत्रों की खुदाई पूरी हो चुकी है ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पाथरकण्डी दक्षिण परियोजना

†२५०४. **श्री दशरथ देब : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन लोगों को कोई प्रतिकर दिया गया है जिनकी भूमि को टर्मिनल हवाई अड्डे की पाथरकण्डी दक्षिण परियोजना के निर्माण के लिए अर्जित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पीड़ित व्यक्तियों को कुल कितनी धन राशि देने का अनुमान लगाया गया है ;

(ग) अब तक कुल कितनी धन राशि वास्तव में दी गई है ; और

(घ) बकाया रकम तुरन्त देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी हां ।

(ख) असैनिक अधिकारी, सिल्चर, जिला कछार द्वारा मूलत: ३,२९,८११·०० रुपये की धन राशि का निर्धारण किया गया था ।

(ग) २,८०,७७३·०० रुपये ।

(घ) शेष में से २१,२८३·०० रुपये के दावे उप-आयुक्त, कछार द्वारा स्थानीय सिविल रिकार्ड की जांच के बाद वापस ले लिए गए हैं। २७,७५५ रुपये के शेष दावों की जांच हो रही है और आशा है कि उनके बारे में भी शीघ्र ही आदेश दे दिये जायेंगे ।

सिल्चर के निकट तेल का सर्वेक्षण

†२५०५. **श्री दशरथ देब** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय विश्व युद्ध से पहले सिल्चर, कछार (आसाम) के निकट अरुणाचल (मासिमपुर) में कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) क्या वहां पर तेल की संभावनाओं की खोज करने के लिए बर्मा आयल कम्पनी को कोई पट्टा दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस तेल क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) जी हां । द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इस क्षेत्र का ब्यौरेवार भूतत्वीय तथा भूभौतिकीय सर्वेक्षण किया गया था ।

(घ) खनन पट्टे नहीं दिये गये थे । कम्पनी के पास इस क्षेत्र में तेल की खोज करने का लाइसेंस था ।

(ग) सर्वेक्षण के दौरान तथा बाद में किये गये छिद्रण (ड्रिलिंग) से वाणिज्यिक तेल अथवा गैस का पता नहीं लगा ।

त्रिपुरा में अनुसूचित आदिम जातियां

†२५०६. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम की करीमगंज सब-डिवीजन की अनुसूचित आदिम जातियों (विशेषतया त्रिपुरा समुदाय की आदिम जातियों) को वे सुविधायें प्राप्त नहीं हैं जो अन्य राज्यों के इस समुदाय के सदस्यों को प्राप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों की अनुसूचित आदिम जाति के सदस्यों को प्राप्त सुविधायें आसाम के आदिम जाति के समुदायों को भी देने का है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) सरकार को मालूम नहीं है कि आसाम की अनुसूचित जातियों को प्राप्त सुविधायें आसाम के करीमगंज सब-डिवीजन की अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को नहीं दी जाती हैं। परन्तु अनुसूचित आदिम जाति के लोगों

†मूल अंग्रेजी में

को प्राप्त सुविधायें प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। माननीय सदस्य ने जिस त्रिपुरा समुदाय का उल्लेख किया है वह आसाम राज्य की अनुसूचित आदिम जाति में नहीं आती है और इसीलिए उनको यह सुविधाएं देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

दिल्ली में वस्तुओं के मूल्य

२५०७. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब से दिल्ली को प्रथम श्रेणी का नगर घोषित किया गया है यहां प्रति दिन के इस्तेमाल की वस्तुओं के दाम बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उसको रोकने के लिये सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जुलाई, १९६१ के दूसरे पखवाड़े में चावल, गेहूं और सब्जी जैसी चीजों की कीमतें कुछ बढ़ी थीं, लेकिन बिल्कुल ठीक ठीक यह बताना मुश्किल है कि किस सीमा तक यह वृद्धि, दिल्ली को "ए" श्रेणी का नगर घोषित करने के कारण हुई। आम तौर से हर साल इन दिनों चावल और सब्जियों की कीमतें बढ़ जाया करती हैं।

(ख) अभी तक कोई खास कदम नहीं उठाया गया, लेकिन हालत पर निगाह रखी जा रही है।

त्रिपुरा के राज महल का खरीदा जाना

†२५०८. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के राज महल, उज्जयन्ता राज प्रासाद, अगरतला, को त्रिपुरा प्रशासन अथवा त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् द्वारा खरीदने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितना मूल्य देने का प्रस्ताव किया गया है ; और

(ग) यदि कोई बातचीत हुई है तो वह इस समय किस प्रक्रम पर है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). उज्जयन्ता महल को खरीदने का प्रश्न विचाराधीन है।

ड्यूटी पर मारे गये प्रतिरक्षा कर्मचारियों के आश्रितों को प्रतिकर

†२५०९. **श्री बा० चं० कामले** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५० से १९५२ के बीच (१) युद्ध में तथा (२) काम पर दुर्घटना में मारे गये जमादार, कैप्टैन, तथा मेजर की विधवाओं तथा बच्चों को दिये जाने वाले प्रतिकर के नियम सभा पटल पर रखे जायेंगे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने के अनुपात में १० वर्ष पहले दिए जाने वाले प्रतिकर की दरों में कोई वृद्धि की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) १९५० तथा १९५२ के बीच लागू नियम भारत में सेना के लिए निवृत्ति वेतन विनियम, भाग २ (१९४० का संस्करण) में दिए हुए हैं। यह पुस्तक बिकती है तथा इसमें निम्न रूप में संशोधन किए गए हैं :—

१. प्रतिरक्षा मंत्रालय, पत्र संख्या १३८९९९/१/पीसी दिनांक १८ अप्रैल, १९५०; तथा

२. सेना आदेश संख्या १९४५ का १२०८ उपरिलिखित सरकारी आदेशों की एक प्रति सम्बद्ध है। **[पुस्तकालय मे रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३१६३/६१]**

(ख) थोड़ी पेंशन पाने वालों को पेंशन में अस्थायी वृद्धि कर दी गई है जिससे बढ़े हुए जीवन निर्वाह व्यय में कुछ सहायता मिल जाये। इसके अतिरिक्त १९५३ में स्थल सेनाओं के कर्मचारियों के लिए लागू पारिवारिक पेंशन समेत, पेंशन की बढ़ी हुई दरों को भूतलक्षी प्रभाव से उन लोगों के आश्रितों को दे दिया गया है जो २७ अक्तूबर, १९४७ के बाद से सक्रिय सूची में रहते हुए मरे थे।

दिल्ली छावनी बोर्ड के बजट प्राक्कलन

२५१०. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी बोर्ड के मूल बजट प्राक्कलन तथा संशोधित बजट प्राक्कलन सरकार द्वारा हर वर्ष क्रमशः फरवरी और मार्च के महीने से पहले स्वीकार नहीं किये जाते ;

(ख) यदि हा, तो इतनी अधिक देरी के क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में मूल तथा संशोधित बजट प्राक्कलन किन किन तिथियों को स्वीकार किये गये ; और

(घ) भविष्य में इस विलम्ब से बचने के लिये सरकार क्या पग उठाने का विचार कर रही है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) तथा (ख). दिल्ली छावनी बोर्ड के बजट प्राक्कलन प्रायः काफी विलम्ब से स्वीकृत किए जाते हैं। विलम्ब बोर्ड द्वारा बजट के देर से प्रस्तुत किए जाने और कमान मुख्यालय और केन्द्रीय सरकार द्वारा, उन द्वारा सहायी अनुदान के प्रयोजनों के लिए उसका निरीक्षण करने में, आवश्यक समय के कारण, हो जाता है।

(ग)

वर्ष	मूल बजट की स्वीकृति की तिथि	संशोधित बजट की स्वीकृति की तिथि
१९५८–५९	१८-१०-५८	८-७-५९
१९५९–६०	७-१-६०	७-१-६० (प्रोविय्यनल) १२-७-६० (अन्तिम)
१९६०–६१	३१-१-६१	३१-१-६१ (प्रोविय्यनल) अन्तिम अभी स्वीकृत नहीं किया गया।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) चूंकि दिल्ली छावनी बोर्ड के चालू वर्ष से आत्मनिर्भर होने की आशा की जाती है, बजट प्राक्कलन के स्वीकार होने में विलम्ब की कोई आकांक्षा नहीं है, क्योंकि जी० ओ० सी० केन्द्रीय सरकार को दिखाए बिना बजट स्वीकार कर सकेगा ।

सदर बाज़ार, दिल्ली छावनी, में उद्यानों के लिये भूमि

२५११. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी के असैनिक क्षेत्र, अर्थात् सदर बाजार क्षेत्र में कोई खेल का मेदान या पार्क नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संबंधित सैनिक अधिकारी इस प्रयोजन के लिये भूमि मुक्त करने के लिये निरन्तर इन्कार करते रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) दिल्ली छावनी के सदर बाजार में कोई सार्वजनिक खेल का मैदान या पार्क नहीं है परन्तु पास के विशाल खाली क्षेत्र खेलों के मैदानों की तरह उपयुक्त होते हैं । तदपि सदर बाज़ार के गर्ल्ज़ स्कूल के लिये खेल का नियमित-रूप से एक मैदान है ।

(ख) तथा (ग) . हाल ही में, पहली बार, सदर बाजार में छावनी बोर्ड द्वारा एक पार्क बनाने का सुझाव रखा गया है, और वह संबंधित अधिकारियों के विचाराधीन है ।

दिल्ली छावनी में स्कूलों के खेल के मैदानों के लिये भूमि

२५१२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी में निम्नलिखित स्कूलों के साथ खेल के मैदान संलग्न नहीं है :

(१) गवर्नमेंट बोयज़ हायर सैकेंडरी स्कूल,

(२) गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सैकेन्डरी स्कूल,

(३) आर्य क्रेफ्ट हायर सैकेन्डरी स्कूल,

(४) सी० बी० हायर सैकेन्डरी स्कूल,

(५) एस० डी० मिडिल स्कूल, और

(६) खालसा मिडिल स्कूल; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) स्कूलों के साथ विशेष तौर पर कोई भी खेल का मैदान संलग्न नहीं है, परन्तु पास के रिक्त क्षेत्र उन द्वारा खेलों के लिये प्रयुक्त होते हैं । सदर बाजार के गर्ल्ज़ प्राईमरी स्कूल को नियमित-रूप से एक खेल का मैदान प्राप्त है, जो कि उसी भवन में स्थित गर्ल्ज़ हायर सैकेंडरी स्कूल द्वारा भी प्रयोग में लाया जाता है ।

(ख) किसी भी स्कूल से की गई खेल के मैदान के लिए प्रार्थना पर विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निधन सम्बन्धी उल्लेख

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सभा को यह जानकर अत्यंत दुःख होगा कि नागालेंड की अन्तरिम परिषद् के सभापति डा० इन्कोंब्रीबा आओ का निधन हो गया है। तीन दिन पहिले उन पर किसी ने गोली चलाई थी और वे घायल हो गये थे । तत्पश्चात् एक आपरेशन हुआ जो सफल रहा और उनकी प्रगति संतोषजनक थी । कल प्रातः तक उनकी अवस्था संतोषजनक रूप से सुधार हो रहा था तभी अचानक उनकी अवस्था बिगड़ गयी और उनकी मृत्यु हो गयी ।

उनकी मृत्यु से नागालेंड और हमारी बहुत क्षति हुई है। वे एक निर्भीक और साहसी व्यक्ति थे, जिन्होंने यह जानते हुए भी कि इस कार्य में कितने खतरे हैं वही किया जिसे उन्होंने उचित और ठीक समझा। वह केवल सरकार के संकेत पर चलने वाले व्यक्तियों में नहीं थे। उन्होंने सरकार का तगड़ा विरोध किया था और इसके फलस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि यह नीति अक्रियात्मक है और इससे नागाओं का कोई भला नहीं होगा। अतः उन्होंने रचनात्मक कार्यों द्वारा कुछ प्राप्त करने का निश्चय किया ।

कुछ वर्ष पुर्व वह मुझ से एक प्रतिनिधि मंडल के नेता के रूप में मिले थे, उन्होंने यह मांग की थी कि नागा जिले को पृथक कर तुएसांग से मिला दिया जाये। हमने ऐसा किया जिसे यह नागालेंड और तुएन्सांग एक पृथक विभाग बन गया। इसके पश्चात् उनके और उनके सहयोगियों के परामर्श से उसमें व्यापक विस्तार किया गया और हम नागालेंड को अधिक शक्तियों सहित एक पृथक राज्य बनाने में सहमत हो गये। उन्होंने रचनात्मक कार्य करने का रास्ता अपनाया। उनकी सहायता से हमें नागालेंड में उत्तरोत्तर सफलता मिल रही थी। वस्तुतः हमारी सफलता से घबराकर उपद्रवी नागाओं ने यह मार्ग अपनाया ।

उनकी मृत्यु बहुत निर्दयता पुर्ण हत्या के कारण हुई। एक आदमी डा० आओ से बातें करने के बहाने आया। उसने एक बड़ा शाल ओढ़ा हुआ था। उसमें एक रिवाल्वर छिपी हुई थी जब वह डा० आओ के प्रयाप्त निकट आ गया तो उसने उनके पेट पर गोलियां दागीं। इससे यह स्पष्ट है कि उपद्रवी लोग कितनी नीचता पर उतर आये हैं ।

डा० आओ अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये एक शहीद की मौत मरे। उनकी सुरक्षा के संबंध में कुछ कहना कठिन है क्योंकि वह स्वयं स्थानीय अधिकारियों में शामिल थे जिनके ऊपर उनकी रक्षा का दायित्व था। जब भी वह अपने नगर से बाहर जाते थे उनकी सुरक्षा के लिये उचित व्यवस्था रहती थी। अपने नगर में वे इस सुरक्षा को पसन्द नहीं करते थे और वास्तव में वह उस समय अपने घर से दवाखाने को जा रहे थे। वस्तुतः इस प्रकार की निर्मम हत्या से किसी को बचा सकना बहुत कठिन होता है । मैं आशा करता हूं कि इस ओर भविष्य में अधिक ध्यान दिया जायेगा।

आसाम के राज्यपाल यहां जल्दी ही आने वाले हैं। तब इस मामले पर दो या तीन दिनों में अग्रेतर चर्चा होगी। सभा न केवल डा० आओ के परिवार वरन् नागालेंड की अन्तरिम परिषद को भी हार्दिक समवेदना भेजती है ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : डा० आओ ने श्री फिजे के स्वतंत्र नागालेंड की अनुचित मांग के विरोध में प्रबल जनमत तैयार किया था। उनकी मृत्यु से नागालेंड की ही नहीं वरन् समूचे देश की अपार क्षति हुई है ।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री हेम बरुआ]

खेद की बात है कि हम यह जानते हुये भी कि उस क्षेत्र में नागा विद्रोहियों की गतिविधियों कम नहीं हुई, उनकी रक्षा नहीं कर सके। अब समय आ गया है कि वहां शांतिपुर्ण वातावरण स्थापित करने के लिये कारगर कदम उठाये जायें इस प्रकार की अमानुषिक हत्या और हिंसात्मक कार्य न होने देने चाहियें।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपनी गहरी समवेदना प्रकट करने के लिये एक मिनट के लिये मौन खड़े रहेंगे।

तत्पश्चात् सदस्य एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर प्रदेश में बाढ़

†**श्री खुशवक्त राय** (खेरी) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर सिंचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके संबंध में एक वक्तव्य दें।

"उत्तर प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति"

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : उत्तर प्रदेश से प्राप्त समाचारों के अनुसार भारी वर्षा के फलस्वरूप राज्य की सभी बड़ी नदियों में बाढ़ आयी हुई है। गंगा, रामगंगा, घाघरा और बड़ी गंडक में जुलाई के पहिले और दूसरे सप्ताह में और तदुपरांत अगस्त के दूसरे सप्ताह में बाढ़ आयी। इसी समय राप्ती और शारदा में भी बाढ़ आयी। इन सभी नदियों में पानी खतरे के स्तर से ऊपर आ गया। २३ अगस्त को कानपुर में गंगा खतरे के निशान से १.५ फुट ऊपर अर्थात् ३७३.५ फुट पर थी। उसी दिन देवरिया जिले में मैसाहा स्थान पर बड़ी गंडक पर पानी ३१५.२ फुट अर्थात खतरे के निशान से २.२ फुट ऊपर था।

घाघरा में बाढ़ आने के कारण सुलैमानपुर के रेलवे स्टेशन को बचाने वाले स्पर (भुजारो) संख्या ८ और ९ में कुछ क्षति पहुंची है। रामगंगा के रायनी वेयर में १८०० फीट की दरार आ गयी है। बड़ी गंडक में बाढ़ आने के कारण नरैनी नहर के किनारों में पानी भर गया है। किसानों ने खेतों से पानी की निकासी करने के लिये कई स्थानों पर नहर के किनारों को काट डाला है।

२० अगस्त की रात्रि को यमुना के बायें तट बंध में जहां हिंडन नहर इस नदी में गिरती है एक ५० फीट चौड़ी दरार हो गयी। २१ तारीख तक यह दरार १५० फीट चौड़ी हो गयी। इस दरार ने हिंडन नहर के दक्षिणी किनारे को भर दिया और उत्तरी किनारे पर भी कई स्थानों पर दरारें आ गयीं। दरार बंद करने के लिये सैनिक सहायता ली गयी। इससे दिल्ली के ८ गांव और बुलन्दशहर जिले के २१ गांव प्रभावित हुए। निर्माण कार्यों को लगभग १० लाख रुपये की क्षति हुई। राज्य सरकार से प्राप्त नवीनतम जानकारी के अनुसार १७ लाख एकड़ भूमि प्रभावित हुई है। ८८०० गांव प्रभावित हुए हैं। कुल १२९ व्यक्ति मरे हैं जिनमें से १०२ व्यक्ति चमोली और पिठौरागढ़ में भूमि गिरने, गाजीपुर और मथुरा जिलों में नौका दुर्घटनाओं के कारण मरे हैं। १३,००० मकानों को क्षति पहुंची है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार ने बाढ़ ग्रस्त लोगों को सहायता देने के लिये भरसक कार्यवाही की है। २३ लाख रुपये के ऊपर तकावी ऋण और ६,३४,००० रु० निशुल्क सहायता के रूप में मंजूर हुए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों के अधीन केन्द्रीय सरकार राज्यसरकार से सहायता पाने की अधिकारी है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : क्या सरकार ऐसे इलाकों को जिन्हें बाढ़ से बहुत क्षति पहुंची है उनकी जनता को सहायता देने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार को विशेष सहायता देने पर विचार कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : बाढ़ स्थिति पर सोमवार को चर्चा होगी उस दिन इन बातों पर विचार किया जायेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या यमुना में हिंडन नहर के मिलने के स्थान पर जो दरार आ गयी थी वह अभी तक भरी नहीं गयी है ? क्या राज्य सरकार ने केन्द्र से इस संबंध में कोई सहायता मांगी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: यह सच है कि बुलन्दशहर में ओखला वेयर में दरार आ गयी है और इससे जिले में पानी भर गया है। तथापि इस बंध का संधारण उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिरक्षा मंत्रालय से यह आवेदन किया है कि उनको कुछ नावें ऋण के रूप में दी जायें। ये नावें उन्हें दे दी गयी हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६०

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं (१) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा४३-ख की उप-धारा (४) तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६१ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(क) दिनांक १२ अगस्त, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०२३।

(ख) दिनांक १२ अगस्त, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०२४।

(ग) दिनांक १२ अगस्त, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०२५।

(२) पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १९४८ की धारा १६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये पुनर्वास वित्त प्रशासन के लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३१६४/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं २८ अगस्त, १९६१ को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

(१) आज के आदेश पत्र से बकाया रहे सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(२) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६१–६२ पर चर्चा और मतदान।

(३) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पारित किया जाना :
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६१।
भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९६१, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में।

(४) संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में प्रसूति लाभ विधेयक, १९६१।

(५) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित किया जाना :—
लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक, १९६१, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में।

समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक, १९६१।
प्रशिक्षु विधेयक, १९६१।

(६) विभिन्न राज्यों में हाल की बाढ़ों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा।

(७) भारत में कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में दूसरी जांच के प्रतिवेदन पर चर्चा।

श्री करांजिया को जारी किये गये समन के बारे में

†**श्री गोरे** (पूना) : कल आपने सभा में घोषित किया था कि श्री करांजिया ने एक तार भेजा है जिसमें उन्होंने अपने मामलों के सम्बन्ध में चौदह दिनों का समय मांगा है, आपने यह भी बताया था कि वह एक पत्र भेज रहे हैं। क्या आपको वह पत्र प्राप्त हो गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझ कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तथापि मुझे ज्ञात हुआ है कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय में लेख याचिका प्रस्तुत की है। हमें देखना है कि क्या होता है।

कार्य मंत्रणा समिति

छियासठवां प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा कार्य मंत्रणा समिति के छियासठवें प्रतिवेदन से जो कि सभा में २४ अगस्त, १९६१ को रखी गयी थी सहमत है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"कि सभा कार्य मंत्रणा समिति के छियासठवें प्रतिवेदन से जो सभा में २४ अगस्त, १९६१ को रखा गया था सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आय कर विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा अब श्री मोरारजी द्वारा १८ अगस्त, १९६१ को सभा में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करेगी :—

"कि आयकर और अधिकर सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये ।"

चौधरी रणवीर सिंह अपना भाषण दे रहे थे, वे अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

चौधरी रणवीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल सेलेक्ट कमेटी की ११, १२ और १३ नम्बर की धाराओं का स्वागत करते हुए यहां पर जो उनके बारे में कुछ लोगों ने एतराज किया था उन के बारे में अर्ज कर रहा था ।

आपत्ति करने वालों की ओर से यहां इस बात को साबित करने की कोशिश की गई कि यह धाराएं छोटी गिनती की जातियों के खिलाफ़ जाती हैं और यह उनकी तरक्की के रास्ते में रोड़ा खड़ा करने के लिये लाई गई हैं । मेरी समझ में उनकी यह बात नहीं आती है क्योंकि यह धाराएं हर एक जाति के स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं पर यकसां लागू हैं भले ही वह किसी धर्म की हों, चाहे वह हिन्दू धर्म की हों, अथवा अन्य किसी धर्म की, बड़ी से बड़ी जाति की हों, ब्राह्मणों की हों अथवा छोटी जाति वालों की हों ।

आपत्ति करने वालों की ओर से दूसरी चीज यहां यह बताने की कोशिश की गई कि सरकार जब सब आदमियों की पढ़ाई का इंतजाम नहीं कर सकती है तो वह लोगों के रास्ते में खड़ी क्यों होती है । इसके लिए मेरा यह कहना है कि सरकार को इनकमटैक्स के रूप में जो जनता से पैसा मिलेगा उससे वह देशवासियों को तालीम आदि देने का इंतजाम करेगी और मैं हाउस को यह बतलाना चाहता हूं कि उसके द्वारा यह काम बखूबी अंजाम दिया जा रहा है । अंग्रज़ी को ही ले लीजिये । यह हकीकत है कि पिछले डढ़ सौ सालों में अंग्रजों की प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं भारत-वासियों को उतनी अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकीं जितनी अंग्रेजी कि हमारी अपनी सरकार द्वारा पिछले १४ वर्षों में लोगों को पढ़ाई गई है । इसी तरह से मैं आपको बतलाऊं कि हिन्दी लोगों को सिखाने और पढ़ाने के लिए जो प्राइवट संस्थाएं थीं उनके द्वारा १००–१५० साल में इतने लोगों को हिन्दी नहीं पढ़ाई जा सकी है जितनी हिन्दी कि इन पिछले १०–१२ साल में लोगों को पढ़ा दी गई है । इसी तरह से पंजाबी का मामला है । पंजाबी सिखाने के वास्ते जो कुछ संस्थाएं थीं और जोकि किसी के दान धन पर चलती थीं व इन पिछले १५० साल में इतनी पंजाबी लोगों को नहीं सिखा पायी हैं जितनी पंजाबी कि पिछले ५, ७ साल के अन्दर लोगों को सिखा दी गयी है । यह बात हर एक छोटी और बड़ी जाति की संस्थाओं द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं के लिए कही जा सकती है । अस्पतालों के बारे में भी यही बात लागू होती है और जाति विशेष द्वारा प्राइवेट संस्थाओं के मातहत

---

†मूल अंग्रजी में

[चौधरी रणवीर सिंह]

चलने वाले अस्पतालों की अपेक्षा आज सरकारी अस्पतालों द्वारा अधिक लोगों को अधिक सुचारू रूप से दवादारू और देखभाल की जा रही है । इसलिए आज यदि कोई यह कहे कि इन मौजूदा धाराओं के द्वारा किसी भी जाति की तरक्की के रास्ते में बाधा खड़ी की जा रही है तो यह गलत बात है । मैं मानता हूं कि यह इनकमटैक्स का विधेयक, हमने इस देश के अन्दर जो एक समाजवादी समाज और धर्म निरपेक्ष राज्य अर्थात् बगैर किसी जात-पांत का लिहाज किये जो एक मिला जुला समाज बनाने का प्रयत्न किया है, उसकी तरफ यह एक कदम है और इसलिए मैं मानता हूं कि हमें सब लोगों को इसका स्वागत करना, आगे बढ़ाने के लिए चाहिए । इस विधयक में जो मुझ सब से अच्छी धाराएं लगीं व यह धारायें हैं ।

इस के अलावा इस विधेयक के अन्दर कुछ डाइरैक्टर्स का जिक्र है जिसमें कहा गया है कि जो भी टैक्स वसूल नहीं हो पाया है और अगर सम्बन्धित संस्थाएं जिन पर कि सरकार का टैक्स बाकी रहता है वह संस्थाएं अगर खत्म हो जायं तो फिर उस टैक्स की अदायगी की जिम्मेदारी डाइरैक्टर्स पर आयेगी और उनसे सरकार वह टैक्स वसूल करेगी। अब जहां तक इनकमटैक्स एक्ट के लागू होने का सवाल है वह कोआपरेटिव सैक्टर पर भी लागू है । अब मैं भी एक कोआपरेटिव शूगर फैक्टरी का डाइरैक्टर हूं और मुझे मालूम है कि स्टेट का १०–१२ लाख रुपया आज तक वसूल नहीं हो पाया है अब खुदा न ख्वास्ता उस संस्था में अगर कुछ खराबी हो जाय तो उस टैक्स की बकाया रकम को कौन डाइरेक्टर दे सकता है . . .

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यह तो प्राइवेट कम्पनियों पर लागू होता है ।

चौ० रणवीर सिंह : यही स्पष्टीकरण मैं वित्त मंत्री द्वारा जवाब देते वक्त चाहता था । यह वास्तव में खुशी की बात है कि उन्होंने इस चीज को साफ कर दिया है ।

इसके साथ ही मुझे एक चीज़ यह भी अर्ज करनी है कि यह दिल्ली तथा दूसरे जो सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरियाज़ हैं उनकी टैक्सेशन पालिसी के लिए यह सदन जिम्मेदार है । अब दिल्ली के देहाती क्षेत्र में बसने वाले निवासियों का मुख्य उद्यम खेती बाड़ी है जबकि शहरी क्षेत्र के लोग नौकरी आदि अन्य पेशों में लगे होते हैं । होता यह है कि वे लोग जो कि खेती में अपनी रोजी कमाते हैं उनके ऊपर तो घाटे पर भी टैक्स लगाया जाता है जबकि शहरी लोगों को ३,००० ३,००० और ४०००, ४००० रुपये तक टैक्स की छट मिलती है । मैं चाहता था और मेरी यह ख्वाहिश थी कि कम से कम हम इस बारे में देश के अन्य राज्यों का पथ-प्रदर्शन करते और दिल्ली और सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरियाज के लिए इस इनकमटैक्स में कोई एसी व्यवस्था करते ताकि व लोग जोकि खेती से अपनी आमदनी कमाते हैं और वे लोग जोकि खती से रोजी न कमा कर अन्य साधनों से आमदनी कमाते हैं, उन दोनों के लिए यकसां कर नीति हो और यह छट जो गैर खेतिहर लोगों को दी जाती है वह छूट खेती करने वालों को भी दी जाय । कर में छूट देने की नीति यकसां हो । एक तरफ तो खेती करने वालों पर घाटे पर भी टैक्स लग और दूसरी तरफ लोगों को ३,०००–४,००० रुपये तक टैक्स से छट दी जाय यह कोई न्यायोचित बात नहीं मालूम होती है । लेकिन इन सारी बातों को कहते हुए मैं इस विधयक का स्वागत करता हूं और मैं मानता हूं कि यह जो धर्म और जाति पात की बातें की जाती हैं, छोटी गिनती वाली जाति और बड़ी गिनती वाली जाति की बात कही जाती है इससे देश की तरक्की होने वाली नहीं है ।

जहां तक रियायतों को देने का सम्बन्ध है, मैं मानता हूं कि उनको कुछ संरक्षण देना चाहिये, जितनी जरूरत हो, लेकिन बहुत ज्यादा रियायत देने का तरीका सही नहीं है और उसका असर

अच्छा नहीं होता है । एक धर्म से सम्बन्ध रखने वाले कुछ भाई अल्पसंख्यक होने के नाते यह दावा करते हैं कि इस देश में उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, लेकिन यह बात सही है कि हिन्दुस्तान का पब्लिक सैक्टर का जो सबसे बड़ा काम——रेलवे मंत्रालय, उस जाति के एक भाई रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं । और एक भाई एक जोन के जनरल-मैनेजर हैं और मुझे खुशी है कि वह लायक हैं । इसी तरह लोहे के सैक्टर का काम चलाने वाले जो मंत्री हैं, वह उसी जाति से आते हैं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि रास्ते से बाहर जा कर यह जो खुश करने का तरीक़ा होता है, वह बहुत ज्यादा फ़ायदेमन्द नहीं रहता और देश को आगे नहीं ले जाता । हां, यह बात सही है कि जिन छोटी जातियों को उनको हक़ नहीं मिलता है, उनको वह मिलना चाहिये । चाहे टैक्सेशन की नीति हो, या देश की दूसरी नीति हो, उसमें उनका ध्यान रखना चाहिये ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दीनाजपुर) : इस विधेयक में एक त्रुटि रह गई है कि विधेयक में कहीं भी हिन्दू अविभाज्य परिवार की परिभाषा नहीं दी गई है । हिन्दू कानून के अन्तर्गत केवल मिताक्षरा पद्धति में अविभाज्य परिवार को मान्यता दी गई है । जहां तक दायभाग परिवार का सम्बन्ध है यह अभिव्यक्ति भ्रामक है ।

वस्तुतः जिस समय यह विधेयक सभा में रखा गया था उसी समय मैं ने इस आशय का एक संशोधन रखा था । तत्पश्चात् मैं ने इस संशोधन को प्रवर समिति में भेजने का प्रयत्न किया, तथापि जिस रूप में यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है उस से यह ज्ञात होता है कि प्रवर समिति ने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया । यह स्मरण रखना चाहिये कि दायभाग परिवार हिन्दू परिवार में अविभाज्य परिवार के अर्थ से नितान्त भिन्न होता है । हिन्दू अविभाज्य परिवार का अर्थ यह है कि यह एक समांशी परिवार है और यह समांशता हिन्दू विधि के अधीन संबंधों से पैदा होती है । इस प्रकार की समांशता केवल मिताक्षरा परिवारों में ही पाई जाती है । अविभाज्य परिवार का अर्थ यह है कि सम्पत्ति विभाजित हो सकती है किन्तु विभाजित नहीं हुई है । और सम्पत्ति पर यह दावा जन्म या जीवित रहने के आधार पर होता है । जबकि दायभाग परिवारों में ऐसा कोई दावा नहीं हो सकता है और जब तक बाप जीवित है बालकों का उसकी सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता है । अर्थात् मिताक्षरा विधि के अनुसार सम्पत्ति सारे समांशियों की रहती है जबकि दायभाग के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट अंश का ही जिम्मेदार होता है । अतः यह इस आयकर विधेयक के संशोधन में भी यदि दायभाग परिवार को हिन्दू अविभाज्य परिवार मान लिया जाय जोकि वस्तुतः वह है नहीं तो एक भारी त्रुटि रह जायगी । अतः वित्त मंत्री को यह संशोधन स्वीकार करना चाहिये ।

[श्री मूचन्द दुबे पीठासीन हुए]

इस सम्बन्ध में मैं बंगाल कृषि आयकर अधिनियम का उल्लेख करना चाहता हूं । इसमें यह स्पष्ट लिखा गया है कि हिन्दू अविभक्त परिवार के अर्थ केवल मिताक्षरा परिवार होगा और हिन्दू दायभाग परिवार इसके अन्तर्गत नहीं आयगा । अतः दायभाग परिवार के प्रत्येक करदाता के कर का पृथक से निर्धारण किया जाता है । अतः मैं चाहता हूं कि यह असंगति तत्काल दूर कर दी जाय । तथापि पृथक रूप से कर निर्धारण नहीं होने का कारण केवल इतना है कि इसे संयुक्त परिवार के रूप में समझ जाता है, यद्यपि इसका स्वरूप हिन्दू अविभाज्य परिवार से बिलकुल भिन्न होता है ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर) : सभापति महोदय, यह जो कर-विधेयक हमारे सामने आया है, इस को हर एक दृष्टि से बहुत ही सरल कर दिया गया है और जो पहले बहुत-सी दिक्कतें थीं और इस विषय पर अलग अलग विधेयक थे, उन को काफी हद तक कम कर दिया गया है और इन सभी

†मूल अंग्रजी में

[श्री झुनझुनवाला]

विधेयकों को इस में एकत्रित कर दिया गया है और अब कर अदा करने वालों और कर वसूल करने वालों को काफी सहूलियत हो जायेगी । यह सहूलियत तभी हो सकती है यदि वे दोनों मिलकर के और ईमानदारी से काम करें ।

बहुत सी बातें हो सकती हैं, जिनमें मतभद हो । लेकिन आप कैसा भी विधेयक क्यों न लायें मतभेद की गुंजाइश हमेशा रहेगी और मतभेद होना स्वाभाविक भी है । जहां पर हम मतभेद को अनिवार्य मान कर चलते हैं वहां हमें यह भी देखना चाहिये कि किसी को कोई बहुत ज्यादा तकलीफ या दिक्कत या कठिनाई का सामना तो नहीं करना पड़ेगा या बहुत कड़ाई तो नहीं बरती जा सकेगी । यदि कोई एसी चीज़ है तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि उसके ऊपर भी यदि अभी तक विचार नहीं किया गया है तो अब विचार कर लिया जाय और उस दिक्कत अथवा कठिनाई को दूर करने की कोशिश कर ली जाय ।

हम कर क्यों वसूल करते हैं ? हम कर इस वास्ते वसूल करते हैं कि हम देश का डिवेलपमेंट कर सकें, देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकें । इस काम के लिये जब हम कर वसूल करते हैं तो यह देखना भी हमारा फ़र्ज है कि व करों की राशि पूरी तरह से अदा करें । इसके साथ साथ जो असेसी हैं उनको किसी तरह की दिक्कत न हो, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है । जब हम इस दृष्टि से इस विधेयक को देखते हैं, तो इसमें कोई खास चीज नहीं बतलाई गई है जिससे कि असेसी को तकलीफ न हो और हमारा कर भी ठीक तरह से आ जाय । जिन असेसीज़ का काम खास कर यह है कि टैक्स अवायडेंस करें या टैक्स इवेज़न करें, उनको किस तरह से पकड़ा जाय, इसके लिये भी बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, और जो जो लूपहोल्स थे उन सब को इस में बन्द करने का प्रयत्न किया गया है । इन सब बातों को दूर करना इस बात पर निर्भर करता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो इन चीजों को जानने वाले हैं वे अपना व्यवहार कैसा रखते हैं । यदि वे लोग ठीक नहीं रहे, यदि उनकी मनोवृत्ति दूसरे प्रकार की रही तो आप कैसा भी विधयक क्यों न लायें, जो हमारा कर पूरी तौर से आना चाहिये, उस का आना बड़ा मुश्किल है । इस सम्बन्ध में मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं । बहुत से ऐसे ऐससी हैं नीचे के स्तर के जो ईमानदारी से अपना कर देना चाहते हैं, जिन को इसकी परवाह है कि अगर उन की इनकम २५ या ३० हजार रु० की है तो व सरकार को ५ हजार रु० दे दें, परन्तु वहां पर दिक्कत यह हो जाती है कि इनकम टैक्स आफिसर्स इन छोटे छोटे व्यक्तियों को बहुत परेशान करते हैं । जो ठीक तरह से और ईमान्दारी से कर देना चाहते हैं उनको भी परेशानी उठानी पड़ती है ।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

यदि उस परेशानी को दूर कर दिया जाय तो उनके पास से कर काफी अधिक आ सकता है । इसकी सब से आसान तरकीब, जैसाकि हमारे श्री मोरारका जी ने कहा, यह है कि असेसमेंट जल्दी से जल्दी कर दिया जाय । इस काम में छः महीनों से अधिक नहीं लगना चाहिये । इसमें जितनी भी देर होती है उतना ही इनकम टैक्स आफिसर्स को छोट असेसीज़ को मरेशान करने का मौका रहता है और एसे काम करने का मौका मिलता है जिसमें एक तरफ तो वे कर बचाने की चेष्टा करते हैं और दूसरी तरफ विशष कर लेने की चेष्टा करते हैं । इसलिये मैं इस बात पर पूरा जोर देना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के उपर इस तरह की ताकीद होनी चाहिये कि वे जल्दी से जल्दी असेसमेंट कर दें । अगर उसमें जल्दी की जाय तो हो सकता है कि असेससी यह सोचे कि व कर दे दें, लेकिन अगर इस में देरी की जायगी तो इस का परिणाम यह होगा कि उसकी वसूली में तीन चार साल बाद दिक्कत होगी । यह चोज मैं उन्हीं असेसीज़ के बारे में कह रहा हूं जोकि ईमान्दार लोग हैं । उनकी जो दिक्कतें

दिक्कतें हैं उन को मैं आप के सामने रख रहा हूं। इस के लिय आप एडमिनिस्ट्रेशन को जरा ठीक करें, इस के अतिरिक्त मुझे और कोई उपाय इस का नहीं दिखाई देता है।

मैं यह देख रहा हूं कि हमारे यहां जो छोटे स्तर के टैक्स देने वाले हैं वे ८७ परसेन्ट हैं, जिन की आमदनी १२५० रु० है। उस से ऊपर जो लोग हैं वे विशेष कर देने वाले हैं। जितना भी टैक्स अवायडेंस या टैक्स इवेज़न होता है वह उन्हीं लोगों के द्वारा होता है जो कि विशेष कर देते हैं। मुझे इस के कहने में दुःख होता है, लेकिन बिना इस को कहे मैं रह भी नहीं सकता कि इस का उपाय मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिये और एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिये। एक जगह पर मुझे एक इनकम टैक्स आफिसर ने कहा कि उस के पास एक फाइल आई, उस फाइल में काफी टैक्स लगाया जाना था, परन्तु कहीं से आर्डर आया कि वह उस फाइल को डील न करे। वह किसी बड़े भारी असेसी की फाइल थी। दूसरी तरफ एक असिस्टेंट अपेलेट कमिश्नर था जो कि साउथ का उदाहरण दे रहा था कि वह वहां गया और वहां पर उस ने टैक्स लगाया। इस पर वह वहां से ट्रांस्फर कर दिया गया। किसी एसे इंफ्लुएन्शल आदमी पर टैक्स लगाया जो कहीं से इन्फ्लुएन्स लाया और कुछ नहीं किया गया तो उस का ट्रांस्फर कर दिया गया। उस ने मुझे बतलाया कि वह ठीक जानता था कि उस आदमी से कम से कम १० लाख रु० टैक्स का रिअलाइज़ होता, परन्तु शायद उस को बहुत नामिनल टैक्स लगा कर छोड़ दिया गया। मैं मंत्री महोदय से यह नहीं कहता कि इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं .

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : आप ने वित्त मंत्री जी को क्यों नहीं लिखा ?

श्री झुनझुनवाला : मैं आप से सलाह लूंगा कि लिखना चाहिये या नहीं। आप नहीं थे इसलिये नहीं लिखा।

मैं यह नहीं कहता कि एसे बहुत से उदाहरण हैं, परन्तु यदि एक दो उदाहरण भी ऐसे होते हैं तो उन का नतीजा बुरा होता है। इस से दूसरे लोग भी किसी न किसी तरह के उपाय निकालेंगे जिस में कि उन को टैक्स न देना पड़े। इस के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिये कि यह चीज़ इस विभाग में न हो। यदि ऐसा होगा तो जो हमारा टैक्स का रिअलाइज़ेशन है वह ठीक नहीं होगा।

मैं फिगर्स देख रहा था कि जो नीचे के स्तर के टैक्स देने वाले हैं उन से कितना टैक्स आता है जो ऊपर के टैक्स देने वाले हैं, हाई इनकम टैक्स ग्रुप के, उन से कितना टैक्स आता है। जो ऊपर के स्तर के लोग हैं उन के पास लिमिटेड कम्पनियां हैं, उन की बैलेन्स शीट्स आदि सब निकलती हैं, यदि उन को ठीक तरह से देखा जाय तो जरूर पता चल जायगा कि इतना टैक्स यहां से आना चाहिये और इतना टैक्स यहां से आना चाहिये। इस के ऊपर भी मंत्री महोदय को और एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखना चाहिये कि इन चीजों को ठीक से देखा जाय। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा टैक्स अवायडेंस हो रहा है। फिगर्स से कुछ पता ही नहीं चलता कि जो हमारी नैशनल इनकम है उस में से इतना रुपया कहां चला गया, ऐसा लोग कहते हैं। इस तरह का खयाल हमें लोगों के मन से दूर करना चाहिये और चेष्टा करनी चाहिये कि हम इस चीज को दूर करें। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ऐसा काम हम करते हैं और इस चीज को परसू करते हैं तो जो दूसरे असेसी हैं उन के अन्दर यह खयाल पैदा होगा कि अब समय आ गया है जबकि वे लोग टैक्स की चोरी नहीं कर सकते उन को टैक्स देना ही है। एक चीज़ तो यह है।

दूसरी चीज यह है कि हमें लोगों के ऊपर यह धारणा बिठानी है कि हम जो पैसा टैक्स के रूप में लेते हैं उस का अच्छी तरह से व्यवहार होता है। यदि लोगों के मन में यह शक रहे और यह विचार रहे कि जो टैक्स का पैसा उनके पास से जाता है उसका ठीक से उपयोग नहीं होगा, उस टैक्स का

उपयोग हो कर जितना लाभ जनता को मिलना चाहिये वह नहीं मिलता, तो यह भी ठीक नहीं है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब हम लोगों की एक मनोवृत्ति हो गई थी कि गर्वनमेंट को टैक्स देना पाप है। ऐसी बात अभी हमारे यहां नहीं है। परन्तु जो लोग हवा फैलाने वाले हैं वे इसकी हवा फैलाते हैं कि हमारा दिया हुआ टैक्स बहुत ही बुरी तरह से व्यय होता है, और इस चीज को लोगों के मन से उतारना हमारा काम हो जाता है। यदि इस मनोवृत्ति को हम दूर कर सकें तो जो ईमानदारी से टैक्स देने वाले हैं उनको टैक्स देने में कोई आपत्ति नही होगी, नहीं तो उसके मन में यह भावना पैदा होगी कि चलो जो हमारा टैक्स जाता है उसमें से कुछ बचा लें, क्योंकि जो लोग टैक्स ले रहे हैं वे उसका दुरुपयोग करेंगे, हम ही क्यों न उसको बचा कर लाभ उठावें।

तो मेरा कहना है कि जो इस तरह की चीजें हैं उनको दूर कर देना चाहिये। छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकता है, लेकिन उन पर भी ध्यान देना चाहिये और यदि उनके कारण लोगों को कष्ट होता हो और उनके कारण कुछ लोगों के साथ अन्याय होता हो तो वह नहीं होना चाहिये।

आज मेरे पास कई टेलीफोन आये हैं जिनमें कहा गया है कि क्लाज १७९ द्वारा जो डाइरेक्टर्स के ऊपर रिट्रास्पेक्टिव जिम्मेदारी आती है वह उन पर न आए। यह तो इन्साफ नहीं लगता। जो चीज खत्म हो गयी और जिस वक्त वह डाइरेक्टर थे उस वक्त की चीज यदि आप बीस वर्ष बाद उन पर लावें तो यह ठीक नहीं है। हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है कि ऐसी चीज नहीं है; उस क्लाज को पढ़ने से ऐसा नहीं मालूम देता कि रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट होगा। यह उन्होंने आश्वासन दिया है। उनका यह आश्वासन तो ठीक है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, परन्तु जब यह चीज कोर्ट में जाएगी उस समय कोर्ट तो यह नहीं देखेगी कि उन्होंने यह आश्वासन दिया था। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस चीज को अवश्य देखें और इस कठिनाई को दूर करें।

मसानी जी ने बहुत सी बातें कहीं, मैं उन सब से तो सहमत नहीं हूं, लेकिन उन्होंने जो लॉसेज को कैरी ओवर करने के बारे में बात कही उससे मैं सहमत हूं कि इस कारण तो कम्पनी का नोशन ही दूर हो जाता है। यह ठीक है कि जो लोग बेईमानी करते हैं उनको पकड़ने के लिये यह चीज रखी गयी है, लेकिन जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके ऊपर इसका बुरा असर नहीं आना चाहिये।

एक चीज और मैं कहूंगा। जिस दिन से मुरारका जी ने भाषण दिया हैं उस दिन से यह चीज़ मेरे मन में खटक रही है। उन्हों ने अकाल मृत्यु के तीन कारण बताये। उनमें से एक कारण था टैक्स। मैं मुरारका जी और वित्त मंत्री जी से यह जानने की प्रार्थना करूंगा कि क्या हमारे देश में भी ऐसी स्थिति है कि टैक्स के कारण अकाल मत्यु हुई है, और अगर ऐसा है तो वे उसके दो चार उदाहरण दें। अगर कोई ऐसा आदमी है कि जिसको रूपया देख कर ही संतोष होता है और यदि उसका रूपया कोई उठा ले तो उसकी मत्यु हो जाती है, ऐसे लोगों को बचाने का तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर कोई देश के लिए काम करना चाहता है और कर-नीति के मारे हताश हो जाता है और दुखी होता है कि उस काम को नहीं कर पाया और इस कारण उसकी मत्यु हो जाती है, अगर कोई ऐसा आदमी है तो उसको अवश्य बचाना चाहिये।

अब मैं इस समय कुछ विशेष नहीं कहूंगा। जब क्लाज बाई क्लाज डिसकशन होगा तो एक दो क्लाजेज पर मुझे जो कहना है वह मैं कहूंगा।

†**श्री लै० अचौ सिंह :** (आन्तरिक मनीपुर) : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कुछ खंडों के संबंध में निश्चित रूप से सुधार हुआ है तथापि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आय कर विधेयक में कोई ठोस सुधार नहीं किया गया है ।

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था होने के कारण यह आवश्यक है कि करारोपण के संबंध में संतुलन हो । हमें एक ओर अधिकाधिक राजस्व प्राप्त हो सके और दूसरी ओर हम बचत और पूंजी की राशि में भी वृद्धि कर सकें ।

हमारे यहां प्रत्यक्ष करों का प्रतिशत केवल २४ है जब कि अप्रत्यक्ष करों का प्रतिशत ६३ है । यह प्रतिशत अन्य देशों के प्रतिशत को देखते हुए बहुत कम है । राष्ट्रीय आय का केवल ३ प्रतिशत प्रत्यक्ष करों से प्राप्त होता है ।

यह आशंका प्रगट की गयी है कि हमने जो छट और रियायतें दी है, इससे उन्हें करों से कुछ अंशों तक मुक्ति मिलेगी तथापि इससे उसी अनुपात में आय के विनियोजन में वृद्धि नहीं होगी अत : हमें उस ओर विषेश ध्यान देना चाहिये ।

कर अपवंचन के संबंध में मेरा निवेदन है कि फर्मों तथा कम्पनियों को जो विभिन्न प्रकार की छूट दी गयी है, उनसे करापवंचन को बढ़ावा मिल सकता है । सरकार को इस करापवंचन को रोकने के लिए आयकर व्यवस्था को कड़ा बनाना चाहिए । करापवंचन की राशि २० से ३० करोड़ तक बताई जाती है । यद्यपि श्री कलिड़र के अनुसार इस का अनुदान २०० से ३०० करोड़ रुपया है । मेरी तो यह भी मांग है कि भूतपूर्व राजा-महाराजाओं की निजी थैलियों पर भी आयकर और अधिकर लगना चाहिये । आयकर अधिकारियों को यह अधिकार दिये जाने चाहिये कि वे बैंकों के हिसाब को देख सके । ऐसा करने से बेनामी राशियों का पता लगा सकेंगे और छिपा हुआ धन प्रकट हो जायेगा ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : मेरा मत तो यह है कि यह आयकर विभाग ही भंग कर देना चाहिये । यह काफी भ्रष्टाचार फैला रहा है ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** इस समय मैं उन समस्त माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस विधान का स्वागत किया है । यद्यपि सभी तो किसी बात पर एक मत नहीं होते, परन्तु इस विधान को अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त हुआ है । मैं समझता हूं कि यह इस प्रकार के विधान के लिए अपने ही ढंग की बात है । यह मेरे और प्रवर समिति के सदस्यों के लिए सचमुच बड़े ही संतोष की बात है । इस संबंध में मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार के विधान को विभिन्न परिस्थतियों में काम करना होता है, अत : इसे इससे अधिक सरल नहीं बनाया जा सकता । फिर भी इस दिशा में जो कुछ संभव है वह किया गया है । मैं जो बातें कही गयी हैं उस पर कुछ प्रकाश डालने का यत्न करूंगा ।

बिलम्ब की शिकायत को गई है । मेरा निवेदन है कि जहां तक कर निर्धारण का तथा मामलों के निपटारे में देरी हो जाने का प्रश्न है सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है कि इसे पूरा किया जाय । परन्तु मेरा मत यह है कि इसे कानून द्वारा दूर नहीं किया जा सकता । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने बिलम्ब को यथा साध्य दूर करने और विशिष्ट अवधि में कर निर्धारण करने के लिये अपनी ओर से हिदायतें दे दी है ताकि कर दाताओं को परेशानी न हों । मैंने यह बात प्रवर समिति में भी स्पष्ट कर दी थी । यदि माननीय मित्र बिलम्ब के कुछ मामले मेरे नोटिस में लायें

---

†मूल अंग्रेजी में

तो अच्छा रहेगा हम देख सकेंगे कि देरी किस प्रकार होती है और उसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी फी अधिकारी को भारी कराधान करने पर स्थानान्तरित नहीं किया गया है। श्री झुनझुनवाला को इस संबंध में कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिये परन्तु माननीय सदस्यों को उन अधिकारियों से सचेत रहना चाहिये जो कि अपनी गलत बातों के लिए माननीय सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने में लिए दौड़ते हैं। जो लोग गलती करके फिर उसको ठीक सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं उन्हें तो सजा मिलनी ही चाहिये ।

श्री मसानी ने १७९ खंड के बारे में आपत्ति की है। उस संबंध में निवेदन है कि खंड १७९ के अन्तर्गत संचालकों के दायित्वों की व्यवस्था की गयी है। ये दायित्व सीमित है। जैसा कि माननीय मित्र ने कहा है ये असीमित नहीं है। ये सारे दायित्व करों तक ही सीमित हैं। अन्य देशों के कानूनों में भी यह व्यवस्था है। मेरा मत इस संबंध में यह है कि संचालकों पर प्रमाण प्रस्तुत करने का दायित्व रखना कानूनन कोई अनुचित बात नहीं है कही जा सकती। इस प्रकार की व्यवस्था अन्य कानूनों में भी वर्तमान है। जैसे कि हमारे देश का उद्योगिक विवाद अधिनियम है। इसके अन्तर्गत धारा ३१ में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। १९४८ के विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत धारा ७२ (१) में भी लगभग यही व्यवस्था है। अतः इसमें कोई बड़ी भयानक अथवा असाधारण बात नहीं कहीं गयी। अतः मेरी धारणा इस बारे में की गयी आपत्ति निराधार है।

इसी प्रकार 'भूत लक्षी प्रभाव' के सिद्धांत को लेकर जो आपत्ति की गयी है वह भी प्रायः इसी कोटि का है। संचालकों को अपने प्रबन्ध के दौरान में सरकार को प्राप्य करों के लिये जिम्मेदार होना चाहिये। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वर्तमान संचालक को इसके लिए जिम्मेदार बनाना गलत होगा। अंशदारों को भी जिम्मेदार बनाया जा सकता है परन्तु मेरे मत में यह उचित बात नहीं है ।

अब मैं न्यासों की ओर आता हूं जिसके बारे में श्री फ्रांक एंथनी महोदय ने बड़ा जोरदार भाषण दिया है। परन्तु मेरी समझ में इस बारे में यह नहीं आया कि कोई व्यक्ति आयकर से छूट का अधिकारी कैसे हो सकता है। संविधान के अन्तर्गत ऐसा कों मूल अधिकार नहीं जिस से कोई व्यक्ति आयकर से मुक्त हो सके। यह याद रखना चाहिये कि आयकर पूरे समुदाय है और उसे समुदाय के लाभ के लिए खर्च किया जाता है। यह उपबन्ध शक्ति से परे तो जा नहीं सकता। इसमें शब्द 'जाति' को हटाने को संशोधन मैं अवश्य स्वीकार कर लूंगा।

उन्होंने न्यास निधि के संचित करने के बारे में भी कुछ आपत्ति की है। इस बारे में हम ने न्यास की निधि जमा रखने के लिए दस वर्ष की अवधि रखी हैं। यह बात कि एक योजना पारित होने के बाद अन्य योजनायें पर विचार करने की कोई मनाई नहीं है। मुझे आशा करनी चाहिये कि इस व्यवस्था से मेरे माननीय मित्र को संतोष हो जायेगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गैर सरकारी कर्मचारियों को दिये गये उपदान पर कर की छूट बढ़ाई नहीं जा सकती क्यों कि ऐसा करने पर इसे सरकारी कर्मचारियों के मामले भी बढ़ाना पड़ेगा। इस छट के बढ़ाने की मांग में मैं कुछ औचित्य नहीं समझता। एक बात और भी इससे स्पष्ट है कि किसी राजनीतिक निधि को छट नहीं दी गयी। सरकार उस पर आयकर लेने के विरोध में नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि जिन परिवारों को "अवभिक्त परिवारों" की

की परिभाषा में न रखने की मांग की गयी है उन्हें कानून में इस संशोधन के करने से वास्तव में लाभ होगा अथवा नहीं ? मैं आशा करता हूं कि सामूहिक तौर पर इस विधान से देश का हित ही होगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि आय-कर और अधिकर सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब खण्डों पर विचार आरम्भ होगा ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** मैं संशोधन संख्या १ और १० प्रस्तुत करता हूं । माननीय वित्त मन्त्री ने अपने उत्तर के दौरान में उस बात का जवाब नहीं दिया जो मैंने उठाया था ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** यदि उनका संशोधन मान लिया जाये, तो उन लोगों को जिन को वह लाभ पहुंचाना चाहते हैं और भी कठिनाई होगी, क्योंकि उस अवस्था में यह होगा कि दायभाग परिवार के मामले में कर्ता पर निर्धारण उसके जीवन में एक व्यक्ति के रूप में किया जायेगा और उस की मृत्यु पर एक सन्था के रूप में दोनों हालतों में परिवार को नुकसान होगा क्योंकि इसे सन्था ही समझा जायेगा और संयुक्त परिवार के लिये जो ऊंची सीमा है वह उन्हें नहीं मिल सकेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ और १० मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ३ से ८ विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड ९—(भारत में होनी वाली आय)

†**श्री मी० रू० मसानी :** मैं प्रस्ताव संख्या ११ प्रस्तुत करता हूं ।

'व्यापारिक सम्बन्ध' के शब्दों को जो खण्ड ९ के आरम्भ में रखे गये हैं कानून के विशेषज्ञों ने संदिग्ध अभिव्यक्ति बतलाया है । इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के सम्बन्ध आ जाते हैं । यदि कोई भारत से बाहर रहने वाला व्यक्ति किसी प्रकार का व्यापार करता है, तो उसे व्यापारिक सम्बन्ध नहीं समझना चाहिये । यदि वह विदेश से भारत को बेच रहा है या भारत से खरीद रहा है, दोनों जायज़ काम हैं और इनके लिए उसे दण्ड नहीं मिलना चाहिये ।

†**श्री मोरारका** (झुंझनूं) : खण्ड ९ में "भारत से केवल व्यापार का" शब्दों को जोड़ने के उद्देश्य से रखा गया संशोधन आवश्यक नहीं है । इस खण्ड के सम्बन्ध में जो व्याख्या संलग्न है, उससे संशोधन के प्रस्तावक का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री मोरारजी देसाई :** "व्यापारिक सम्बन्ध" के बारे में सब बातें स्पष्ट कर दी गई हैं और उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। इस लिए क्यों ऐसे नये शब्द रखे जायें, जिनके कई अर्थ निकलते हों ? मैं संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड १०—(आय जो कुल आय में सम्मिलित नहीं)

संशोधन किया गया—

पृष्ठ २१ में—

पंक्ति १५ से २० के स्थान में पर ये शब्द रखे जायें :—

"(26) in the case of a member of a Schedu'ed Tribe as defined in cluase (25) of article 366 of the Constitution, residing in any area specified in Part A or Part B of the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution or in the Union Territories of Manipur and Tripura, who is not in the service of Government,

any income which accrues or arises to him,

(a) from any source in the area or Union Territories aforesaid, or

(b) by way of dividend or Interest on securities."

(२६) संविधान के अनुच्छेद संख्या ३६६ के खण्ड २५ में उल्लिखित अनुसूचित आदिम जाति का सदस्य, जो संविधान की छठी अनुसूची की कंडिका में संलग्न सूची के भाग (क) या (ख) में उल्लिखित क्षेत्रों में अथवा मनीपुर और त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्रों में रहता हो, और जो सरकारी कर्मचारी न हो,

उसको होनी वाली अथवा मिलने वाली कोई आय :

(क) उक्त क्षेत्रों अथवा संघ राज्य-क्षेत्रों के किसी स्रोत से होने वाली, या

(ख) लाभांश अथवा प्रतिभूतियां पर मिलने वाले ब्याज के रूप में (२)

[श्री मोरारजी देसाई]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १०, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १० विधेयक में जोड़ दिया गया

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड ११—(पूर्व और धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी गई सम्पत्ति से आय)

श्री मी० रू० मसानी : मैं अपना संशोधन संख्या २० प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नोशीर भरूचा : मैं अपने संशोधन संख्या १३, १४, १८ और १९ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ २२, पंक्ति ३२ से ३४ में—

"Shall be deemed to be the income of such person of the previous year in which it is so applied or ceases to be so accumulated or set apart"

"[उस व्यक्ति के पहिले वर्ष की, जिसमें आवेदन किया गया था, अथवा संचित होना रुक गया था, अथवा धन पृथक रखा गया था, की आय समझी जायेगी" के स्थान पर

यह शब्द रखे जायें—

"or is not utilised for the purpose for which it is so accumulated in the year immediately following the expiry of the period allowed in this behalf shall be deemed to be the income of such person of the previous year in which it is so applied, or ceases to be so accumulated or set apart or as the case may be of the previous year immediately following the expiry of the period aforesaid"

"[इस कार्य के लिये दी गयी अवधि के समाप्त होने के तत्काल बाद के वर्ष में यदि उसका उस प्रयोजन के लिये उपयोग नहीं हो सकेगा जिस कार्य के लिये उसे संचित किया गया था, उसे उस व्यक्ति के पहिले वर्ष की जिसमें आवेदन किया गया था, अथवा संचित होना रुक गया था, अथवा यह धन पृथक रखा गया था, उक्त अवधि के समाप्ति के तत्काल पश्चात् की अवधि के पहिले वर्ष की जैसा भी मामला हो]" (९१)

(२) पृष्ठ २२—

पंक्ति ३५ और ३६ के **स्थान पर यह शब्द रखे जायें—**

(4) For the purposes of this section "property held under trust" includes a business undertaking so held, and where a claim is made that the income of any such undertaking shall not be included in the total income of the persons in receipt thereof, an Income-tax officer shall have power to determine the income of such undertaking in accordance with the provisions of this Act relating to assessment; and where any income so determined is in excess of the income as shown in the accounts of the undertaking; such excess shall be deemed to be applied to purposes other than charitable or religious purposes and accordingly chargeable to tax within the meaning of sub-section (3)."

"[(४) इस धारा के प्रयोजन के लिये "प्रन्यास के अधीन सम्पत्ति" के अन्तर्गत एक व्यवसायिक उपक्रम, और यहां यह दावा किया जाये कि उस उपक्रम की आय उसे प्राप्त करने वाले लोगों की आय में नहीं शामिल हो, आयकर अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे उपक्रम की आय का निर्धारण इस अधिनियम में निर्धारण से सम्बन्धित उपक्रमों के आधार पर करे । और जहां इस प्रकार से

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

निर्धारित आय उस उपक्रम के लेखों में दिखायी गयी आय से अधिक हो, यह समझा जायेगा कि यह आधिक्य धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में प्रयोग होती है और इस कारण वह उपधारा ३ के अधीन इस पर कर लगेगा ।]" (३)

†**श्री मी० रू० मसानी** (रांची पूर्व) : न्यासों के मार्ग में व्यर्थ अड़चन नहीं डाली जानी चाहिये तथा उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में धन विनियोग के लिए विवश नहीं करना चाहिए । उन्हें सरकार द्वारा पहले से अनुमोदित किसी प्रकार की प्रतिभूतियों में धन लगाने की अनुमति होनी चाहिए ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : जिन संशोधनों द्वारा "२५ प्रतिशत" तथा "दस हजार" शब्दों के स्थान पर "५० प्रतिशत" तथा "२०,०००" शब्दों के रखे जाने का सुझाव दिया गया है, उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए । विचार यह है कि न्यासों को कुछ अधिक राहत दी जाये । तथा-कथित पाक्षिक न्यास भी राष्ट्र को सरकार के बोझ को कुछ सीमा तक कम करके लाभ पहुंचाते हैं । कम से कम ५० प्रतिशत राशि को बिना करारोपण एकत्र होने दिया जाये । इस प्रकार के संग्रह की १२ वर्ष तक अनुमति होनी चाहिये ।

†**श्री मोरारका :** यदि किसी पूर्व न्यास द्वारा व्यय की जाने वाली राशि का व्यय नहीं हो पाता तथा बिना किसी औचित्य के उसका संग्रह हो जाता है, उस राशि को आयकर से छूट देने का कोई कारण नहीं है ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : जहां तक खण्ड ११ का सम्बन्ध है, "२५ प्रतिशत" की सीमा को बढ़ा कर "५० प्रतिशत" कर देने में औचित्य तथा सिद्धान्त का कोई प्रश्न नहीं है । मैं श्री नौशीर भरुचा के संशोधन का विरोध करता हूं ।

†**डा० म० श्री० अणे** (नागपुर) : जब सरकार एक बार यह मान लेती है कि कोई न्यास पूर्त प्रयोजन के लिए स्थापित किया गया है तो इस छूट मिलने का अधिकार है । सरकार स्थिति यह कह कर बदल नहीं सकती कि उसने रुपया खर्च नहीं किया ।

†**श्री नथवानी :** जब इस आधार पर आयकर से छूट ली जाती है कि आय को पूर्त प्रयोजनों के लिये प्रयोग किया जायेगा, तो यदि दस वर्ष तक २५ प्रतिशत आय खर्च नहीं की जाती, तो उसके लिये आगे छट नहीं देनी चाहिये ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** यदि कोई न्यास बना कर उस पर आयकर देता रहे, तो सरकार उस पर बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करती । जब न्यास बना कर छूट मांगी जाती है, तो इसका अर्थ है सरकार भी उसमें हिस्सा लेती है । इसलिये इस का अर्थ यह नहीं कि सरकार इसके बीच आ ही नहीं सकती । सर-कार पर यह दायित्व है कि वह देखे कि धन का उचित उपयोग किया जाये ।

सीमाओं को काफी सोच विचार के बाद निश्चित किया गया था और सब पहलू को ध्यान में रख कर किया गया था । अब ये सीमायें बढ़ानी नहीं चाहियें ।

श्री मसानी ने प्रतिभूतियों के बारे में कुछ कहा है । यदि हम इन लोगों को धन जमा करने देते हैं और यदि इनका उचित प्रयोग होता है तो इन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित करना चाहिए । यह लोकहित में होगा । इसलिये मैं इन में से कोई संशोधन स्वीकार नहीं करता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संशोधन संख्या ३ के बारे में मुझे यह कहना है कि हमें यह देखना होगा कि व्यापार के दौरान में धन अपनी मर्जी के अनुसार न दिया जाये। पूरी आय पूर्त प्रयोजनों के लिये प्रयोग नहीं की जायेगी, क्योंकि आयकर अधिकारी इसका परीक्षण नहीं करेंगे। कोई विवरण नहीं होगा, क्योंकि वह आयकर से मुक्त होगा। इस लिये लेखाओं की परीक्षा आवश्यक है, जब भी आयकर पदाधिकारी आवश्यक समझें। इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि जो भी व्यापार चलाया जाये वह पूर्त प्रयोजनों के लिये चलाया जाये। इसलिये पूर्त न्यासों को छूट देते समय, यह संरक्षण आवश्यक समझा गया था।

संशोभन संख्या ९१ केवल स्पष्टीकरण के लिये है, इसके अर्थ में कोई अन्तर नहीं आता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १३, १४, १८, १९ और २० मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है :

पृष्ठ २२, पंक्ति ३२ से ३४ में--

"Shall be deemed to be the income of such person of the previous year in which it is so applied or ceases to be so accumulated or set apart"

"उस व्यक्ति के पहिले वर्ष को, जिस में आवेदन किया गया था, अथवा संचित होना रुक गया था, अथवा धन पृथक रखा गया था, की आय समझी जायेगी," के स्थान पर

यह शब्द रखे जायें--

"or is not utilised for the purpose for which it is so accumulated in the year immediately following the expiry of the period allowed in this behalf shall be deemed to be the income of such person of the previous year in which it is so applied, or ceases to be so accumulated or set apart or as the case may be of the previous year immediately following the expiry of the period aforesaid"

"इस कार्य के लिये दी गई अवधि के समाप्त होने के तत्काल बाद के वर्ष में, यदि उस का उस प्रयोजन के लिये उपयोग नहीं हो सकेगा जिस कार्य के लिये उसे संचित किया गया था, उसे उस व्यक्ति के पहिले वर्ष की, जिस में आवेदन किया गया था, अथवा संचित होना रुक गया था, अथवा यह धन पृथक रखा गया था, उक्त अवधि के समाप्ति के तत्काल पश्चात् की अवधि के पहिले वर्ष की जैसा भी मामला हो" (९१)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २२--

पंक्ति ३५ और ३६ के **स्थान पर यह शब्द रखे जाय :--**

"(4) For the purposes of this section "property held under trust" includes a business undertaking so held and where a claim is made that the income of any such undertaking shall not be included in the total income of the persons in receipt thereof, an Income-tax Officer shall have power to determine the income of such undertaking in accordance with the provi-

†मूल अंग्रेजी में

sions of this Act relating to assessment; and where any income so determined is in excess of the income as shown in the accounts of the undertaking; such excess shall be deemed to be applied to purposes other than charitable or religious purposes and accordingly chargeable to tax within the meaning of sub-section (3)".

"(४) इस धारा के प्रयोजन के लिये 'प्रन्यास के अधीन सम्पत्ति' के अन्तर्गत एक व्यावसायिक उपक्रम, और जहां यह दावा किया जाये कि उस उपक्रम की आय उसे प्राप्त करने वाले लोगों की आय में नहीं शामिल हो, आय कर अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे उपक्रम की आय का निर्धारण इस अधिनियम में निर्धारण संबंधी उपक्रमों के आधार पर करे। और जहां इस प्रकार से निर्धारित आय उस उपक्रम के लेखों में दिखाई गई आय से अधिक हो, यह समझा जायेगा कि यह आधिक्य धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में प्रयोग होती है और इस कारण वह उपधारा ३ के अधीन इस पर कर लगेगा" (३)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ११, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ११, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १२—(स्वेच्छा से दिये गये दानों द्वारा न्यासों या संस्थाओं को आय)

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपना संशोधन संख्या २१ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं इसे स्वीकार नहीं करता।

†**श्री नौशीर भरूचा** : खंड १२ के अनुसार यह उपबन्ध है कि यदि कोई न्यास किसी दूसरे न्यास को कुछ दान देता है तो यह दिया हुआ दान दूसरे की आय मानी जायेगी। जबकि एक व्यक्ति द्वारा दिया गया दान उस की आय नहीं माना जाता।

अतः मेरा विरोध यह है कि इस खंड से उस सहकारिता के सिद्धान्त पर प्रभाव पड़ेगा जिस के आधार पर न्यास काम करते हैं। इस उपबन्ध से उन बड़े न्यासों पर जो छोटे न्यासों की सहायता करते हैं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नैतिक दृष्टि से भी ऐसा करना ठीक नहीं है।

†**श्री मुरारका** (झुंझनूं) : यह संशोधन प्रवर समिति ने रखा है। अगर यह संशोध न होता तो खंड ११ का सारा उद्देश्य जाता रहेगा। यह खंड कमियों को दूर करने के बारे में ही है। इसीलिये प्रवर समिति ने यह खंड रखा था और यह अच्छी ही बात है। इस में कोई तर्कहीनता की बात नहीं है। यह बहुत ही आवश्यक है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : दान संचय के अन्तर्गत नहीं आते।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या २१ को मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २१ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शेष खंड अब हम कल लेंगे ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सत्तास्सीवां प्रतिवेदन

†**श्री यादव नारायण जाधव** (मालेगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों समिति के सत्तासीवें प्रतिवेदन से, जो २३ अगस्त १९६१ को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों समिति के सत्तासीवें प्रतिवेदन से, जो २३ अगस्त १९६१ को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पुनः सेवा में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध के बारे में सकल्प--जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा में श्री भदौरिया द्वारा ११ अगस्त, १९६१ को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा होगी :

"इस सभा की राय है कि सरकार को सेवा से मुक्त या निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के किसी भी सरकारी या गैरसरकारी सेवा में पुनः लगाये जाने या प्रवेश पर शीघ्र से शीघ्र प्रतिबन्ध लगाने के लिये उपयुक्त विधान पेश करना चाहिये ।"

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं । मेरा एक सुझाव है कि इस संकल्प क्षेत्राधिकार से तीसरी तथा चौथी श्रेणी के एवं उन अपवादजनक सरकारी कर्मचारियों को निकाल देना चाहिये जिनको कि नौकरी की वास्तविक आवश्यकता है और उनका सम्बन्ध सरकारी गोपनीय कागज़ों से बिल्कुल नहीं रहा है । इन सरकारी कर्मचारियों की सेवा लेने में तो कोई हानि नहीं है लेकिन हानि उसी वक्त है जबकि इन की सेवाओं का दुरुपयोग किया जाता है । संविधान के निर्माताओं ने यह उपबन्ध करना उचित समझा है कि जो लोग उच्च पदों पर काम कर रहे हैं उन्हें अपने पद पर रहते हुए किसी बात का प्रलोभन दे कर कहीं और न लगाया जा सके ।

मेरा अपना मत है कि प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को कुछ अधिक पेंशन दी जा सकती है किन्तु हमें यह देखना चाहिये कि वे निवृत्त होने पर अन्य नौकरी कर अपनी स्थिति का नाजायज़ लाभ

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री तंगामणी]

न उठायें। लेकिन इन सरकारी कर्मचारियों की विद्वत्ता का लाभ उठाना चाहिये। और उन्हें सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में काम दिया जाना चाहिये। सरकार को ऐसे अधिकारियों को अवश्य हतोत्साहित करना चाहिये जो निवृत्त होने के दो वर्ष के भीतर गैरसरकारी क्षेत्र में नौकरी कर लेते हैं और सरकार तथा उस की नीति की आलोचना करते हुए लेख लिखते है। गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग इन सरकारी कर्मचारियों को अपने यहां इसी उद्देश्य से नौकरी देते हैं कि उन के प्रभाव का लाभ उठा सकें।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: जहां तक इस संकल्प का संबंध है मैं यह बता देना चाहता हूं कि स्थिति ऐसी नहीं है कि संकल्प जिस प्रतिबन्ध को लगाने के लिये कहा गया है उसे लगाया जा सके। उस के दो कारण हैं एक तो यह है कि क्या ऐसी प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के विरुद्ध करना संभव है। दूसरे यह देखना है कि क्या इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने दूसरी जगह नौकरी करने के पश्चात् अपने पद का दुरुपयोग किया है और अपने प्रभाव का लाभ उठाया है।

प्रस्तावक महोदय का आशय यह है कि इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न तो सरकारी क्षेत्र में ही नौकरी दी जाय और न गैर सरकारी क्षेत्र में ही। जहां तक सरकारी क्षेत्र की बात है सभी यह जानते हैं कि हम ने द्वितीय वेतन आयोग की उस सिफारिश को नहीं माना है जिसमें कहा गया था कि सरकारी कर्मचारियों को ५५ वर्ष की अपेक्षा ५८ वर्ष तक नौकरी करने दी जाय। सरकार ने यह नियम बना दिया है कि जहां कार्यकाल बढ़ाया जाये अथवा निवृत्त कर्मचारी को पुनः नौकरी पर लगाया जाये वहां सरकार के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिये। किन्तु प्रविधिक और वैज्ञानिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह नियम कहीं कहीं शिथिल किया गया है। सदूसरी बात यह भी है कि जब सरकार किसी कर्मचारी को फिर से काम पर लेती है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह पुनः उसको वही काम दे। यह सब कुछ आवश्यकता पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में केवल जनहित ही ध्यान में रखा जाता है न कि उस व्यक्ति विशेष का व्यक्तिगत लाभ। हमारे यहां वैज्ञानिक एवं प्रविधिक व्यक्तियों की कमी है। उनके मामले में हमें कुछ छूट देनी पड़ती है। कभी कभी हमें विदेशियों की सेवा भी लेनी होती है।

कोई व्यक्ति सेवा निवृत्त होने पर यदि किसी गैरसरकारी फर्म में नौकरी करना चाहता है लेकिन यदि वह प्रथम श्रेणी का अफसर था तो दो वर्ष तक और यदि वह अखिल भारतीय सेवा में रहा हो तो सरकार की अनुमति लिये बिना वह पुनः नौकरी नहीं कर सकता। उन्हें अनुमति देने से पूर्व अच्छी तरह छानबीन कर ली जाती है। फिर एक बात यह भी तो है कि इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर कोई स्थायी प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता। वह सरकारी पद पर रहने के कारण अपनी स्थिति का दुरुपयोग न करें इसको दूर करने के लिये ही दो वर्ष का प्रतिबन्ध लगाया गया है। दो वर्ष के भीतर यदि वह कहीं नौकरी करता है तो उसे अनुमति लेनी होगी। यदि वह इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसकी पेंशन रोक ली जाती है। १९५६-५७ में केवल ५८ प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को ऐसी नौकरी करते एवं आई० ए० एस०, आई० पी० एस० आदि के वर्ग में से केवल ५८ व्यक्तियों को नौकरी करने की अनुमति दी गई थी। १९५७-५८ में तथा आगामी वर्ष में यह संख्या क्रमशः ४८ और ७० थी। इन तीन वर्षों में कुल मिला कर १७६ व्यक्तियों को अनुमति दी गई थी। ९ व्यक्तियों को इसलिये अनुमति नहीं दी गई कि उनका ऐसी सेवा करना जनहित में नहीं

†मूल अंग्रेजी में

है। सन् १९५७-५८ में २१५ व्यक्तियों का सेवाकाल बढ़ाया गया। १९५८-५९ में केवल ४३ व्यक्तियों का समय बढ़ाया गया। विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के मामलों में कुल छूट दी गई है वह भी उनकी स्थिति को देख कर। जहां तक सेवाकाल बढ़ाने का सवाल है यह ध्यान में रखना चाहिये कि केवल जनहित को ध्यान में रख कर ही कुछ किया जाता है।

हम सदा इस बात पर जोर देते हैं कि कोई विशिष्ट अधिकारी निवृत्त होने से पूर्व अपने विभागीय समय के रहते अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दे दे। सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि विभाग का कार्य तथा विकास परियोजनाओं का कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न होने पाये।

यह बात सही है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवा से निवृत्त होता है तो उसकी आय बहुत घट जाती है और यह आवश्यक है कि वह अपनी जीविका की पूर्ति के लिये कुछ करे। मानवीय दृष्टिकोण से भी यह ठीक है। अतः उसे कुछ न कुछ धंधा करना ही चाहिये। लेकिन यदि वह अपनी स्थिति का दुरुपयोग करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करनी ही होगी। सरकारी कर्मचारी साधारणतया ईमानदारी से काम करते हैं अतः उन पर कोई लांछन लगाना ठीक नहीं है। यह कहना गलत है कि जब तक वे सरकारी सेवा में रहते हैं तो अच्छा काम करते हैं और सेवानिवृत्त होते ही अपने पद और अनुभव का दुरुपयोग करने लगते हैं। हमें उन पर सेवानिवृत्त होने के बाद भी विश्वास करना चाहिये।

जिन सरकारी कर्मचारियों के नाम यहां लिये गये हैं जिन्हों ने कि सेवा निवृत्त होने के बाद कहीं अन्य स्थानों पर नौकरी कर ली है और उन पर अपने पद का दुरुपयोग करने का अपराध लगाया गया है उनमें से आधे से अधिक लोगों के बारे में सूचनायें गलत हैं।

हम ने सरकारी उपक्रमों में कुछेक कर्मचारियों को इसलिये ले लिया है कि हम उनकी सेवाओं से लाभ उठाना चाहते हैं।

सरकारी कर्मचारी भी देशभक्त हैं वे भी ईमानदारी एवं कुशलता से काम कर रहे हैं। उनमें भी अपने देश के विकास करने की भावना है और वे इस काम में पूरा पूरा सहयोग दे रहे हैं। अतः उनके विरुद्ध यहां सभा में उल्टी सीधी बातें कहना अच्छी बात नहीं है।

अतः मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। क्योंकि ऐसा प्रतिबन्ध लगाना भारत के विकास के लिये हितकर नहीं होगा। देश के प्रति इन कर्मचारियों की अमूल्य सेवा से हमें वंचित होना होगा। इसलिये मैं प्रस्तावक महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस संकल्प पर बल न दे अन्यथा हमें इस का विरोध करना पड़ेगा।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने जिस समय ११ अगस्त को यह प्रस्ताव सदन में उपस्थित किया था, मैं ने यह निश्चित किया था कि यदि शासक दल के माननीय सदस्यों और माननीय मिनिस्टर आफ़ स्टेट की तरफ़ से कुछ प्रभावशाली और प्राणवान तथ्य मेरे इस संकल्प के विरोध में उपस्थित किये जायेंगे, तो मैं इसे अवश्य ही वापस ले लूंगा। लेकिन शासक दल के सब माननीय सदस्यों और अभी अभी माननीय मिनिस्टर आफ़ स्टेट के भाषण सुन कर मैं ने यह अनुभव किया कि कोई भी ऐसे तथ्य अभी तक इस सम्बन्ध में नहीं रखे गये कि जिस से मैं इस संकल्प को वापस लूं।

एक बात यह कही गई है कि सेवा से निवृत्त कुछ अधिकारियों पर कीचड़ उछाला गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा मेरा या हमारे किसी भी सदस्य का कोई इरादा नहीं था। मैं बहुत ही

[श्री अर्जुन सिंह भदौरिया]

साफ़ शब्दों में बताना चाहता हूं कि खुदा की तरफ़ से न तो कोई ईमानदार पैदा होता है और न बेईमान बन कर आता है; कुछ ऐसे सर्कमस्टान्सिज़, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, जो आदमी को ईमानदार और बेईमान बनाती हैं। हमको, आपको और विशेष तौर पर शासन को इस बात पर हमेशा ध्यान रखना होगा, कड़ाई रखनी होगी कि हम ऐसे साधन अपने कर्मचारियों को उपलब्ध न होने दें, जिससे कि उनमें कोई खराबी आ जाये।

जहां तक इस प्रस्ताव का प्रश्न है, यह प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, या किसी व्यक्ति विशेष को देख कर उपस्थित नहीं किया गया है। यह प्रस्ताव और इसकी मंशा नीतियों और बुनियादी सिद्धान्तों पर आधारित है और उन्हीं बुनियादी नीतियों और सिद्धान्तों के आधार पर मैं ने यह प्रस्ताव इस सदन में उपस्थित किया है। आज भी मेरा यह मत है कि सेवा से निवृत्त कर्मचारियों ने निजी क्षेत्र में, या सार्वजनिक क्षेत्र में जाने पर जब तक प्रतिबन्ध नहीं लगेगा, तब तक हम अपने शासन की गोपनीयता को कायम नहीं रख सकते हैं। पिछले दिनों जब हिन्दुस्तान में दलाई लामा साहब आने ही नहीं पाये और उन के आने की खबर हिन्दुस्तान के अखबारों में निकल भी नहीं पाई कि उस से पूर्व ही चीन के अखबारों और रेडियो ने उस खबर को प्रकाशित और प्रसारित कर दिया। हिन्दुस्तान की हुकूमत के लिये यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है।

मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी दोहराता हूं कि जो अधिकारी रिटायर होने वाले होते हैं, रिटायर होने के पहले ही उन की एक आंख सरकारी काम पर और एक आंख हिन्दुस्तान के सरमायादारों के दफ़्तरों पर और शानदार बंगलों पर लगी रहती है। जैसे ही उन्हें छुट्टी मिलती है वे लोग वहां जा करके वे प्राइवेट सैक्टर के किसी अंडरटेकिंग में लग जाते हैं। जिन सरकारी पदों पर उन्होंने काम किया होता है और जिन कर्मचारियों ने उनके मातहत रह कर काम किया होता है, उन पर उनका कुछ न कुछ प्रभाव होता ही है और उनके उस दफ्तर से चले जाने के बाद भी वह प्रभाव अपने स्थान पर बना रहता है और वे वहां से कई तरह के काम निकलवाने में सफल हो जाते हैं। इससे हमेशा ही दफ्तरों की गोपनीयता जोकि शासन का एक छिपा हुआ और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, भंग होने का खतरा बना रहता है, उसमें हमेशा दरार पड़ने का अवसर रहता है, मौका रहता है। इस वास्ते मैं माननीय मंत्री जी तथा इस सदन से अपील करूंगा कि हमको एक ज़ीभ से काम करना चाहिये। हम देखते हैं कि जब हम सदन से बाहर होते हैं तो इस प्रकार के संकल्पों के समर्थन में बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन जब सदन के अन्दर बोलने के लिए खड़े होते हैं तो दूसरी ही ज़ीभ से बोलते हैं, इस प्रकार के संकल्पों का विरोध करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि एक ज़ीभ होनी चाहिये और वही बात कहें और करें जो हम सदन के अन्दर या सदन से बाहर कहते हैं। यह जो संकल्प है, यह जो प्रस्ताव है, अगर यह सही और ठीक है तो सदन के अन्दर और सदन के बाहर दोनों जगहों पर सही और ठीक है और अगर सही और ठीक नहीं है तो दोनों जगहों में से कहीं भी सही और ठीक नहीं है।

मैं समझता हूं कि अगर देश की बेरोजगारी को, देश की बेकारी को खत्म करना है तो फिर हर हालत में इस संकल्प को स्वीकार आपको करना ही होगा। अगर इस मुल्क के अन्दर काम में तेजी, फुर्ती और चुस्ती लानी है, तो उसके लिए भी यह आवश्यक है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाये। राष्ट्र के निर्माण की बात माननीय मंत्री जी ने कही है। मैं समझता हूं कि अगर राष्ट्र के निर्माण का जज़बा उनके दिमाग में है, उनके मतिष्क में है तो उससे कहीं अधिक मात्रा में

वह हिन्दुस्तान के हर इन्सान के मस्तिष्क में है । हर हिन्दुस्तान का इन्सान इस देश को एक नया रूप देना चाहता है और हिन्दुस्तान को नये ढंग पर बनाना और बसाना चाहता है । इस वास्ते अगर हिन्दुस्तान को नये ढंग पर बनाना और बसाना है तो मेरे इस संकल्प के समर्थन में, मैं चाहूंगा, सभी माननीय सदस्य मत दें और इसे पास करें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा की राय है कि सरकार को सेवा से मुक्त या निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के किसी भी सरकारी या गैर सरकारी सेवा में पुनः लगाये जाने या प्रवेश पर शीघ्र से शीघ्र प्रतिबन्ध लगाने के लिये उपयुक्त विधान पेश करना चाहिये ।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

पटसन का मूल्य निर्धारण करने के बारे में संकल्प और कच्चे पटसन की कमी के बारे में चर्चा*

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा की यह राय है कि कच्चे पटसन के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य संविहित रूप से निश्चित किये जायें और लागू किये जायें ।"

मैं समझता हूं कि कच्चे पटसन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी । पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने एक सार्वजनिक वक्तव्य में स्पष्टतः यह कहा है कि जब तक जूट का न्यूनतम मूल्य निश्चित नहीं होगा तब तक जूट उत्पादकों को कोई लाभ नहीं होगा । बिचौलिये एवं जूट मिल मालिक एवं व्यापारी उसका खून चूस जायेंगे । साथ ही इसका प्रभाव जूट उत्पादन पर भी पड़ेगा क्योंकि जब तक जूट के मूल्य के बारे में उत्पादकों को कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक वे जूट का उत्पादन भी नहीं करेंगे ।

सन १९५४ में प्रमुख एवं ख्यातिप्राप्त सरकारी पदाधिकारियों ने भारतीय केन्द्रीय जूट समिति के सामने एक गवाही में बताया था जब तक जूट का मूल्य निर्धारित नहीं किया जायेगा तब तक जूट उत्पादक की सुरक्षा संभव नहीं है ।

यदि हम पिछले दस वर्षों का अध्ययन करें तो हमें यह जानकारी हो जाती है कि प्रति वर्ष ही जूट का मूल्य कम नहीं हो रहा है बल्कि हर फसल में इसके मूल्य में काफ़ी उतार चढ़ाव आता रहा है ।

पटसन की कीमतों का चक्र प्रति वर्ष एक विशेष रूप से चलता है जैसे ही कच्ची पटसन बाजार में आने को तैयार होती है तो उसकी कीमतें गिर जाती हैं, और जब सारा पटसन किसानों के हाथों से बाहर निकल जाता है तो उसकी कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं और वह बढ़ते बढ़ते लगभग दुगनी हो जाती हैं । यह कुचक्र चलता रहता है । इसका समस्त लाभ आढ़तियों या दलालों को मिलता है । इस वर्ष पटसन की फस्ल बहुत अच्छी होने वाली है अतः सरकार को अभी से इस विषय में कार्यवाही की जानी चाहिये । विशेषतः इस कारण कि पटसन के विषय में विश्व के बाजार में हमारा पूर्ण अधिकार है तथा हम इसके द्वारा १४० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं ।

---

*बाद को अध्यक्ष महोदय ने निर्णय किया कि पटसन की कमी सम्बन्धी चर्चा पटसन के मल्य निर्धारण सम्बन्धी संकल्प के साथ की जाये ।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पटसन की कीमतों को नियंत्रित करने का सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रयत्न नहीं किया गया है ।

इस वर्ष की स्थिति यह है कि बोने के मौसम के पहिले पटसन का कोई न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं किया गया और अब भारतीय पटसन मिल संघ की ओर से यह प्रयत्न किया जा रहा है कि पटसन के मूल्य कम हो जायें अतः वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए राज्य सरकार आदि के परामर्श से पटसन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिये जल्दी ही निर्णय करना चाहिये । इसके लिये किसान को उत्पादन की लागत देने का कोई सूत्र होना चाहिये । पटसन का मूल्य ४०–४५ रु० के आस पास निर्धारित किया जाये ।

इसी कारण मेरे संकल्प में अधिकतम कीमतें उल्लेख करने के संकल्प में भी उपबंध किया गया है, क्योंकि सट्टेबाजी और कई तरह से पटसन की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि कर दी जाती है जिससे इस उद्योग को बहुत हानि होने की संभावना है ।

इस समय स्थिति यह है कि किसान पटसन को बिना साफ किये या उसका वर्गीकरण किये ही बाजार में बेचने ले जाता है इससे उसे बहुत कम कीमत मिल पाती है हमें चाहिये कि हम किसान को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विभिन्न साधनों द्वारा सहायता करें जिस से कि वे अपनी फसल को अच्छे कीमत में बेचने में सफल हो सकें ।

[श्री हेडा पीठासीन हुए]

पटसन का सट्टा होता है और इस बात को इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन के अध्यक्ष ने स्वीकार किया है किन्तु सरकार ने इस अनुचित बात को रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है ।

यह दावा गलत होगा कि पटसन के बाजार का भविष्य कच्चे पटसन के मूल्यों पर निर्भर है । हमें समग्र स्थिति पर विचार करना है । देश में पटसन की बढ़ती हुई खपत, मजदूरों की बढ़ती हुई उत्पादकता, काम पर लगाये जाने वाले मजदूरों की संख्या कम होना आदि बातों पर भी विचार किया जाना चाहिये । मिल मालिकों को जिस सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देना चाहिये वह यह है कि कम मजूरी पर मजदूर लगाने से उन्हें जो लाभ हुआ है क्या उसका थोड़ा सा ही हिस्सा उपभोक्ता को दिया गया है मिलों ने अपने उत्पादन में परिवर्तन करने के लिये कोई कदम नहीं उठाये हैं और न उन्होंने नये बाजारों में माल खपाने की कोई कोशिश ही की है ।

सरकार ने जूट के लिये नये बाजारों को विकसित करने का प्रयत्न नहीं किया । हम अभी तक उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका और आस्ट्रेलिया पर ही अपनी बिक्री के लिये निर्भर करते हैं । यदि वहां किसी प्रकार की मंदी हो जाये तो हमारा सारा व्यापार समाप्त हो सकता है । इस में सन्देश नहीं कि राज्य व्यापार निगम समाजवादी देशों से पटसन के निर्यात के लिये प्रयत्न कर रहा है । हमें अफ्रीका, मध्य-पूर्व और दक्षिण पूर्वी एशिया में नये बाजारों का विकास करना चाहिये । यह सारा कार्य भारतीय जूट मिल संघ के ऊपर छोड़ दिया गया है ।

मैं अन्त में सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि पटसन से अभी भी देश को काफी आय हो सकती है अतः सरकार को चाहिये कि वह पटसन का निर्यात अपने हाथों में ले लेवे ।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : मैं इस संकल्प का हार्दिक समर्थन करता हूं। इसमें सन्देह नहीं कि एक समय पश्चिम बंगाल की सारी अर्थ व्यवस्था पटसन पर निर्भर थी। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से जूट की खेती के क्षेत्र तथा उसके उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसका क्षेत्र २.६६ लाख एकड़ से बढ़ कर ८.२४ लाख एकड़ हो गया है। और उत्पादन ६.४८ लाख से बढ़ कर २१.७० लाख हो गया है। इससे देश के पटसन की आवश्यकता काफी सीमा तक देश में ही पूरी हो जाती है अवशेष अन्य राज्यों तथा पाकिस्तान से प्राप्त होता है।

फस्ल के समय जूट की कीमतों के कम होने का कारण यह है कि इसकी खरीद फरोख्त जो पहले छोटे छोटे दलाल किया करते थे उनके हाथ से हट कर मिलों के एजेंटों के पास आ गयी है अतः वे अपने हित में फस्ल के समय जूट के दाम में अत्यधिक कम कर देते हैं।

इसका यह परिणाम होता है कि पटसन की कीमतों में कृत्रिम वृद्धि या गिरावट होती रहती है। इससे यह होता है कि वृद्धि के समय वे अपने करघों को बेच कर मजदूरों को खाली कर देते हैं और मन्दी के समय किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है।

"कैपीटल" पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि पटसन में पर्याप्त सट्टेबाजी चल रही है। इसका यह फल हुआ है कि बंगाल के मुख्य मंत्री तक को यह अनुरोध करना पड़ा है कि पटसन की न्यूनतम कीमत निश्चित की जानी चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह अनुरोध किया है कि पटसन की कीमत ४० से ४५रु० निश्चित की जानी चाहिये तथापि हमें स्मरण रखना चाहिये कि नकद फस्लों की कीमतें सदैव खाद्यान्नों की कीमतों के सापेक्षित होती हैं।

मैं उनके इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि पटसन की किस्मों के वर्गीकरण के लिये सरकार को किसानों की सहायता करनी चाहिये।

यह भी दुख का विषय है कि पटसन के उत्पादन में प्रति एकड़ निरन्तर कमी होती जा रही है अतः सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। यद्यपि सरकार ने एक पटसन आयुक्त की नियुक्ति की है तथापि वह अपने अधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थ है। उदाहरणार्थ पटसन आयुक्त की अनुमति के बिना किसी भी पटसन उत्पाद का निर्यात नहीं हो सकता है तथापि जब उनकी अनुमति के बिना कुछ पटसन उत्पाद बन्दरगाह में रखे पाये गये तो उन्हें विवश हो कर उनके निर्यात की अनुमति देनी पड़ी।

हमें चाहिये कि हम पटसन उत्पादकों की सहकारी समितियां संगठित करें ताकि बिचौलियों को समाप्त किया जा सके। किसानों को अच्छे बीज उर्वरक तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं दी जायें।

इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि पटसन की उच्चतम और न्यूनतम कीमतें निश्चित की जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अरविन्द घोषाल]

इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान पश्चिम बंगाल के एक मंत्री द्वारा इंडियन वर्कर में लिखे गये एक लेख की ओर दिलाना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा है कि औद्योगिक प्रगति और समृद्धि के लिये औद्योगिक शान्ति आवश्यक है और औद्योगिक शान्ति तब तक प्राप्त नहीं हो सकती है जब तक कि भारतीय पटसन मिल संघ और संघ मंत्रालय इस कार्य में सहयोग नहीं करें। वस्तुतः कच्चे पटसन की कोई ऐसी कमी नहीं है कि मिलों में काम करने के घंटे घटा दिये जायें और कई करघे बेकार पड़े रहें इसके पीछे मिल मालिकों का एक मात्र उद्देश्य यह है कि पटसन उत्पादकों की कीमतें बढ़ें और इस प्रकार श्रमिकों को उनके उचित पारिश्रमिक से वंचित किया जाता है ।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि मूल्यों के उतार चढ़ाव के प्रभाव को निष्फल बनाने के लिए बड़े स्टाक स्थापित किये जायें। सरकार को मिलों की स्टाक स्थिति पर पूरा नियंत्रण होना चाहिये। सट्टे का दमन होना चाहिये तथा पटसन को विधान के अन्तर्गत स्टाक मार्केट से बाहर लाने की शक्ति होनी चाहिये।

पटसन का व्यापार राज्य व्यापार निगम को अपने हाथों में लेना चाहिए।

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावड़ा) : पटसन का उद्योग हमारे देश का सब से पुराना उद्योग है इससे देश को १२५ से १३० करोड़ रुपये तक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तथापि इस उद्योग को कुछ। एकाधिकारियों के हाथ में छोड़ा हुआ है और सरकार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रही है ।

इस उद्योग की स्थिति यह है कि एक ओर तो नियोजकों को अत्यधिक मुनाफा हो रहा है और दूसरी ओर श्रमिकों की हालत बहुत खराब है। अभी हाल पटसन उद्योग में एक संकट पैदा हो गया था और पटसन मिलों के मालिकों ने यह दिखाने का प्रयत्न किया था कि पटसन की कमी है जब कि बंगाल के मुख्य मंत्री ने पूरी जांच के बाद यह वक्तव्य दिया था कि पटसन की कोई कमी नहीं है। इसका कारण केवल यह था कि मिल मालिक पटसन बोर्ड के कामों में रोड़ा अटका रहे हैं ।

दूसरी ओर यह मिल मालिक इसका प्रयत्न कर रहे हैं कि किसानों को अधिक दाम न मिले इसके लिए यह अभी से षड़यंत्र रच रहे हैं उसका यह फल हुआ है कि पटसन की कीमत गिर कर ६१ रु० प्रति मन से ३० रु० प्रतिमन हो गयी है ।

पटसन की मिलों में मजूरों की छंटनी होती जा रही है। कुछ वर्षों पूर्व इस उद्योग में ३ लाख से अधिक व्यक्ति कार्य करते थे अब केवल २ लाख व्यक्ति काम करते हैं। इनमें से ७०,००० व्यक्ति अस्थायी हैं। मिलें मजदूरों की संख्या घटाने का प्रयत्न कर रही है जिसका यह फल होगा कि देश की बेरोजगारी बढ़ रही है ।

उक्त बातों को देखते हुए सरकार को पटसन मिलों के प्रति कड़ा रुख अख्त्यार करना चाहिये। क्योंकि अभी तक यह उद्योग केवल मुनाफा कमाने का साधन बना हुआ है और इससे न तो पटसन

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उत्पादकों का कोई लाभ हो रहा है और न ही श्रमिकों का। सरकार स्वयं कच्चा पटसन खरीद कर बड़े स्टाक बनाये। वह निर्यात व्यापार पर भी नियंत्रण करे। सरकार इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर भी विचार करना आरम्भ करे।

मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार डर क्यों रही है। क्यूबा एक छोटा सा देश है और कुल ७२ लाख की उसकी जनसंख्या है, वहां सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। सरकार को पटसन उद्योग का तुरन्त राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि यदि उसने समय पर कार्यवाही न की, तो कर्मचारी बड़े जोश में आ चुके हैं। काफी सम्भव है कि वह स्वयं उचित कार्यवाही करने पर उतारू हो जायें। पश्चिमी बंगाल में सारे राज्य भर में एक भारी आन्दोलन की संभावना है जो आम हड़ताल का रूप धारण कर सकती है।

†**श्री अ० चं० गुह** (बरसात) : पटसन की न्यूनतम कीमतें निर्धारित करने का मामला, कई बार संसद् के समक्ष आ चुका है। निवेदन है कि यह सन्देह ठीक तथ्यों पर आधारित नहीं कि यदि पटसन के न्यूनतम मूल्य के न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिये गये तो इसका निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह तो स्पष्ट ही है कि जब कच्चे माल का दाम ६५ रुपये मन तक भी चढ़ गया तो भी यह उद्योग ठोस आधारों पर कायम रहा। मेरा मत तो यह है कि न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों का निर्धारित किया जाना इसलिए भी बड़ा आवश्यक है क्योंकि इसके मूल्यों में काफी उतराव चढ़ाव होता रहता है। और इससे उद्योग पर सामूहिक तौर पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। यह भी है कि यदि इस बारे में किसानों को कोई संरक्षण नहीं दिया गया तो वे अपेक्षित पटसन की मात्रा का उत्पादन नहीं कर पायेंगे। अतः मेरा अनुरोध है कि हमें किसानों के लिए उचित तथा आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद दामों को सुनिश्चित करना चाहिए। उद्योग का हित भी इसी में है।

उद्योग और किसानों के हित को देखते हुए, मैं इस बात पर ज़ोर दूंगा कि सरकार को पटसन के बड़े स्टाक बनाने चाहिएं। क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि यदि इस कार्य को मिलों पर छोड़ा गया तो किसानों को लाभप्रद मूल्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। इस दिशा में यह भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि पटसन तथा चावल के बीच के मूल्यों की समता को पटसन के मूल्य को निश्चित करते समय मापदंड माना जाना चाहिए। इस बारे में एक मेरा यह भी निवेदन है कि सट्टा इस उद्योग का एक और घृणित पहलू है। इसके परिणाम स्वरूप वायदा बाजार उद्योग कार्यवाही करने में असमर्थ रहा है। कलकत्ता में इस रोग का कोई इलाज नहीं हो सका। कच्चे माल से लेकर निर्यात तक सट्टा चलता है। इसके लिए सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि ग्राम्य बाजार दर तथा मिल दर के मूल्य में बहुत भारी अन्तर न रह जाय। सरकार द्वारा इस बात का परीक्षण भी किया जाना चाहिए कि क्या पटसन मिलों में उचित परिव्यय लेखा पद्धति को चालू किया जाय अथवा नहीं। इस मामले की ओर सरकार हमेशा उदासीन रही है।

सारी बातों को देखते हुए मेरी यह धारणा है कि कच्चे पटसन के दामों को निर्धारित करने में सरकार को अधिक विलम्ब नहीं करना चाहिए। इससे किसानों को जूट उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होगा अथवा हो सकता है कि इस दिशा में वे उदासीन हो जायें।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : आज जिस समस्या पर हम चर्चा कर रहे हैं यह बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। उत्पादन की दृष्टि से मेरा मत यह है कि कच्चे पटसन के न्यूनतम मूल्य का

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी]

निर्धारित किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमें इस समस्या पर व्यावहारिक दृष्टि से विचार करना चाहिए। प्रायः देखने में यह आता है कि मिल मालिक पटसन का मूल्य अपने हित निर्धारित करने का यत्न करते हैं। यदि इस प्रकार का मूल्य निर्धारित हो जाता है तो वास्तविक उत्पदकों को काफी हानि पहुंचती है। इसका प्रभाव सामूहिक रूप से जूट-उत्पादन पर होता है।

इस बारे में मेरा मत तो यह है कि सरकार को स्वयं पटसन खरीद लेनी चाहिए। राज्य व्यापार निगम पर यह उत्तरदायित्व डाला जाना चाहिए कि वह पटसन का वितरण मिलों को करे। इसी प्रकार सरकार इससे सम्बन्धित निर्यात व्यापार को भी लाभदायक ढंग से चला सकती है। इससे उद्योग के हित की भी रक्षा होगी और वास्तविक उत्पादकों को भी लाभ होगा।

उड़ीसा में एक बहुत बड़ी कठिनाई इस दिशा में यह है कि वहां पटसन की कोई मिल नहीं है। उड़ीसा की राज्य सरकार ने केन्द्र से उस राज्य में पटसन की मिल चालू करने के लिए सहायता मांगी है। यदि उस राज्य में ऐसी मिल चलाई जा सकती है तो उत्पादक ६ रुपये प्रति मन का और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरकार को इस दिशा में जानकारी देनी चाहिए कि उड़ीसा में पटसन की मिल चालू किये जाने के सम्बन्ध में स्थिति क्या है। अन्त में मेरा अनुरोध है कि पटसन की न्यूनतम दरों को निर्धारित करने की दिशा में सरकार को तुरन्त पग उठाना चाहिए।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : कुछ दिन हुए भारतीय जूट मिल संघ के सभापति ने बताया था कि जूट सम्बन्धी स्थिति काफी अच्छी है और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अतर्गत काफी अच्छी रहेगी। उत्पादकों को अच्छे दाम मिलेंगे और मिलों को अच्छी मात्रा में जूट उपलब्ध हो जायेगी। अब कमी की बात हो रही है। मेरा निवेदन यह है कि यदि पटसन की बाजार में कमी है और इसके परिणाम स्वरूप ही मिलें बन्द हो रही हैं तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कारण है कि आज बाजार में पटसन का कोई खरीददार नहीं यद्यपि पटसन बेचने वाले नयी फसल मंड़ी में ला रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि यह सारी स्थिति इंडियन जूट मिल्ज संघ के स्वयं निर्माण की है ताकि पटसन का बाजार नीचे गिर जाये। क्योंकि किसान में प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं होती। अतः इस परिस्थिति में किसान कम कीमत पर पटसन बेचने के लिये बाध्य हो रहे हैं। बेचारे मजबूर हैं। सरकार को इस स्थिति का कुछ हल निकालना ही होगा।

इस दिशा में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि इस पटसन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दें। यदि आवश्यक हो तो पटसन की खेती बढ़ाई जाये किन्तु यह तभी हो सकता है कि जब कि किसान को समुचित मूल्य के बारे में पूर्ण रूप से विश्वास हो जाये। उसे यह तो पता लग ही जाना चाहिये कि इतना तो उसे मिल ही जायेगा। इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय किसान की उत्पादन की लागत जिसमें फसल बोने से लेकर उसे बाजार में जाने तक का व्यय, तथा उस दिशा में आने वाली कठिनाइयों का ध्यान रखा जाना चाहिये। मूल्यों के सामान्य स्तर का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि भारतीय जूट मिल्स संघ को मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

सरकार द्वारा कुछ नफा देने की भी व्यवस्था की जानी चाहिये और बड़े स्टाक की भी व्यवस्था करनी चाहिये ।

श्री विभूति मिश्र (बगहा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने जो १६ अगस्त, को अपना बयान दिया उसके मुताबिक जूट मिलों का थर्ड क्लोजर होता है और उसके फलस्वरूप १ लाख ८५ हजार मजदूर बेकार हो गये हैं, और इन में से हमारे बिहार के मजदूर एक लाख से ज्यादा हैं। उनके अलावा उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और दूसरी जगहों के थोड़े से मजदूर होंगे।

मैं पूछना चाहता हूं कि इस क्लोजर की क्या जरूरत थी। हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि क्लोजर की जरूरत है। अभी मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं यह जुलाई का जूट का बुलेटिन, जिसमें नन्दा जी ने कहा है कि क्लोजर से बचने की पूरी कोशिश की जायेगी।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अगस्त का महीना है, नई क्राप आ रही है, बरसात भी चारों तरफ अच्छी हो गई है और पानी की वजह से जूट का सड़ाना भी आसान है। ऐसी हालत में मैं नहीं समझ पाया कि थर्ड क्लोजर की जरूरत कैसे पड़ी। हमारे सामने जूट की फसल आ रही है और जूट की कमी नहीं है, फिर कैसे हमको मिलों को बन्द करने की जरूरत पड़ी।

पारसाल देश में ६४.६० लाख जूट की बेल्स की खपत हुई थी। हमारे यहां पारसाल से इस जूट की खेती अच्छी है यह मैं आपको जूट की बुलेटिन पढ़ कर बतलाना चाहता हूं। जुलाई के जूट बुलेटिन के पेज ११५ पर लिखा है :

> "राज्य के प्रतिनिधियों की रिपोर्ट के अनुसार पटसन का उत्पादन बढ़ा है। पश्चिमी बंगाल में २५% बिहार में ५०% आसाम में ३५% और उड़ीसा में ३० प्रतिशत उत्तर प्रदेश में १०० प्रतिशत और त्रिपुरा में ६६ प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है।"

इससे मालूम होता है कि इस साल पारसाल से जूट की खेती अच्छी हुई है। मुझे जहां तक पता चला है पहले एक एकड़ में १५ मन जूट होता था, पर अब ऐसे भी किसान हैं जो एक एकड़ में २०–२२ मन जूट पैदा कर रहे हैं। जब ऐसी स्थिति है तो मेरी समझ में नहीं आता कि थर्ड क्लोजर की क्या जरूरत है। हमारे मंत्री जी ने १६ तारीख को स्टेटमेंट दिया। आज मैंने आर्यावर्त में जो पटना से निकलता है, परसों को पूर्निया का यह समाचार पढ़ा कि कलकत्ता में जूट का भाव ३२ रुपये मन हो गया है। जब कलकत्ता में जूट का भाव ३२ रुपये मन है तो हमको जो उत्तर बिहार में हैं जूट का दाम २२, २३, २४ या २५ रुपये मन से ज्यादा नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जो कीमत पारसाल थी उससे इस साल जूट की कीमत २०–२५ रुपये मन कम हो गयी इसका नतीजा यह हुआ कि किसान बेचारा तबाह हो गया और उसको बड़ी दिक्कत हो रही है।

जूट के सम्बन्ध में जूट इन्क्वायरी कमेटी की सन १९५७ की रिपोर्ट में लिखा है कि सरकार को की कीमत ठीक रखनी चाहिये ताकि आगे चल कर जूट की पैदावार बढ़े। उसमें उन्होंने बतलाया है कि जूट कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिये। उन्होंने पेज ५९ पर कहा है :

> "हम महसूस करते हैं कि पटसन की कोटि तथा उत्पादन बढ़ाने के लिये मूल्यों की समस्या हल करना जरूरी है।"

फिर पैरा ३६ में लिखा है :

> "न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय उत्पादन व्यय कच्चे माल की कीमत और कच्चे और पक्के माल की कीमतों के सम्बन्ध में इन तीन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये।"

[श्री विभूति मिश्र]

इससे पता चलता है कि जूट एनक्वायरी कमेटी की राय है कि सरकार को जूट की कीमतों को ठीक रखने के बारे में ध्यान रखना चाहिये ।

मैं तो धन्यवाद देता हूं बंगाल के भाइयों को कि उन्होंने इस साल जूट के मामले में ऐसा रुख अपनाया है जैसा कि पिछले दस साल में कभी नहीं अपनाया था यही नहीं बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि जूट के कारखाने बन्द नहीं होने चाहिये और जूट की प्राइस फिक्स करनी चाहिये । मैं चाहता हूं कि काटन और शूगर की तरह जूट की भी फ्लोर और सीलिंग प्राइसेज फिक्स की जानी चाहिये ।

हमारे कानूनगो जी उस प्रांत से आते हैं जहां जूट की खेती होती है । वह समझते हैं कि जूट की खेती किस तरह से होती है । अध्यक्ष महोदय, आप चलकर देखें कि इस समय किसान जूट को पानी में सड़ाते हैं और कड़ी धूप में उस जूट को साफ करते हैं, और नतीजा यह होता है कि जो जूट को साफ करते हैं उनको मलेरिया की बीमारी हो जाती है, और केवल उनको ही नहीं सारे गांव को जूट को पानी में सड़ाने के कारण यह बीमारी हो जाती है । रिपोर्ट में लिखा है कि जूट को सड़ाने से जो पानी खराब हो जाता है उसको कैसे साफ किया जाये । खैर यह तो अलग बात है । लेकिन किसान को उचित कीमत नहीं मिलती ।

मैं इसके खिलाफ हूं कि जूट की मिलों को बन्द किया जाये । मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका नतीजा यह हुआ है कि हमारे यहां जूट की कीमत १३–१४ रुपये मन कम हो गयी अभी तो जूट का सीजन है और जूट मिलों को जा रही है । मैं नहीं समझता कि अगस्त के महीने में थर्ड क्लोजर की क्या जरूरत थी । यह तो ऐसी बात हुई कि खाना सामने रखा है लेकिन आप कहें कि खाओ मत ।

कलकत्ते में थोड़े से परिवार हैं जो कि जूट का बिजनेस करते हैं । बंगाल, बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा प्रान्तों, में ही जूट पदा होता है । और जब जूट की फस्ल आती है तो ये परिवार ऐसी तरकीब करते हैं कि उसकी कीमत कम कर दी जाये । उनके इस प्रयत्न का ही यह नतीजा है कि आज हमारे यहां जूट की कीमत १३–१४ रुपये मन कम हो गयी है ।

मैं इस सम्बंध में एक बात यह चाहता हूं कि सरकार रूरकेला और भिलाई के कारखाने चला रही है और इन के अलावा उसने और भी बहुत सी चीजें को जो पब्लिक सेक्टर में लिया है तो मैं समझता हूं कि सरकार इस जूट इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन क्यों न करे । मैं चाहता हूं कि सरकार जूट व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करे और चाहे इसे स्टेट ट्रेडिंग को दे दे । अगर सरकार जूट को डाइरेक्ट परचेज करे तो मेरी समझ में सरकार को ज्यादा पैसा मिलेगा । अब अध्यक्ष महोदय कल आपने कहा था कि कोआपरेटिव्स को बनाया जाये और उनके द्वारा इसको चलाया जाये । यह तो सही बात है कि कोआपरेटिव्स से अगर हम यह काम करेंगे तो हमको कोई ठग नहीं पायेगा लेकिन दिक्कत यह है और आपको भी एक कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता होने के नाते पता होगा कि कोआपरेटिव्स के चलाने में क्या क्या कठिनाइयों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । इससे तो बेहतर यह है कि हमारी सरकार खुद जूट खरीदे और उसको आवश्यकतानुसार छोटे छोटे मिल वालों के हाथ बेच दे । सरकार यदि किसानों से डाइरैक्ट जूट खरीदेगी तो किसानों को संतोष होगा और उनको वाजिब पैसा मिलेगा । इस लिये मैं चाहता हूं कि जूट की खरीद फरोख्त का काम सरकार खुद करे ।

अब मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जूट के बारे में यहां हमारी सरकार क्या कर रही है ? अब सरकार तो यह करती है कि इंडियन जूट मिल्स एसोशियेशन की तरफ से जो फैसला होता है और चूंकि सारे कारखाने कलकत्ते में लगे हुये है इसलिए बंगाल गवर्नमेंट जो वहां से सिफारिश करती है सेंट्रल गवर्नमेंट

उसपर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा देती है। सरकार इसपर ध्यान नहीं देती है कि जूटमें कौन २ लोग हैं और उनको क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। सरकार को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस समय तो सरकार जरूर खयाल करेगी क्योंकि इस मामले में हमारे कम्युनिस्ट भाई, सोशलिस्ट भाई और कांग्रेस वाले सब एकमत हैं और सरकार भी इसको चाहेगी कि हमारे किसान भाई संतुष्ट रहें और उनको उनकी जूट की पैदावार के वाजिब दाम मिले क्योंकि अगले साल आम चुनाव आने वाले हैं।

अभी जूट के दाम ४५ रुपये मन से घट कर ३२ रुपये मन हो गये हैं अर्थात् जूट की कीमत १३ रुपये प्रति मन कम हो गयी है। मैं समझता हूं कि समय आ गया है जब हम लोग सब इस मामले में दिलचस्पी लें और जूट की कीमत को सरकार न गिराये। जूट के दाम गिरने का एक कारण यह हो गया है कि हमारे मंत्री जी ने यह स्टेटमेंट दिया है कि अगस्त के महीने में थर्ड ब्लौक क्लोजर हो और उनके द्वारा इस थर्ड ब्लौक क्लोजर की बात करने से जूट के दाम गिर गये। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और वह यह देखे कि जूट के दाम न गिरें। सरकार को किसानों के हित को ध्यान में रखते हुये जूट के दाम न गिरने देने चाहियें।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बतलाना चाहता हूं कि जिस हैसियन के दाम ४० रुपये होते हैं उस ४० रुपये में से किसान को १८ रुपये मिलते हैं और २२ रुपये हैसियन के बनाने में मिल वाले ले लेते हैं और इस २२ रुपयों में मिल वालों का मुनाफा और खर्चा सब शामिल है। ४० रुपये की जो हैसियन बनती है उसमें १८ रुपये किसान को मिलते हैं और २२ रुपये मिल वालों को मिलते हैं और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किसान को यह १८ रुपये मिलने में बड़ी कठिनाई होती है और वह किसान जो कि स्टेशन से दूरी पर रहते हैं उनको १५ या १६ रुपये ही मिल पाते हैं। अब यह भादों और आश्विन के ऐसे महीने होते हैं जब कि किसान के पास पैसा नहीं होता है और जो हमारे भाई किसान होंगे उनसे यह बात छिपी हुई नहीं होगी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा आदि राज्यों में जो किसान रहते हैं उनके पास पैसे की दिक्कत होती है और होता यह है कि जूट जब उनके पास जमा हो जाता है तो चूंकि उनको पैसा चाहिये जो भी भाव मिलता है उस पर बेच डालते हैं। हमारे थर्ड फाइव इयर प्लान में कहा गया है कि वह इलाके जो पिछड़े हुये कमजोर और गरीब हैं ऐसे पिछड़े इलाकों के लोगों को हमें राहत देनी चाहिये और उनका एकोनामिक अपलिफ्ट करना चाहिये। उन गरीब और पिछड़े इलाके के लोगों को हम इस काबिल बनायें ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसको देखते हुये मैं अपनी सरकार व मंत्री महोदय से कहूंगा कि जूट की कीमत को आप कभी न गिरायें। किसानों की जूट की कीमत गिरने नहीं देनी चाहिये और उनकी मदद करनी चाहिये।

अब हुआ यह कि दो साल पहले जब जूट की कीमत गिर गयी तो किसानों ने जूट बोना कम कर दिया और परिणामस्वरूप जूट की पैदावार कम हुई और चूंकि जूट की मांग ज्यादा हो गयी तो सरकार को पिछले वर्ष पाकिस्तान और बहुत सी जगहों से जूट मंगानी पड़ी और ज्यादा कीमत देनी पड़ी। अब जबकि इस साल जूट की खेती अच्छी हुई और उसकी खेती करने में किसानों ने अपना पैसा और श्रम लगाया है तब आप कहते हैं कि जूट का थर्ड ब्लौक क्लोजर हो। अब आपके इस तरह का स्टेटमेंट देने का नतीजा यह हुआ है कि जूट के दाम कम हो गये। १३ रुपये प्रति मन जूट के दाम कम हो गये हैं। आपने तय कर लिया कि थर्ड ब्लौक क्लोजर अगस्त के महीने में हो जायगा तो उसका लाजिमी नतीजा जूट के दाम गिरना था। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार जूट की कीमत को कभी न गिराये और जूट की सीलिंग और फ्लोर प्राइस को ठीक करे।

[श्री विभूति मिश्र]

२४ अगस्त के स्टेट्समैन अखबार में **आउटलुक इन जूट** नामक आर्टिकल निकला है। अखबार ने उसमें लिखा है कि अगर जूट की प्राइस ठीक कर दी जायगी तो कम्पलीकेशन बढ़ जायगा। अब मैं तो यह चीज साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि यह स्टेट्समैन अखबार पूंजीपतियों का अखबार है और इसलिए उसे गरीब लोगों की कोई फिक्र नहीं होती है और जब भी गरीब लोगों को कुछ राहत देने की बात आती है तो इस अखबार को परेशानी होने लगती है और कहा जाता है कि इससे तो बहुत कम्पलीकेशन बढ़ जायगा। अब मेरा कहना है कि अगर फर्ज कर लीजिये कम्पलीकेशन बढ़ता भी है तो उसके लिए डाक्टर और वैद्य मौजूद हैं। सरकार मौजूद है और वह जरूरत पड़ने पर उस कम्पलीकेशन का इलाज कर सकती है और यह इन्तजाम कर सकती है जिससे कि वह कम्पलीकेशन दूर हो सके लेकिन यह तो कोई बात नहीं हुई कि इसकी आड़ लेकर गरीब किसान को मार दिया जाय। स्टेट्समैन अखबार ने अपने २४ अगस्त के अंक में जो यह लिखा है कि जूट की सीलिंग और फ्लोर प्राइस ठीक करने से कम्पलीकेशन बढ़ जायगा तो यह बिल्कुल गलत बात है और उसने यह चीज इसलिये लिखी है कि वह अखबार पूंजीपतियों का है। पूंजीपति उसको सपोर्ट करते हैं और जाहिर है कि वह गरीबों की क्यों परवाह करने लगा। मैं तो उस अखबार के सम्पादक महोदय को यह कहना चाहूंगा कि तुम हमारी बैलगाड़ी पर लदी हुई जूट जो कि आज पानी में सड़ायी जा रही है उसे चल कर साफ कर दो तो तुम हमें १० रुपये मन से ही जूट के दाम दे दो। सम्पादक महोदय अगर इसका करने का जिम्मा लें तो उन्हें मालूम हो जायगा कि जूट को साफ करने में कितनी कठिनाई पेश आहै और तब वे शायद ऐसा न लिखेंगे।

मैं अपने मंत्री जी से यही कहूंगा कि आप ऐसी कोई बात न करें जिससे कि गरीब किसानों का नुकसान हो। मुझे तो उनसे यही कहना है कि सरकार जूट की कीमत को कभी न घटाये, उसकी सीलिंग और फ्लोर प्राइस ठीक करे और जूट के कारखाने कभी बन्द न हों।

मैं एक बात और बतलाना चाहता हूं और वह यह है कि मेरे पूर्णिया जिले में एक जूट फैक्टरी है। आज से दो साल पहले जूट के मालिकों ने अपनी फैक्टरी बन्द कर दी। कलकत्ते के जूट वालों ने कहा कि भाई तुम अपना जूट का कारखाना बन्द कर दो और हमें वहां से सस्ते दाम पर जूट लेने दो और तुम्हारा जो कुछ घाटा होगा वह हम लोग तुम्हारा पूरा कर देंगे। इस पर मैंने शास्त्री जी से सवाल किया तो शास्त्री जी ने कहा कि वहां पर सरकार कोआपरेटिव्स से जूट खरीदने का इन्तजाम कर रही है। सरकार ने उनके जरिये वहां जूट खरीदी और किसानों को २ रुपये मन अधिक जूट के दाम मिले।

अन्त में मैं और अधिक न कहते हुए आपकी मार्फत सरकार से पुनः इस बात के लिये अनुरोध करूंगा कि वह जूट की कीमत कभी न घटाये। जूट की सीलिंग और फ्लोर प्राइस ठीक करे और जूट के व्यवसाय में ऊपर सरकार विशेष ध्यान दे और दिलचस्पी ले।

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं इन दोनों प्रस्तावों के प्रस्तावक, श्री इन्द्रजीत गुप्त का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे उनके उत्तर में कुछ कहने का अवसर दिया। उनका भाषण इतना संयत और तर्कपूर्ण था कि उस समय तो मुझे ऐसे लगा जैसे उनके गम्भीर आरोपों में काफी सार हो। कुल मिलाकर उनके भाषण में परिस्थिति का बड़ा सुन्दर विश्लेषण था। उसमें केवल कुछ ही खामियां थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं जूट के इस प्रश्न के तीन भाग करता हूं, कच्चे जूट के लिये न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों का निर्धारण, जून-जुलाई में दो बार मिल-बन्दी और अगस्त की प्रस्तावित मिल-बन्दी । श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जूट की जो परिस्थिति बताई है, वह एक मोटे तौर पर काफी सही है । लेकिन आज सबसे बड़ी सचाई यह है कि जूट की आन्तरिक खपत में वृद्धि के बावजूद, अधिकांश जूट-उत्पाद निर्यात किये जाते हैं । आज देश के विभाजन के बाद, जूट-निर्यात व्यापार पर हमारा एकाधिकार तो नहीं रहा । हमें इसमें दूसरों के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है । इसलिये उसकी मांग और सम्भरण के बारे में ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है ।

१९५५में पाकिस्तान ५,४३३,००० टन जूट निर्यात करता था, जो १९६० में १८,७८,००० टन तक बढ़ गया है । पाकिस्तान का जूट किस्म में हमारे यहां के जूट से अच्छा है, इसलिये उसे सुविधा प्राप्त है । यूरोप में इटली, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन भी जूट-निर्माण करने लगे हैं । इधर थाईलैण्ड, बरमा इत्यादि भी कच्चा जूट पैदा करने लगे हैं । हमें उनके साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है ।

जूट के कच्चे और तैयार माल दोनों ही के लिये हमें संसार भर की मांग और सम्भरण को देख कर चलना पड़ता है । अब यदि मान लीजिये कि हमारे यहां ७० लाख गांठ जूट तक भी पैदा हो जाये, तो इतनी पैदावार के बाद भी, हमें उसके तैयार माल के निर्माण के लिये कुछ खास किस्म का जूट और जूट की कतरन पाकिस्तान से मंगानी पड़ेगी । आशा है कि कुछ दिनों में हमारे यहां और अच्छे किस्म का जूट पैदा होने लगेगा । उत्तर प्रदेश ने इस क्षेत्र में पिछले पांच साल में बड़ी तरक्की की है । उड़ीसा ने भी थोड़ी तरक्की की है । आश्चर्य है कि पश्चिमी बंगाल में उतनी तरक्की क्यों नहीं हो पाती ।

हमारी कच्चे जूट की न्यूनतम आवश्यकता ७० लाख गांठें होगी । लेकिन दो साल तक लगातार हमारी फसल खराब रही है । कृषीय उत्पादों की सुलभता में सबसे बड़ी बात मौसिम की होती है । हर साल हम यही अनुभव करते हैं ।

१९५९–६०मे जूट की फसल ५७ लाख गांठें थी, और १९६०–६१ में ५२ लाख गांठें । लगातार दो वर्ष तक फसल खराब रहने से १९६०–६१ में हमें पिछले वर्ष से लगभग कोई भी शेष स्टाक नहीं मिला । पहले तो कभी कभी १० से १६ लाख गांठें पिछले वर्ष की बची रहती थीं, लेकिन इस वर्ष केवल १ लाख गांठें ही बचीं । इसका प्रभाव मूल्यों के निर्धारण पर भी पड़ता है ।

इसीलिये जूट की कमी पड़ी और उसके लिये चारों ओर से भाग-दौड़ शुरू हो गई । सट्टा बाजार गरम हो गया । मैं चाहता हूं कि सभा स्वयं महसूस करे कि १९६० के सितम्बर से आज तक जूट की क्या परिस्थिति रही है । हमने जिस ओर कदम उठाया, उससे अच्छा कोई मार्ग ही नहीं था ।

सट्टे की बात बिल्कुल सही है । लेकिन मेरा ख्याल है कि वायदा बाजार आयोग ने तुरन्त कार्यवाही की थी । और, भारतीय जूट मिल्स संस्था इतनी ताकतवर नहीं, जितनी कि कई माननीय सदस्य उसे समझते हैं । सभी मिलें इतनी तत्परता से उसका आदेश नहीं मानतीं ।

मैं तो कहता हूं कि वह मिलों को नियन्त्रित तक नहीं रख पाती । यदि नियन्त्रित कर पाती तो कहीं अच्छा होता । इसलिये यह आरोप सही नहीं कि वह संस्था इतनी अधिक शक्तिशाली है कि सरकार उसके हाथ का खिलौना बन गई है ।

श्री गुप्त ने कहा है कि किसी वस्तु विशेष का न्यूनतम मुल्य निर्धारित करने की सैद्धान्तिक आवश्यकता के बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं । लेकिन सवाल है कि मूल्य निर्धारण करने की व्यवस्था क्या की जाये । हम इस विषय पर १९५१ से ही, जूट समिति के प्रतिवेदन मिलने के बाद से ही, विचार करते रहे हैं । सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि न्यूनतम मूल्य कितना हो, यह कैसे निर्धारित किया जाये ।

[श्री कानूनगो]

हमने रुई का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निर्धारित किया था, पर पिछले वर्ष भर अधिकतम मूल्य बनाये रखना कठिन रहा है। कुछ क्षेत्रों में तो न्यूनतम मूल्य बनाये रखने के लिये कोई कोशिश ही नहीं करनी पड़ती ।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, काटन की सीलिंग प्राइस से कभी भी किसी किसान को ज्यादा नहीं मिला, जब मिली नीचे की प्राइस मिली ।

†**श्री कानूनगो** : हमें रुई के मामले में राशन करना पड़ा। हमें काफी आयात करना पड़ा और मिलो को एक खास किस्म की रुई एक खास मूल्य पर खरीदने के लिये बाध्य करना पड़ा ।

मैं इसके अधिक ब्यौरे में नहीं पड़ना चाहता। आज रुई-उत्पादकों का संगठन इतना शक्तिशाली जरूर है। कि वह बाजार के मूल्यों पर प्रभाव डाल सकता है। चूंकि रुई की अधिक खपत देश के अन्दर होती है, इसलिये रुई के मूल्य विनयमित करना अधिक आसान है। जूट के मूल्य के बारे में यह बात नहीं। मैं श्री गुप्त की इस बात से सहमत नहीं कि निर्यात मूल्य के आधार पर न्यूनतम मूल्य निकाला जाये, क्योंकि निर्यात मूल्य अनिश्चित रहता है। उत्पादन की लागत को आधार बनाना खतरनाक होगा। कृषीय उत्पादों की लागत निकालना हर कहीं बड़ा टेढ़ा काम होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम उसके लिये प्रयास ही न करें। १९५७ में जूट जांच आयोग ने भी महसूस किया था कि जब १०० गज का मूल्य ४४ से ४६ रुपये तक था, तब कच्चे जूट का मूल्य २४ से २६ रुपये तक था ।

कई कारणों से जूट के क्षेत्र में राशन की व्यवस्था नहीं चल पाती। श्रीर गप्त और श्री कार नेबार-बार कहा है कि जब कच्चे जूट का मूल्य ३२ रुपये हो, तो फिर जूट की कमी महसूस करने की क्या आवश्यकता ।

†**श्री प्रभात कार** : मैंने कहा था कि खरीदार खरीद नहीं रहे हैं ।

†**श्री कानूनगो** : श्री कार का कथन था कि कच्चे जूट की पर्याप्त मात्रा मौजूद है, लेकिन खरीददार उसे बाजार में नहीं आने देते ।

मुझे इससे मतभेद है। मेरे पास इस सम्बन्ध में आंकड़े मौजूद हैं। ५ अगस्त, १९६१ को काशीपुर और शाम बाजार में क्रमशः ३,४०० मन और ३७,३०० मन, और उसके एक सप्ताह बाद ११ अगस्त को ४,८०० मन जूट आया था। वहां कुल स्टॉक ३८,२०० मन है।

जबकि मिलों के लिये रोजाना ६३,०० टन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिये स्थिति यह थी कि माल किसी भी कीमत पर सुलभ नहीं था। आज के स्टॉक की स्थिति को देखते हुए मैं तो नहीं समझता कि कमी है। इसीलिये भारत सरकार और पश्चिमी बंगाल सरकार ने अगस्त में मिलबन्दी करने का भारतीय जूट मिल्स संस्था का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है ।

श्री गुप्त का यह कथन सही नहीं कि भारतीय जूट मिल्स संस्था ने अपनी सदस्य-मिलों को काम के घण्टे कम करने या करघे बन्द करने के अनुदेश जारी किये थे। पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने लिखा है कि ऐसे कोई भी अनुदेश जारी नहीं किये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मैंने यह तो नहीं कहा कि ऐसे अनुदेश हैं। मैंने यह कहा था कि सरकार द्वारा उसका प्रस्ताव ठुकराये जाने के बाद, उसने मिलों को मनमानी करने की छूट दे दी है।

†**श्री कानूनगो :** यह पश्चिमी बंगाल सरकार के परामर्श से किया गया था।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** केन्द्रीय सरकार के नहीं ?

†**श्री कानूनगो :** जी, नहीं।

†**श्री अ० चं० गुह :** मेरा ख्याल है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने मिलें बन्द करने की अनुमतिनहीं दी थी।

†**श्री कानूनगो :** अनुमति का प्रश्न ही नहींउठता। दो ही मार्ग थे। या तो पश्चिमी बंगाल सरकार भारतीय जूट मिल्स संस्था का क्रमिक रूप से सामूहिक मिलबन्दी का प्रस्ताव मान लेती, या फिर माल न होने पर व्यक्तिगत मिलों को बन्द करने की बात मानती।

†**श्री अ० चं० गुह :** पश्चिमी बंगाल के श्रम मंत्री ने इसके विरुद्ध वक्तव्य दिया था।

†**श्री कानूनगो :** वक्तव्य की बात मुझे मालूम नहीं। पश्चिमी बंगाल सरकार ने मुझ यही सूचना दी है। और जब स्टॉक ही न हो, तो कोई मिल कैसे चल सकती है ?

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** दूसरी मिलों से उधार लेकर।

†**श्री कानूनगो :** लेकिन स्पष्ट है कि किसी के पास पर्याप्त स्टॉक नहीं है।१२ प्रतिशत करघे बन्द करने वाली किसी भी मिल के पास एक पाली तक के लिये पूरा स्टॉक नहीं था।

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन १० मार्च, १९६१ को आदेश निकलने के बाद, जूट आयुक्त को स्टॉक की स्थिति के विवरण मिलते रहे हैं और उन्होंने उनकी जांच की है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : अब क्या स्थिति है ?क्या भारतीय जूट मिल्स संस्था ने मिल-बन्दी न करने की बात मान ली है ?

†**श्री कानूनगो :** अगस्त का महीना तो अब खत्म ही हो रहा है। पश्चिमी बंगाल सरकार और भारत सरकार ने उसका प्रस्ताव नहीं माना था, इसलिये अब तालेबन्दी का कोई प्रश्न ही नहीं। उसके फलस्वरूप व्यक्तिगत मिलों को बन्द होना या काम के घण्टे कम करने पड़े थे। उससे जो नुकसान होना था, वह तो हो ही चुका। यदि संस्था अधिक शक्तिशाली होती तो वह सभी मिलों को अपने साथ लेकर चल सकती थी, और वह सभी के लिये अच्छा होता। संगठित उद्योग तो एक बड़ी आवश्यकता है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** इसका मतलब है कि सरकार ने संस्था को ग़लत राय दी। सरकार को उसका प्रस्ताव मान लेना चाहिये था।

†**श्री कानूनगो :** नहीं, मेरा यह मतलब नहीं। सामूहिक मिल-बन्दी का कोई औचित्य नहीं था। और खास तौर से अगस्त में तो बिलकुल नहीं था। पश्चिमी बंगाल सरकार और भारत सरकार से परामर्श करने के बाद यही निष्कर्ष निकाला गया था। इसलिये इस संकल्प के बारे में मुझे केवल इतना कहना है कि मैं प्रस्तावक के उद्देश्य से सहमत हूं कि निर्धारित मूल्य एक एक

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री कानूनगो]

बड़ी वांछनीय चीज़ है। लेकिन यह तो निर्णय करना पड़ेगा कि उसे निर्धारित कैसे किया जाय और फिर लागू कैसे किया जाये। हो सकता है कि शायद सरकार कुछ स्टॉक अपने हाथ में लेकर न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने में सफल हो जायें। रुई के क्षेत्र में यह प्रयोग सफल रहा है। सरकार इस पर विचार कर रही है। हम ने अभी तक कोई भी निर्णय इसलिये नहीं किया कि पश्चिमी बंगाल सरकार से अभी परामर्श करना है।

मैं अपना यह दोष स्वीकार करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जूट मिल-बन्दी की बात मानने से पहले, मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से परामर्श नहीं किया था। हमें बड़ी शीघ्रता से निर्णय करना पड़ा था।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के सिलसिले में उससे परामर्श किया जायेगा ?

†**श्री कानूनगो** : मेरा खयाल है कि किया जायेगा। मैं ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जूट का उत्पादन बहुत ही कम है।

इसकी सब से अधिक चिन्ता तो पश्चिमी बंगाल सरकार को है। इस व्यापार का भारत के संसाधनों के लिये बड़ा महत्व है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि निर्माण प्रक्रिया की ठीक-ठीक लागत कूती जानी चाहिये। पिछले तीन-चार वर्षों में कम से कम कुछ जूट मिलों ने लागत-लेखे की व्यवस्था की है। और, अब हमें काफी जानकारी हो गई है, जिसके आधार पर लागत-लेखे का काम हाथ में लिया जा सकता है।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या सरकारी लागत-लेखापाल उनके लेखों की जांच करेंगे ?

†**श्री कानूनगो** : अवश्य; अवसर आने पर। प्रशुल्क आयोग उसके लिये पूरी तौर पर तैयार है।

†**श्री इंद्रजीत गुप्त** : क्या सरकार को जूट मिल की प्रति टन उत्पादन-लागत के बारे में कोई जानकारी है ? क्या आप ने उसकी जांच कराई है ? मुझे तो यह बताया गया है कि पिछले सौ साल में भी कोई उसका पता नहीं लगा सका।

†**श्री कानूनगो** : स्वाभाविक है। प्रतियोगी लोग आपस में एक-दूसरे को अपने राज नहीं बताते। मेरे पास उसकी पूरी तो नहीं, हां, कुछ जानकारी अवश्य है। मैंने स्वयं कई संस्थानों का लागत-लेखा तैयार कराया है।

कुछ संस्थान इसमें हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। वैसे उनका अपना अधिकार है कि वे चाहें तो सरकार को पर्यवेक्षण न करने दें। प्रशुल्क आयोग के नियमों के अनुसार, वे कोई सूचना देने से मना कर सकते हैं।

इसलिये जूट का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने में कई कठिनाई हैं। सैद्धान्तिक रूप से उसे स्वीकार करने के बाद भी, हमें उस पर बड़ी गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। अभी मुझे मूल्यों में बड़ी गिरावट आने का कोई बड़ा खतरा दिखाई नहीं देता। हमें पूरी स्थिति मालूम है।

†मूल अंग्रेज़ी में

मुझे खेद है कि इस संकल्प से सम्बन्धित वाद-विवाद और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा के पीछे कुछ राजनीतिक उद्देश्य है, जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त और कई अन्य सदस्यों ने स्वीकार किया है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : बात बिल्कुल उल्टी है ।

†**श्री प्रभात कार** : यह तो नहीं कहा गया कि इस चर्चा के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य है। हा, डा० बी० सी० राय के वक्तव्य के सम्बन्ध में कुछ बातें कही गई थीं ।

†**श्री कानूनगो** : मैं प्रभात कार और श्री इन्द्रजीत गुप्त की भांति तर्क की बारीकियों में तो नहीं जा सकता, लेकिन श्री गुह ने भी यह बात स्वीकार की थी ।

श्री विभूति मिश्र : एक बात मैं जानना चाहता हूं । ५० रु० से ३२ रु० इस समय जूट की कीमत हो गई है। जूट की कीमत गिरती जा रही है । इसके लिये सरकार की तरफ से क्या इन्तजाम किया जा रहा है ?

†**श्री कानूनगो** : मैं अभी बता चुका हूं कि हम मूल्यों में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आने देंगे। लेकिन न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निर्धारित करने से पहले काफी सोच-विचार कर लेना पड़ेगा। आशा है कि सभा भी यही चाहेगी कि मूल्यों का निर्धारण स्वतंत्र रूप से किया जाय, आगामी चुनावों की दृष्टि से नहीं ।

मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपने संकल्प पर आग्रह न करें ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इतनी सारी चर्चा के बाद भी मैं यह नहीं समझ सका कि सरकार इस सम्बन्ध में करने क्या जा रही है। माननीय मंत्री ने जूट-उत्पादकों की कठिनाइयों और उनके कष्टों के सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा।

बस उन्होंने इतना कहा है कि पिछले दो साल से जूट की फसल खराब रही है--५७ लाख और ५२ लाख गाठें। उन्होंने हमें विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि सरकार ने कोई कार्य-वाही की थी, लेकिन यह नहीं बताया कि १९५८-५९ में जब फसल केवल ६६ लाख गांठें ही थी, सरकार ने क्या कार्यवाही की थी ?

†**श्री कानूनगो** : मैं तो समझता था कि सभी जानते हैं। उस समय श्री इन्द्रजीत गुप्त यहां नहीं थे जब मैं ने इसका उत्तर दिया था। वह सभा के वाद-विवाद के रिकार्ड में मौजूद है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं ।

पाकिस्तान के साथ प्रतियोगिता का प्रश्न उठाया गया है। यह भी कहा गया है कि पाकिस्तानी उद्योग अधिक सुविधाजनक स्थिति में है। यही तर्क तो भारतीय जूट मिल्स संस्था रखती है। इस तर्क में बड़ा नमक मिर्च मिलाया जाता है। प्रतियोगिता तो बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन यह बात क्यों छिपाई जाती है कि भारतीय जूट उद्योग को जो सुविधा प्राप्त हैं, उससे पाकिस्तानी उद्योग वंचित है।

पाकिस्तानी जूट उद्योग तो अभी कुछ ही साल पहले, देश के विभाजन के बाद शुरू हुआ है। पाकिस्तानी जूट मिलों की पूंजीगत लागत भारतीय जूट मिलों की लागत से कहीं अधिक पड़ती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

हमारे यहां प्रति करघा ६,२८५ रु० और वहां २७,००० रु० पड़ते हैं। भारतीय जूट मिल्स संस्था जैसी ही पाकिस्तानी संस्था के उप-सभापति श्री जलील ने य आंकड़ पेश किय हैं।

पाकिस्तान में अवक्षयण लागत प्रति टन १०८ रु० पड़ती है, जबकि भारत में वह २१ रुपये प्रति टन है। पाकिस्तान में श्रमिकों पर लगने वाली लागत भी प्रति टन ७० रुपये अधिक पड़ती है। भारत में हर करघे पर तीन व्यक्ति का और पाकिस्तान में साढ़े तीन व्यक्तियों का० औसत बैठता है।

इसलिये पाकिस्तान को कुछ असुविधायें भी हैं। और फिर भारत की तरह पाकिस्तानी उद्योग अभी इतना विकसित नहीं है कि मिल स्टोर्स का निर्माण कर सके। पाकिस्तान मजदूर भी अभी भारतीय जूट मजदूरों की तरह पर्याप्त अनुभवी नहीं बन पाये हैं।

इसलिये यह कहना हलत है कि हम पाकिस्तान के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकते। यदि हमारी जूट मिलें अपने उत्पादन को विविध बनायें और अपने बाजारों को फैलायें और निर्यात-व्यापार का ठीक-ठीक विनियमन करें, तो उन से कहीं आगें बढ़ सकते हैं।

माननीय मंत्री के भाषण से मुझ बिलकुल भी सन्तोष नहीं हुआ है। मेरा अनुरोध है कि सभामेरा संकल्प स्वीकार करे। मैं इसे वापस नहीं लेता।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि सभा की यह राय है कि कच्चे पटसन के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य संविहित रूप से निश्चित किये जायें और लागू किये जायें :"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अशदायी स्वास्थय-सेवा योजना के बारे में संकल्प

†**डा० क० ब० मेनन** (बडागरा) : यह अवसर प्रदान करने के लिये मैं आप का आभारी हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "इस सभा की यह राय है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा उनके परिवारजनों को उपलब्ध अंशदायी स्वास्थ्य-सेवा योजना अन्य नगरों में जारी की जाय।"

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

श्री करांजिया को जारी किये गयें समन के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : 'ब्लिट्ज़' के सम्पादक और सम्वाददाता के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित करने के बाद से मैं सभा को इस की प्रगति के बारे में सूचित करता रहा हूं। मैंने बताया था कि सभा की ओर से उन के नाम समन

†मूल अंग्रेंजी में

जारी किया गया था और उसके उत्तर में उन्होंने एक तार मुझे भेजा था। उस तार में जिस पत्र का जिक्र आया है, अब वह मुझे मिल गया है। उस पत्र में श्री करांजिया ने कहा है कि वह इस मामले के बारे में उच्चतम न्यायालय के सामने जाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश **सर्चलाइट** के मामले के निर्णय पर पुनर्विचार करें। इसके लिये उन्हों ने पन्द्रह दिन की मोहलत मांगी है। मैं यह सभा की सूचना के लिये बता रहा हूं। मैं इसके बारे में सभा की राय जानना चाहता हूं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): उस पत्र को अभी सदस्यों में परिचालित कर दिया जाय जिससे कि हम कल या परसों उस पर अपनी राय दे सकें।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने वह पढ़ कर सुना दिया है। छोटा सा पत्र है। वह सभा के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सभा की भर्त्सना सुनने के लिये बुलाये गये हैं, लेकिन वह समय बढ़ाने का अनुरोध कर रहे हैं।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : २९ के बाद एक पखवारे का मतलब है कि तब तक सत्र नहीं रहेगा।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम) : श्री करांजिया को उनके इस अनुरोध का कुछ उत्तर तो दिया ही जायेगा। अब तो सभा की बैठक सोमवार, २८ अगस्त को ही होगी। और २९ को श्री करांजिया को उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी जानते हैं कि श्री करांजिया बीमार नहीं हैं। समय बढ़ाने की मांग का यह मतलब तो नहीं कि वह मान ही ली जायगी। यदि सभा उन को और समय देने का निर्णय करे तो ठीक है, लेकिन यदि सभा उनका अनुरोध स्वीकार नहीं करती तो उनको २९ को उपस्थित होना ही चाहिये। उन्हें यहां उपस्थित रहना चाहिये। यदि सभा उनका अनुरोध मंजूर न करे, तो यहां आ जाना चाहिये। इस पर सोमवार को विचार किया जायेगा।

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा): एक और अविलम्बनीय बात है। हमें सूचना मिली है कि श्री करांजिया ने उच्चतम न्यायालय में एक लिखित याचिका पेश की है कि **सर्चलाइट** के मामले में किये गये निर्णय पर फिर से विचार किया जाये। उच्चतम न्यायालय शायद सोमवार को उस पर विचार करेगा। सभा और अध्यक्ष की ओर से हमारे मामले की पैरवी करने के लिये भी कोई वहां रहना चाहिये।

मैंने याचिका की प्रति देख कर यही समझा है कि श्री करांजिया चाहते हैं कि सभा के निर्णय को रद्द करा दिया जाये। इसलिये हमारी ओर से कोई वकील वहां होना चाहिये। इसलिये मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूं।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : हमें उच्चतम न्यायालय के समन की राह तो देखनी चाहिये।

†**सरदार हुक्म सिंह** : हमें पक्की तौर से मालूम है कि उच्चतम न्यायालय इस पर सोमवार को विचार करेगा। इसलिये राह देखने से कोई फायदा नहीं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : आप को मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय याद होगा। उस में अध्यक्ष को न्यायालय ने बुलाया था। लेकिन यहां तो उच्चतम न्यायालय ने किसी को भी नहीं बुलाया है। फिर अनधिकृत सूचना के आधार पर हम कोई प्रस्ताव कैसे पारित कर सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने पत्र आप को पढ़ कर सुना दिया है। उसमें इसका स्पष्ट उल्लेख है। स्पष्ट है कि २३ या २४ को वह लिखित याचिका पेश कर रहे हैं। हमें सूचना मिल गई है कि याचिका पेश की जा चुकी है। सोमवार को उस पर एक पक्ष की उपस्थिति में विचार होगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा ख्याल है कि उस समय महान्यायवादी वहां होंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं उस में एक फरीक हूं। और जब मुझे निश्चित तौर पर मालूम है कि याचिका पेश हो गई है, विधि मंत्री ने मुझे सूचित किया है, तब इस में सन्देह की क्या गुंजाइश है? क्या हमें एक ही पक्ष की उपस्थिति में उस पर विचार होने देना चाहिये? बात स्पष्ट है कि श्री करांजिया घुमा फिरा कर हमारे निर्णय को गलत सिद्ध कराना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हमारा निर्णय जिस **सर्चलाइट** के मामले पर आधारित था उसी को ग़लत घोषित करा दें।

समिति ने उसे बहुमत से पारित किया था। हमें एकपक्षीय निर्णय नहीं होने देना चाहिये।

एक माननीय सदस्य ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक मामले का हवाला दिया था। वह इस से बिलकुल ही भिन्न है।

उच्चतम न्यायालय देश की सब से बड़ी न्यायपालिका है और मैं इस सभा और न्यायपालिका में कोई विरोधाभास पैदा नहीं होने दूंगा। मुझे उसके सामने उपस्थित होने में कोई आपत्ति नहीं।

अब केवल यही प्रश्न विचारणीय है कि मैं क्या किसी वकील के जरिये अपना प्रतिनिधित्व कराऊं? महा-न्यायवादी अपनी ओर से तो मेरी पैरवी नहीं कर सकते। मुझे ही उनको इसके लिये प्राधिकृत करना पड़ेगा।

मैं यहां दिल्ली में चौबीसों घंटे मौजूद रहता हूं, इसलिये एकपक्षीय निर्णय होने देने की कोई आवश्यकता ही नहीं। १०–५ घंटे में नोटिस दिया जा सकता है। यदि नोटिस आ गया होता तो मैं पहले ही प्रस्ताव रख देता। लेकिन हमें पक्की तौर पर मालूम हो गया है।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : हो सकता है कि श्री करांजिया का प्रार्थना-पत्र पहले ही दिन अस्वीकृत कर दिया जाये। तब इस सबकी आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम उसकी अनुमति मिलने तक चुप क्यों बैठे रहें? हमें इसके लिये एक अपना वकील वहां भेजना चाहिये। महान्यायवादी को हमारा प्रतिनिधित्व करने दिया जाये। मैं उपाध्यक्ष महोदय को अपना प्रस्ताव करने की अनुमति देता हूं।

†**सरदार हुक्म सिंह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि महा-न्यायवादी को हिदायत की जाय कि वह इस सभा को ११ अगस्त, १९६१ को प्रस्तुत किये गये विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन पर, इस सभा द्वारा १९ अगस्त, १९६१ को किये गये निर्णयों के विरुद्ध श्री आर० के० करांजिया

---

†मूल अंग्रेज़ी में

और श्री ए० राघवन द्वारा उच्चतम न्यायालय में दी गई लेख-याचिका के विषय में लोक-सभा के अध्यक्ष, सचिव और अवर सचिव की ओर से उपस्थिति और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करें ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि महा-न्यायवादी को हिदायत की जाय कि वह इस सभा को ११ अगस्त, १९६१ को प्रस्तुत किये गये विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन पर, इस सभा द्वारा १९ अगस्त, १९६१ को किये गये निर्णयों के विरुद्ध श्री आर० के० करांजिया और श्री ए० राघवन द्वारा उच्चतम न्यायालय में दी गई लेख-याचिका के विषय में लोक-सभा के अध्यक्ष, सचिव और अवर सचिव की ओर से उपस्थिति और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी कार्यवाही करूंगा ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २८ अगस्त, १९६१/६ भाद्र, १८८३ शक को ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विषय — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २३९७–२४२०

तारांकित
प्रश्न संख्या

९२४ सूरत में तेल की प्राप्ति २३९७-९८

९२५ सरकारी उपक्रमों के लिए लोक सेवा आयोग . . २३९९–२४०१

९२६ प्रादेशिक सेना पदाधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन . २४०१–०२

९२७ आयुध कारखानों में किसानों की मोटरगाड़ी का तैयार किया जाना २४०२–०३

९२८ केन्द्रीय आयुध डिपो (सी० ओ० डी०), छेवकी . २४०३–०४

९२९ दो सदस्यों वाले निर्वाचन-क्षेत्रों का दो हिस्सों में विभाजन . २४०५–०९

९३० जीवन बीमा निगम के बीमा कराये हुए लोगों को लाभांश २४०९–१३

९३१ सोने के निक्षेप २४१३–१४

९३२ खनिज उद्योग २४१४–१५

९३३ शिक्षा में बरबादी २४१५–१७

९३४ कोयला परिषद् २४१७–१८

९३५ लुब्रिकेटिंग तेलों का उत्पादन २४१८–२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर २४२०–२५०२

तारांकित
प्रश्न संख्या

९३६ योगासनों का चिकित्सा की दृष्टि से महत्व . . २४२०

९३७ जामिया मिलिया इस्लामिया और गुरुकुल कांगड़ी आदि को संविहित मान्यता २४२०

९३८ सशस्त्र सैनिक बल मुख्यालय में सुपरिन्टेन्डेन्टों और आफिसर सुपरवाइजरों के कार्य . २४२०–२१

९३९ जम्मू और काश्मीर के संसद् सदस्य २४२१

९४० खनिजों की खोज के लिए पुरस्कार . २४२१–२२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

६४१	भारतीय पेट्रोलियम संस्था, देहरादून . .	२४२२
६४२	व्यायाम शिक्षा तथा युवक कल्याण संबंधी समन्वय समिति	२४२२–२३
६४३	नान-कोकिंग कोयले की धुलाई के कारखाने .	२४२३
६४४	पश्चिम बंगाल में खनिजों की खोज	२३२३
६४५	पुनर्वित्त निगम .	२४२३–२४
६४६	दिल्ली में सोना पकड़ा जाना . . .	२४२४
६४७	विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पत्रव्यवहार शिक्षाक्रम . .	२४२४–२५
६४८	इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिए श्रीलंका को सहायता	२४२५
६४९	टेप-रेकार्डरों का निर्माण	२४२५–२६
६५०	कांगों में भारतीय विमान बल की टुकड़ी . .	२४२६–२७
६५१	राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवास संबंधी निर्बंधन	२४२७
६५२	सिक्किम में तांबें की खानें	२४२७–२८
६५३	केरल में प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क भोजन के लिए 'केअर' के साथ करार	२४२८
६५४	नागाओं की हिरासत में भारतीय विमान बल के पदाधिकारियों के आश्रितों को भत्ता . .	२४२८
६५५	बाढ़ग्रस्त राज्यों को सैनिक सहायता .	२४२९
६५६	रूरकेला इस्पात कारखाने के मज़दूरों द्वारा प्रदर्शन .	२४२९–३०
६५७	अतिवयस्क पदाधिकारी .	२४३०
६५८	प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण सुविधायें	२४३०
६५९	दुर्गापुर इस्पात परियोजना	२४३०
६६०	अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां . . .	२४३१
६६१	संघ राज्य-क्षेत्रों में प्रशासन व्यवस्था . .	२४३१–३२
६६२	जीवन बीमा निगम की प्रीमियम दर .	२४३२
६६३	नये विश्वविद्यालयों की स्थापना . . .	२४३२
६६४	खम्भात प्रदेश में तेल शोधक कारखाना .	२४३३
६६५	पवन शक्ति विभाग	२४३३–३४
६६६	इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसन्धान सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट	२४३४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश :		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
९६७	उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का भूकम्पीय सर्वेक्षण	२४३४
९६८	भारत के रक्षित बैंक द्वारा 'रीडिस्काउंटिंग' की सुविधायें	२४३४–३५
९६९	आयुध कारखाना, कानपुर	२४३५
९७०	मनीपुर के लिए पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम	२४३५
९७१	रूरकेला इस्पात कारखाने में आत्महत्या	२४३६
९७२	निर्वाचक नामावलियों का उर्दू में छपना	२४३६
९७३	दिल्ली छावनी में स्कूलों के लिए भूमि	२४३७
९७४	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग	२४३७
९७५	अदालती प्रक्रिया को सरल बनाना	२४३८
९७६	सीमान्त क्षेत्रों में असैनिक कर्मचारी	२४३८
९७७	विदेश जाने वाले विद्यार्थियों की जांच पड़ताल	२४३८
९७८	विज्ञान मंदिर	२४३९
९७९	दिल्ली छावनी में असैनिक क्षेत्रों का विस्तार	२४३९
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२३५७	दिल्ली के रोशनारा बाग का फिर से बनाया जाना	२४३९–४०
२३५८	दिल्ली में विस्फोट	२४४०
२३५९	असम में जिला और प्रादेशिक परिषदें	२४४०
२३६०	अखिल भारतीय स्कीइंग क्लब	२४४०–४१
२३६१	प्राचीन पाण्डुलिपियों का परिरक्षण	२४४१
२३६२	हिमाचल प्रदेश में राजनैतिक पीड़ित	२४४१
२३६३	पंजाब में तेल सर्वेक्षण	२४४१–४२
२३६४	ग्राम्य संस्थाओं के डिप्लोमा को मान्यता देना	२४४२
२३६५	अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को लागू करना	२४४२–४३
२३६६	भारत में विदेशी छात्र	२४४३
२३६७	स्त्रियों और लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम	२४४३
२३६८	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कोषाध्यक्ष	२४४३
२३६९	स्टेनलेस स्टील का आयात	२४४३–४४
२३७०	मध्य प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण	२४४४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या		
२३७१	मध्य प्रदेश में तेल अनुसन्धान सर्वेक्षण	२४४४
२३७२	दिल्ली में बच्चों का अपहरण . .	२४४५
२३७३	मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिये आवास योजनायें .	२४४५
२३७४	मध्य प्रदेश के गांवों में सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का अध्ययन	२४४५
२३७५	महाराष्ट्र विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन .	२४४५–४६
२३७६	महाराष्ट्र में छात्रों के पर्यटनों के लिये आर्थिक सहायता	२४४६
२३७७	महाराष्ट्र में श्रम और समाज सेवा कैम्प .	२४४६
२३७८	पंजाब में आदिम जाति कल्याण योजनायें . .	२४४७
२३७९	उड़ीसा के लिये लोहे की चादरें .	२४४७
२३८०	मिनसर में जनगणना .	२४४७–४८
२३८१	इनामी बाण्ड . .	२४४८
२३८२	पाकिस्तानियों का निर्धारित काल के बाद ठहरना	२४४९
२३८३	पंजाब में हिन्दी का प्रचार .	२४४९
२३८४	केरल में नगरपालिका के भंगी .	२४४९
२३८५	सोने का तस्कर व्यापार .	२४५०
२३८६	सैनिकों के निवास के लिये बस्तियां	२४५०
२३८७	रूरकेला इस्पात कारखाना . .	२४५०–५१
२३८८	सरकारी कर्मचारियों की सहकारी समितियां	२४५१
२३८९	पंजाब में विशेष बहुप्रयोजनीय खंड	२४५१
२३९०	पंजाब से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क राजस्व	२४५१–५२
२३९१	उत्तर प्रदेश पर बकाया केन्द्रीय ऋण .	२४५२
२३९२	उत्तर प्रदेश को स्टीम कोयला . .	२४५२–५३
२३९३	उत्तर प्रदेश में तम्बाकू का उत्पादन .	२४५३
२३९४	उत्तर प्रदेश में आदिम जाति के किसान . .	२४५३
२३९५	उत्तर प्रदेश में शिक्षा संस्थाओं के हॉलों व श्रोता-कक्षों के लिए अनुदान	२४५३
२३९६	उत्तर प्रदेश में अस्पृश्यता आदि का निवारण . .	२४५३–५४
२३९७	उत्तर प्रदेश की संस्थाओं को विद्यार्थियों के पर्यटन के लिए सहायता	२४५४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२३९८	पश्चिमी बंगाल के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन	२४५४–५५
२३९९	कोयले का उत्पादन . .	२४५५
२४००	पंजाब के लिए आदिवासी कल्याण निधि .	२४५५
२४०१	आन्तरिक्ष उड़ान सम्बन्धी अनुसंधान	२४५५
२४०२	सी० ओ० डी०, कापुर . .	२४५५–५६
२४०३	हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब के बीच मछली पकड़ने के अधिकार पर विवाद .	२४५६
२४०४	सी० ओ० डी०, छेवकी . .	२४५६
२४०५	हिन्दी का प्रचार	२४५६–५७
२४०६	दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत-ब्रिटिश वार्ता .	२४५७
२४०७	गणतंत्र दिवस परेड के लिए स्थानों का सुरक्षित किया जाना	२४५७–५८
२४०८	पाकिस्तान से धन की वसूली	२४५८
२४०९	कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में अधिक भीड़भाड़ . .	२४५८
२४१०	ऋण के लिए हंगरी के साथ बातचीत . .	२४५९
२४११	चांदी के सिक्कों का अवैध ढंग से पिघलाया जाना .	२४५९
२४१२	अवैध सामान ले जाती हुई कार द्वारा दुर्घटना	२४५९–६०
२४१३	दिल्ली में बम विस्फोट . . .	२४६०
२४१४	अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद	२४६०–६१
२४१५	इंजीनियरिंग विद्यालय पालघाट में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों आदि के लोगों की भर्ती .	२४६१
२४१६	केरल में अलौह धातुएं . . .	२४६१
२४१७	जबलपुर के दंगों में पीड़ित लोगों को आर्थिक सहायता .	२४६१
२४१८	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी.	२४६२
२४१९	५०५ आर्मी बेस वर्कशाप में दुर्घटना . .	२४६२–६३
२४२०	उत्कृष्ट पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद . .	२४६३
२४२१	उत्तर प्रदेश में भूतत्वीय सर्वेक्षण	२४६३–६५
२४२२	दिल्ली के नर्सरी स्कूलों में शिक्षा शुल्क . . .	२४६५
२४२३	पुरातत्व विभाग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के मुख्य कार्यालय का दिल्ली से देहरादून भेजा जाना . .	२४६५
२४२४	मद्रास में तेल शोधक कारखाने की स्थापना .	२४६५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—**क्रमशः**		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२४२५	मद्रास के लिये कोयले की जरूरत	२४६५–६६
२४२६	पटना मैडिकल कालेज को अनुदान	२४६६
२४२७	शिकार आउटफिटर्स एसोसिएशन	२४६६–६७
२४२८	उड़ीसा में कोणार्क मंदिर	२४६७
२४२९	संस्कृत को प्रोत्साहन देना	२४६७
२४३०	आयकर संग्रह	२४६७–६८
२४३१	डिगबोई तेल क्षेत्र	२४६८
२४३२	सिन्टरिंग प्लान्ट	२४६८
२४३३	राष्ट्रीय पुस्तकालय	२४६८
२४३४	आयकर विभाग द्वारा बैंकों में जमा धन की जांच	२४६९
२४३५	आर्डनेन्स फैक्टरियों में एल० डी० सी०	२४६९
२४३६	कानपुर में कोयले की कमी	२४६९–७०
२४३७	विश्वविद्यालयों में औद्योगिक बस्तियां	२४७०
२४३८	दिल्ली प्रशासन द्वारा पंजाबी का प्रयोग	२४७०
२४३९	हायर सैकण्डरी स्कूलों में विज्ञान का अध्ययन	२४७०–७१
२४४०	पाकिस्तान से आये आदिम जातीय शरणार्थी	२४७१
२४४१	केन्द्रीय प्रबन्ध संस्थायें	२४७१–७२
२४४२	जम्मू और काश्मीर के महाराजा का उत्तराधिकारी	२४७२
२४४३	त्रिपुरा में आपराधिक अभियोग	२४७२–७३
२४४४	त्रिपुरा में भूमि का हस्तांतरण	२४७३
२४४५	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति	२४७३
२४४६	त्रिपुरा के आदिम जातीय झूमियां	२४७४
२४४७	मनीपुर में सचिवालय का पुनर्गठन	२४७४
२४४८	मनीपुर में सत्याग्रह के मामले में कानूनी बचाव पर खर्च	२४७४–७५
२४४९	सोने और चांदी पर बिक्री कर	२४७५
२४५०	अन्तर्गणना अवधि में भारत को आप्रवास	२४७५
२४५१	राष्ट्रीय एटलस	२४७६
२४५२	असम राज्य में भाषायें	२४७६
२४५३	आणविक विस्फोटक पदार्थों सम्बन्धी अनुसंधान	२४७६–७७
२४५४	कवायद आदि के लिये हिन्दी शब्द	२४७७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२४५५	हिन्दी टाइपराइटर	२४७७
२४५६	इस्पात का उत्पादन	२४७८
२४५७	उत्तर सिक्किम राजमार्ग	२४७८
२४५८	पटना विश्वविद्यालय द्वारा पुरातत्वीय खुदाई	२४७८–७९
२४५९	अनुवाद करने वाली मशीन	२४७९
२४६०	भारत में पाकिस्तानी	२४७९
२४६१	कच्चे लोहे और इस्पात का उत्पादन	२४७९–८०
२४६२	पंजाब में पिछड़े वर्गों का कल्याण	२४८०
२४६३	पंजाब में लड़कियों की शिक्षा	२४८०–८१
२४६४	पंजाब में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक	२४८१
२४६५	लुधियाने में कोयला संभरण में कमी	२४८१–८२
२४६६	दूसरी योजना के दौरान पंजाब की लोहा और इस्पात की आवश्यकतायें	२४८२
२४६७	यूनेस्को में पदों का वितरण	२४८२
२४६८	पुनर्वास वित्त प्रशासन	२४८३
२४६९	पन्ना (मध्य प्रदेश) में हीरे	२४८३
२४७०	जम्मू काश्मीर को केन्द्रीय सहायता ऋण	२४८३–८४
२४७१	मछुवों के द्वारा ट्राम्बे जैटी का उपयोग	२४८४
२४७२	आनरेरी मजिस्ट्रेट की पद्धति	२४८४
२४७३	हिन्दी स्टेनोग्राफर	२४८५
२४७४	हिन्दी में नोटिंग	२४८५
२४७५	संशोधित वेतन क्रमों के कारण बकाया राशि का भुगतान	२४८५–८६
२४७६	योजना के अन्तर्गत न आने वाली सरकारी नौकरियों पर प्रतिबन्ध	२४८६
२४७७	राजस्थान में केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं के केन्द्र	२४८६
२४७८	बाढ़ पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिये राज्यों की आवश्यकताएं	२४८७
२४७९	मंत्रियों और उपमंत्रियों द्वारा व्याख्यान पर्यटन	२४८७
२४८०	उड़ीसा में अग्रिम परियोजना	२४८७–८८
२४८१	नियमों का हिन्दी में अनुवाद	२४८८
२४८२	वैस्टर्न हाउस, कर्जन रोड, नई दिल्ली	२४८८–८९
२४८३	आई० एन० एस० विक्रान्त पर एक नौ सैना के नाविक को चोट	२४८९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		
२४८४	दार्जिलिंग जिले में नेपाली भाषा	२४८९–९०
२४८५	भारतीय पुलिस सेवा के लिए योग्यता परीक्षा	२४९०–९१
२४८६	राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों के लिए परामर्ष बोर्ड	२४९१
२४८७	सेना नियमों में संशोधन	२४९२
२४८८	उड़ीसा के माध्यमिक अध्यापकों की उपलब्धियां	२४९२
२४८९	उड़ीसा के लौह अयस्क की खानें	२४९२–९३
२४९०	महाराष्ट्र में चक्रवात	२४९३
२४९१	चन्द्रभान उच्च माध्यमिक स्कूल, दिल्ली छावनी	२४९३–९४
२४९२	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	२४९४
२४९३	छोटे उद्योगों पर समाहित कर	२४९४
२४९४	जनता में अध्ययन के प्रति रुचि	२४९५
२४९५	वस्तु विनिमय पद्धति के अधीन इस्पात का आयात	२४९५
२४९६	विदेशी मुद्रा देने से इन्कार किया जाना	२४९५
२४९७	भारत इलक्ट्रोनिक्स लि०	२४९६
२४९८	पौंड पावना	२४९६
२४९९	अपर डिवीज़न क्लर्कों की श्रेणी	२४९६–९७
२५००	राजस्थान को आर्थिक सहायता	२४९७
२५०१	प्रतिरक्षा असैनिक कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	२४९७–९८
२५०२	नागार्जुनकौंडा में पुरातत्वीय अवशेषों वाले स्थान की खुदाई	२४९८
२५०४	पाथरकण्डी दक्षिण परियोजना	२४९८–९९
२५०५	सिल्चर के निकट तेल का सर्वेक्षण	२४९९
२५०६	त्रिपुरा में अनुसूचित आदिम जातियां	२४९९–२५००
२५०७	दिल्ली में वस्तुओं के मूल्य	२५००
२५०८	त्रिपुरा के राज महल का खरीदा जाना	२५००
२५०९	ड्यूटी पर मारे गये प्रतिरक्षा कर्मचारियों के आश्रितों को प्रतिकर	२५००–०१
२५१०	दिल्ली छावनी बोर्ड के बजट प्राक्कलन	२५०१–०२
२५११	सदर बाजार दिल्ली छावनी, में उद्यानों के लिय भूमि	२५०२
२५१२	दिल्ली छावनी में स्कूलों के खेल के मैदानों के लिये भूमि	२५०२

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख .	२५०३—०४
प्रधान मंत्री ने नागालैण्ड की अन्तरिम परिषद के सभापति डा० इन्कोंगलीबा आओ की गोली से मृत्यु के बारे में एक वक्तव्य दिया ।	
इसके पश्चात सदस्यगण उनके सम्मान में थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे ।	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	२५०४—०५
श्री खुशवक्त राय ने उत्तर प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचाई और विद्युत् मंत्री का ध्यान दिलाया । सिंचाई और विद्युत् मंत्री, हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।	
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	२५०५
(१) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६१ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—	
(क) दिनांक १२ अगस्त, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०२३ ।	
(ख) दिनांक १२ अगस्त, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०२४ ।	
(ग) दिनांक १२ अगस्त, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०२५ ।	
(२) पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १९४८ की धारा १६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये पुनर्वास वित्त प्रशासन के लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति ।	
सभा का कार्य .	२५०६
श्री करंजिया को जारी किये गये समन के बारे में . .	२५०६
कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत	२५०६—०७
छियासठवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।	
विधेयक विचाराधीन	२५०७—२१
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में आय कर विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	
खंडवार चर्चा आरम्भ हुई और खंड २ से ९ तक तथा १२ स्वीकृत हुए ।	
खंड १० और ११ संशोधित रूप में स्वीकृत हुए ।	

विषय पृष्ठ

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत २५२१

सत्तासीवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—अस्वीकृत . . . . २५२१—२५

११ अगस्त, १९६१ को, सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पुनः सेवा में लगाये जाने पर प्रतिबंध के बारे में श्री अर्जुन सिंह भदौरिया द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा जारी रही । संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा २५२५—४०

पटसन का मूल्य निर्धारण करने के बारे में श्री इन्द्रजीत गुप्त के संकल्प पर तथा २४ अगस्त, १९६१ को उनके द्वारा कच्चे पटसन की कमी के बारे में आरम्भ की गई चर्चा पर एक साथ विचार किया गया । संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत .

सरदार हुक्म सिंह ने प्रस्ताव किया "कि महान्यायवादी को हिदायत की जाये कि वह इस सभा को ११ अगस्त, १९६१ को प्रस्तुत किये गये विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन पर, इस सभा द्वारा १९ अगस्त, १९६१ को किये गये निर्णयों के विरुद्ध श्री आर० के० करंजिया द्वारा उच्चतम न्यायालय में दी गयी लेख याचिका के विषय में लोक-सभा के अध्यक्ष, सचिव और अवर सचिव की ओर से उपस्थिति और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सोमवार, २८ अगस्त, १९६१/६ भाद्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

आयकर विधेयक पर अग्रेतर चर्चा तथा पारित करना, अनुदानों की अनपूरक मांगों (सामान्य), १९६१-६२, पर चर्चा तथा उन्हें स्वीकार करना ।

GMGIPND—LS III—1193(Ai) LS—3-10-61—125.